रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2002/फाल्गुन 17, 1923

No. 111] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2002/PHALGUNA 17, 1923

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2002

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002

सा.का.नि. 176(अ).—केन्द्रीय सरकार, माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

भाग 1

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 है।

(2) वे उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जिसको अधिनियम प्रवृत्त होगा है।

2. **परिभाषाएं** :— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 अभिप्रेत है;

(ख) ''अभिकर्ता'' से धारा 76 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) ''भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन'' के अंतर्गत उसमें अंतर्विष्ट माल के लिए भौगोलिक उपदर्शन भी है;

(घ) ''भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय'' से नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का सुसंगत कार्यालय अभिप्रेत है;

(ङ) ''कारबार'' के अंतर्गत उस माल का जिससे भौगोलिक उपदर्शन संबंधित है, यथास्थिति, व्यापार, व्यवहार, उत्पादन समुदाय बनाना या विनिर्माण करना भी है;

(च) ''वर्ग फीस'' से पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 1 में विहित फीस अभिप्रेत है;

(छ) ''अभिसमय देश'' से धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में अधिसूचित देश अभिप्रेत है;

(ज) ''अभिसमय आवेदन'' से धारा 84 के आधार पर भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(झ) ''विभाजन संबंधी आवेदन'' से विभिन्न वर्ग के माल के लिए भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आरंभिक आवेदन के विभाजन द्वारा किया गया विभाजित आवेदन अभिप्रेत है ;

(ञ) ''विभाजन संबंधी फीस'' से पहली अनुसूची में इस प्रकार विहित फीस अभिप्रेत है;

(ट) ''प्ररूप'' से दूसरी या तीसरी अनुसूची में वर्णित प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ठ) ''आलेखी समाकृति'' से कागज रूप में माल के भौगोलिक उपदर्शन की समाकृति अभिप्रेत है;

(ड) ''जर्नल'' से भौगोलिक उपदर्शन जर्नल अभिप्रेत है;

(ढ) ''अधिसूचित तारीख'' से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको नियम प्रवृत्त होंगे;

(ण) ''विरोध'' के अंतर्गत यथास्थिति, भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण का विरोध है;

(त) ''भारत में कारबार का मुख्य स्थान'' से नियम 3 में यथा विनिर्दिष्ट भारत में सुसंगत स्थान अभिप्रेत है ;

(थ) ''प्रकाशन'' से भौगोलिक उपदर्शन जर्नल में प्रकाशन अभिप्रेत है ;

(द) ''रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता'' से ऐसा भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता अभिप्रेत है जिसका नाम नियम 102 के अधीन रखे गए भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता रजिस्टर में वास्तव में दर्ज है;

(ध) ''नवीकरण'' से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत है यथास्थिति, भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या भौगोलिक उपदर्शन के प्राधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा भौगोलिक उपदर्शन का नवीकरण;

(न) ''अनुसूची'' से नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(प) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(फ) ''विनिर्देश'' से उस माल का नामनिर्देशन अभिप्रेत है जिसकी बाबत भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकृत किया जाता है या रजिस्ट्रीकृत करने का प्रस्ताव है;

(ब) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

(2) इन नियमों में, जैसा अन्यथा उपदर्शित है उसके सिवाए, किसी धारा के प्रति निर्देश अधिनियम की उस धारा के प्रति निर्देश है, किसी नियम के प्रति निर्देश इन नियमों के उस नियम के प्रति निर्देश है, अनुसूची के प्रति निर्देश इन नियमों की उस अनुसूची के प्रति निर्देश है और किसी प्ररूप के प्रति निर्देश, यथास्थिति, दूसरी या तीसरी अनुसूची में वर्णित उस प्ररूप के प्रति निर्देश है।

3. **भारत में कारबार का मुख्य स्थान**—भारत में कारबार के मुख्य स्थान से अभिप्रेत है—

(i) जहां कोई व्यक्ति किसी भौगोलिक उपदर्शन वाले सम्बद्ध माल का कारबार करता है,

(क) यदि कारबार भारत में केवल एक ही स्थान पर किया जाता है, वहां वह स्थान;

(ख) यदि कारबार भारत में एक से अधिक स्थानों पर किया जाता है वहां उसके द्वारा भारत में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में वर्णित स्थान;

(ii) जहां कोई व्यक्ति किसी भौगोलिक उपदर्शन वाले संबद्ध माल का कारबार नहीं कर रहा है, वहां—

(क) यदि वह भारत में केवल एक स्थान पर कोई अन्य कारबार कर रहा है, तो वह स्थान;

(ख) यदि वह भारत में एक से अधिक स्थानों पर कोई अन्य कारबार कर रहा है तो उसके द्वारा भारत में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में वर्णित स्थान; और

(iii) जहां कोई व्यक्ति भारत में कोई कारबार नहीं करता है किन्तु भारत में उसका निवास स्थान है, वहां भारत में ऐसा निवास स्थान।

4. **भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय :—** (1) धारा 11 (1) के अधीन भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 17 (1) के अधीन प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने या यथास्थित, धारा 14 की उपधारा (1) या 17 की उपधारा (3) (ङ) के अधीन विरोध की सूचना देने के लिए अथवा धारा 27 के अधीन परिशोधन के लिए आवेदन फाइल करने के लिए अथवा अधिनियम और नियमों के अधीन किन्ही अन्य कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए "भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय"—

ऐसे भौगोलिक उपदर्शन के संबंध में जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात् किया जाता है, भौगोलिक उपदर्शत रजिस्ट्री का वह कार्यालय होगा जिसका क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर—

(i) आवेदक का भारत में कारबार का मुख्य स्थान जो उसके आवेदन में प्रकट किया गया है या व्यक्तियों या उत्पादकों के संगम की दशा में ऐसे आवेदक का भारत में कारबार का मुख्य स्थान जिसका नाम आवेदन में पहले इस रूप में वर्णित है कि उसका कारबार का ऐसा स्थान स्थित है;

(ii) जहां, यथास्थिति, न तो आवेदक का और न व्यक्तियों या उत्पादकों के किसी संगम का भारत में कारबार का मुख्य स्थान है वहां आवेदन में यथाविनिर्दिष्ट भारत में तामील के लिए पते में वर्णित स्थान स्थित है।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम या नियमों द्वारा भेजे जाने, तामील किए जाने, छोड़े जाने या संदत्त किए जाने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित सभी आवेदन, संसूचनाएं, दस्तावेज या फीस आरंभ में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित रजिस्ट्री के प्रधान कार्यालय को और बाद में उस समुचित कार्यालय को भेजी या पर संदत्त की जाएगी जो समयानुसार अधिसूचित किया जाए।

5. **कारबार के मुख्य स्थान या तामील के लिए पते में परिवर्तन से समुचित कार्यालय की अधिकारिता में परिवर्तन नहीं होगा :—** ऐसे किसी भौगोलिक उपदर्शन के संबंध में, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात् किया जाता है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक या व्यक्तियों अथवा उत्पादकों के किसी संगम के, यथास्थिति, भारत में कारबार के मुख्य स्थान या भारत में तामील के लिए पते में उस तारीख के पश्चात् किए गए किसी परिवर्तन से भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय की अधिकारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. **रजिस्टर में समुचित कार्यालय की प्रविष्टि:—**नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, अधिसूचित तारीख के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक भौगोलिक उपदर्शन की बाबत रजिस्ट्रार भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के रजिस्टर में प्रविष्टि कराएगा और रजिस्ट्रार, किसी भी समय, इस प्रकार की गई प्रविष्टि में किसी त्रुटि को सही कर सकेगा।

7. **दस्तावेजों आदि को छोड़ना :—**नियम 4 के उपनियम (2) में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाए, अधिनियम या नियमों द्वारा भौगोलिक उपदर्शन के संबंध में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री को किए जाने, तामील किए जाने, छोड़े जाने या भेजे जाने अथवा उस पर संदत्त किए जाने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित सभी आवेदन, सूंचनाएं, कथन या अन्य दस्तावेज अथवा कोई फीस भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय को किए जाएंगे, तामील किए जाएंगे, छोड़े जाएंगे या भेजे जाएंगे अथवा उस पर संदत्त की जाएगी।

8. **दस्तावेज आदि जो ऐसे कार्यालय में फाइल की गयी या छोड़ी गई है जो समुचित कार्यालय नहीं है:—**नियम 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी आपवादिक दशा में जहां अधिनियम या नियमों द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित कोई आवेदन, कथन या अन्य दस्तावेज या कोई फीस अनवधानता से किसी ऐसे कार्यालय को या पर किया जाता है, छोड़ा जाता है, भेजा जाता है या संदत्त की जाती है जो भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय नहीं है और जब भी नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन ऐसा कोई कार्यालय अधिसूचित किया जाता है तब रजिस्ट्रार लिखित अनुरोध पर ऐसे आवेदन, कथन या दस्तावेज को समुचित कार्यालय को लौटा सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे मामलों में आवेदक की ओर से वह सद्भावपूर्वक भूल थी :

परन्तु उस अवधि को जिस तक ऐसा आवेदन या कथन या दस्तावेज ऐसे कार्यालय द्वारा प्रतिधारित किया जाता है जो समुचित कार्यालय नहीं हैं, परिसीमा की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा जहां ऐसा कोई आवेदन, कथन या दस्तावेज विहित अवधि के भीतर पेश किया जाना अपेक्षित है :

परन्तु रजिस्ट्रार ऐसे किसी अनुरोध को नामंजूर करने से पूर्व सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा।

9. **सूचनाओं आदि का जारी किया जाना :—**नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम या नियमों के अधीन किसी आवेदन, विषय या कार्यवाही से संबंधित कोई सूचना या संसूचना सामान्यत: भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय से जारी की जाएगी किन्तु इसके अलावा भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के किसी कार्यालय के कार्यालय प्रमुख द्वारा भी जारी की जा सकेगी।

10. **फीसें :**—(1) अधिनियम या नियमों के अधीन आवेदनों, विरोधों, रजिस्ट्रीकरण, नवीकरण या किन्ही अन्य विषयों की बाबत संदत्त विनिर्दिष्ट की जाने वाली फीसें वे होंगी जो पहली अनुसूची में हैं जिन्हें इसमें इसके पश्चात् विहित फीसें कहा गया है।

(2) जहां किसी विषय की बाबत नियमों के अधीन किसी फीस का संदत्त किया जाना अपेक्षित है वहां उसके लिए प्ररूप या आवेदन या अनुरोध याचिका के साथ विहित फीस दी जाएगी।

(3) फीस या तो नकद संदत्त की जा सकेगी या भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रार को सम्बोधित मनीआर्डर द्वारा या उस स्थान पर जहां भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय स्थित है, किसी अनुसूचित बैंक द्वारा पुरोधृत बैंक ड्राफ्ट या उस के द्वारा दिए गए चैक द्वारा भेजी जा सकेगी और यदि डाक द्वारा भेजी गई है तो वह उस समय संदत्त की गई समझी जाएगी जब मनीआर्डर या समुचित रूप से संबोधित बैंक ड्राफ्ट या चैक डाक के मामूली अनुक्रम में परिदत्त किया जाता है।

(4) बैंक ड्राफ्ट और चैक क्रास किए जाएंगे और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय में रजिस्ट्रार को संदेश बनाए जाएंगे तथा वे उस स्थान पर जहां भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय स्थित है, अनुसूचित बैंक के नाम जारी किए जाएंगे।

(5) जहां दस्तावेज फाइल किए जाने की बाबत फीस संदेय है और या तो दस्तावेज बिना फीस के फाईल किया जाता है या अपर्याप्त फीस के साथ फाईल किया जाता है वहां ऐसा दस्तावेज नियमों के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजन हेतु फाईल न किया गया समझा जाएगा।

(6) जहां रजिस्ट्रार किसी पक्षकार द्वारा संदत्त किसी फीस को वापस किए जाने का अधिनियम या नियमों के किसी उपबंध के अधीन आदेश करता है वहां रकम मनीआर्डर द्वारा प्रतिदाय की जा सकेगी और उस दशा में मनीआर्डर का कमीशन ऐसी रकम से काट लिया जाएगा।

(7) रजिस्ट्रार भौगोलिक उपदर्शन जर्नल में अधिसूचना के पश्चात् ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उस निर्मित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, इलेक्ट्रानिक फीस अंतरण सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा।

11. **प्ररूपः**—(1) दूसरी और तीसरी अनुसूची में वर्णित प्ररूप उन सभी दशाओं में प्रयोग किए जाएंगे जिनमें वे लागू होते हैं और अन्य दशाओं से निपटने के लिए उनमें रजिस्ट्रार द्वारा यथानिदेशित उपांतरण किए जा सकेंगे।

(2) जब कोई भी प्ररूप भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय में फाइल किया जाए तब उसके साथ विहित फीस होगी।

(3) अनुसूची में यथावर्णित किसी प्ररूप का उपयोग करने के लिए इस नियम के अधीन किसी अपेक्षा की पूर्ति उपयोगकर्ता द्वारा या तो उस प्ररूप की प्रतिकृति द्वारा की जाएगी या उस प्ररूप द्वारा जो रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकार्य है और उसमें अनुसूची में यथवर्णित प्ररूप द्वारा अपेक्षित जानकारी अंतर्विष्ट है और ऐसे प्ररूप के उपयोग के बारे में किसी निदेश का पालन करता है।

(4) रजिस्ट्रार, भौगोलिक उपदर्शन जर्नल में अधिसूचना के पश्चात् ऐसे प्ररूपों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो मशीन में पठनीय प्ररूप में प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित हैं उसके पश्चात् ऐसे प्ररूप ऐसी रीति से जैसे करेक्टर रिकागनिशन या स्केनिंग द्वारा। पूरे किए जाएंगे जो कंप्यूटर में स्वइन्पुट की अंतर्वस्तु को अनुज्ञात करने के लिए विनिर्दिष्ट की जाए।

12. **दस्तावेजों का आकार आदिः**—(1) ऐसे किन्हीं अन्य निदेशों के अधीन रहते हुए जो रजिस्ट्रार द्वारा दिए जा सकेंगे, भौगोलिक उपदर्शन के सिवाए, अधिनियम या नियमों द्वारा भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री को किए जाने, तामील किए जाने, छोड़े जाने या भेजे जाने के लिए अपेक्षित सभी आवेदन, सूचनाएं, कथन या अन्य दस्तावेज मजबूत कागज पर और शपथपत्रों की दशा में के सिवाय, लगभग 33 सें. मी. × 20 सें. मी. के आकार पर केवल एक तरफ हिन्दी या अंग्रेजी में बड़े और सुपाठ्य अक्षरों में गहरी और अमिट स्याही में लिखें होंगे, टंकित होंगे या लिथोग्राफ किए होंगे और इसके बाएं हाथ पर 4 सें. मी. से अन्यून्य का हाशिया होगा।

(2) यदि रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी समय ऐसी अपेक्षा की जाये तो भौगोलिक उपदर्शन की प्रतियों सहित दस्तावेजों की दूसरी प्रतियां भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में फाईल की जायेंगी।

(3) रजिस्ट्रार भौगोलिक उपदर्शन जर्नल में अधिसूचना के पश्चात् नियमों के अधीन अपेक्षित सभी आवेदनों, सूचनाओं, कथनों या अन्य दस्तावेजों और प्ररूपों के आकार को, मशीन से पठनीय रूप के अनुरूप बनाने के लिए परिवर्तित कर सकेगा।

4 रजिस्ट्रार, भौगोलिक उपदर्शन जर्नल में अधिसूचना के पश्चात् आवेदनों, कथनों, सूचनाओं या अन्य दस्तावेजों के इलेक्ट्रानिक म में [illegible] दशाओं के अधीन रहते हुए फाईल किए जाने को अनुज्ञात कर सकेगा जिन्हें वह या तो साधारणतः या जर्नल में प्रकाशित सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे या किसी विशिष्ट मामले में ऐसे व्यक्तियों को लिखित सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो ऐसे साधनों द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज फाइल करना चाहते हैं ।

13. **दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना :**—(1) भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसे आवेदन पर जो व्यक्तियों या उत्पादकों के किसी संगम द्वारा फाइल किए जाने के लिए तात्पर्यित है, ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए उक्त संगम के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमित निकाय या किसी संगठन या किसी प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए

जाने के लिए तात्पर्यित दस्तावेज पर ऐसे संगठन के मुख्य कार्यपालक या प्रबंध निदेशक या सचिव अथवा अन्य मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएगें । भागीदारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी दस्तावेज पर कम से कम एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। किसी व्यष्टि ने व्यक्तियों के किसी संगम या निगमित निकाय की ओर से दस्तावेज पर जिस हैसियत से हस्ताक्षर किए हैं वह उसके हस्ताक्षर के नीचे लिखी जाएगी।

(2) किसी आवेदन और किन्हीं अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षरों के साथ अंग्रेजी या हिन्दी में और स्पष्ट अक्षरों में हस्ताक्षरकर्ता का नाम भी दिया जाएगा।

14. दस्तावेजों की तामील—(1) अधिनियम या नियमों द्वारा भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, को या रजिस्ट्रार को या किसी अन्य व्यक्ति को किए जाने, उस पर तामील किए जाने, छोड़े जाने या भेजे जाने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित अपने अभ्यावेदनों सहित कागज या अन्य दस्तावेज डाक से पूर्व संदत्त पत्र द्वारा भेजे जा सकेंगे।

(2) इस भांति भेजे गए किसी आवेदन या किसी दस्तावेज की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस समय दिया गया तामील किया गया, छोड़ा गया या भेजा गया था जब वह चिट्ठी जिसके साथ वे हैं, डाक के मामूली अनुक्रम में परिदत्त की जाती है।

(3) यह बात कि वह ऐसे भेजा गया है सिद्ध करने के लिए केवल यही सिद्ध करना पर्याप्त होगा कि पत्र पर ठीक पता लिखकर डाक में डाल दिया गया था।

15. आवेदकों और अन्य व्यक्तियों के पते आदि में अन्य विशिष्टियां.—(1) व्यक्तियों या उत्पादकों के संगम, प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों के नाम और पते पूरे दिए जाएंगे जिनके साथ उनकी राष्ट्रिकता आजीविका और ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो उनकी पहचान के लिए आवश्यक हों।

(2) निगमित निकाय की दशा निदेशक बोर्ड के पूरे नाम और राष्ट्रिकता का कथन किया जाएगा।

(3) ऐसे विदेशी आवेदकों और व्यक्तियों की दशा में जिनका भारत में कारबार का कोई मुख्य स्थान नहीं है, उनके अपने देश वाले पते भी भारत में तामील के लिए उनके पतों के अतिरिक्त दिए जाएंगे।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमित निकाये किसी संगठन या प्राधिकारी की दशा में, यथास्थिति, निगमन का देश या रजिस्ट्रीकरण की प्रकृति, यदि कोई हो, दी जाएगी।

16. आवेदन में भारत में कारबार के मुख्य स्थान का कथन.—(1) भोगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदक में आवेदक या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के भारत में कारबार के मुख्य स्थान का, यदि कोई है अथवा, व्यक्तियों या माल के उत्पादकों के संगम की दशा में उनके जिनका भारत में कारबार का मुख्य स्थान है, कारबार के मुख्य स्थान का कथन किया जाएगा।

(2) नियम 17, 18 और 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी आवेदक या उसके अभिकर्ता या किसी प्राधिकृत उपयोगकर्ता या उसके अभिकर्ता अथवा व्यक्तियों के संगम की दशा में भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में किसी मामले में कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या उसके अभिकर्ता को आवेदन में उसके द्वारा दिए गए भारत उसके कारबार के मुख्य स्थान के पते पर भेजी गई प्रत्येक लिखित संसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि उस पर सही पता लिखा है।

17. तामील के लिए पता.—(1) निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा भारत में तामील के लिए पता दिया जाएगा।

(क) भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक ऐसे आवेदक या भौगोलिक उपदर्शन के प्राधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा जिसका भारत में कारबार को कोई मुख्य स्थान नहीं है;

(ख) भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए व्यक्तियों या उत्पादकों के संगम की दशा में यदि उनमें से किसी का भारत में कारगार का मुख्य स्थान नहीं है;

(ग) भौगोलिक उपदर्शन के लिए ऐसे आवेदक द्वारा जिसका रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की तारीख को भारत में कारबार मुख्य स्थान था किन्तु बाद में उसका ऐसा कोई स्थान नहीं रहा है ; और

(घ) अधिनियम या नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में प्रत्येक आवेदक या प्राधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा और विरोध की सूचना फाइल करने वाले का प्रत्येक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिस का भारत में मुख्य स्थान नहीं है ;

(ङ) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जिसे नियम 67 के अधीन मद्यक्षेप करने की इजाजत दी गई है (मद्यक्षेपी);

(च) रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के प्रत्येक स्वत:धारी द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के विधिमान्यकरण या परिशोधन के लिए रजिस्ट्रार को किए गए किसी आवेदन की विषय-वस्तु है।

(छ) धारा 27 की उपधारा (1) और (2) के अधीन भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता से संबंधित रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को रद्द करने, निकालने, परिवर्तित करने के लिए प्रत्येक आवेदक द्वारा।

(2) किसी व्यक्ति को, उसके द्वारा दिए गए पूर्वोक्त रूप में भारत में तामील के लिए किसी पते पर संबोधित कोई लिखित संसूचना समुचित रूप से संबोधित समझी जाएगी।

(3) जब तक कि उप नियम (1) में अपेक्षित भारत में तामील के लिए पता नहीं दिया जाता तब तक रजिस्ट्रार कोई ऐसी सूचना जो अधिनियम या नियमों द्वारा अपेक्षित हो, भेजने के लिए बाध्य नहीं होगा और कार्यवाहियों में का कोई पश्चात्वर्ती आदेश या विनिश्चय सूचना की किसी कमी या तामील न होने के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

18. आवेदन और विरोध कार्यवाहियों में तामील के लिए पता.—(1) भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक या विरोध की सूचना फाइल करने वाला विरोधी इस बात के होते हुए भी कि उसका भारत में कारबार का मुख्य स्थान है, उस दशा में जिसमें ऐसा करने की उसकी इच्छा है, रजिस्ट्रार को भारत का ऐसा पता दे सकेगा जिस पर ही आवेदन या विरोध संबंधी कार्यवाहियों के संबंध में सूचना भेजी जा सकेगी। जब तक कि आवेदक या प्राधिकृत उपयोगकर्ता या विरोधी का ऐसा पता बाद में रद्द नहीं किया जाता तब तक वह यथास्थिति आवेदक या प्राधिकृत उपयोगकर्ता या विरोधी का वास्तविक पता होगा और आवेदन या विरोध की सूचना संबंधी सभी संसूचनाओं और दस्तावेजों की तामील उन्हें, यथास्थिति, आवेदक या प्राधिकृत उपयोगकर्ता या विरोधी के ऐसे पते पर छोड़कर या डाक द्वारा भेज कर की जा सकेगी।

19. तामील के लिए पते का उपलब्ध न होना.—(1) रजिस्ट्रार को जब कभी रजिस्टर में प्रविष्ट भारत में तामील के लिए पते की लगातार उपलब्धता के संबंध में कोई शंका उद्भूत हो जाती है, उस व्यक्ति से जिसके निमित्त यह रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है, रजिस्टर में प्रविष्ट किसी अन्य पते पर भेजे गए पत्र द्वारा अथवा यदि रजिस्टर में कोई ऐसा पता प्रविष्ट नहीं किया गया है तो उस पते पर जिसकी बाबत रजिस्ट्रार का यह विचार है कि उस पते से पत्र ऐसे व्यक्ति को मिल जाएगा, यह प्रार्थना करेगा कि वह भारत में तामील के लिए पते की पुष्टि करे और यदि ऐसे प्रार्थना करने के दो मास के भीतर ऐसी पुष्टि रजिस्ट्रार को प्राप्त न हो तो वह भारत में तामील के लिए पते विषयक जो प्रविष्टि रजिस्टर में है, उसे काट सकेगा और ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह व्यक्ति भारत में तामील के लिए नया पता या भारत में कारबार के मुख्य स्थान का, यदि उस समय उसका कोई है, अपना पता दे।

20. अधिकरण.—(1) धारा 76 के प्रयोजनों के लिए अभिकर्ता का प्राधिकार प्ररूप भौ उ. 10 में या ऐसे अन्य लिखित प्ररूप में निष्पादित किया जाएगा जैसा रजिस्ट्रार पर्याप्त और ठीक समझे।

(2) ऐसे प्राधिकार की दशा में, कार्यवाहियों या विषय से संबंधित किसी दस्तावेज की अभिकर्ता पर तामील की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उसे ऐसे प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर तामील है। कार्यवाही या विषय से संबंधित सभी संसूचनाएं जिनकी बाबत यह निर्दिष्ट है कि वे ऐसे व्यक्ति को भेजी जाएं, ऐसे अभिकर्ता को संबोधित हो सकेंगी और रजिस्ट्रार के सम्मुख तत्संबद्ध हाजिरी ऐसे अभिकर्ता द्वारा या उसके माध्यम द्वारा की जा सकेंगी।

(3) किसी विशिष्ट दशा में रजिस्ट्रार किसी आवेदक, विरोधी, प्राधिकृत अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के निजी हस्ताक्षर या वैयक्तिक उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

21. माल का वर्गीकरण.—(1) भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए, माल को चौथी अनुसूची में उल्लिखित रीति में वर्गीकृत किया जाएगा।

(2) चौथी अनुसूची में वर्णित माल केवल ऐसे साधनों का उपबंध करता है जिनके द्वारा अंकित अंतर्राष्ट्रीय वर्गों की साधारण अंतर्वस्तु को शीघ्र पहचाना जा सके। वे प्रत्येक वर्ग की मुख्य अंतर्वस्तु के तदरूप हैं और माल के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार निःशेषित किए जाने के लिए आशयित नहीं हैं। विशिष्ट माल के वर्गीकरण का अवधारण करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण की अंतर्वस्तु के पूरे प्रकटन के लिए धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा प्रकाशित माल की वर्णानुक्रम में अनुक्रमणिका, यदि कोई हो, या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित व्यापार चिन्हों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए माल के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के चालू संस्करण अथवा किसी पश्चात्वर्ती संस्करण जो उपलब्ध हो, के प्रति निर्देश किया जा सकेगा।

(3) जहां एक से अधिक वर्ग का माल आवेदन में वर्णित है जिसके लिए केवल एक आवेदन फीस का संदाय किया गया है वहां रजिस्ट्रार आवेदक से माल को एकल वर्ग तक निबंधित करने के लिए आवेदन का संशोधन करने की अपेक्षा करेगा।

22. तलाशी के लिए रजिस्ट्रार से निवेदन.—कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार से प्ररूप भौ.उ. 5 में यह निवेदन कर सकेगा कि रजिस्ट्रार चौथी अनुसूची के किसी एक वर्ग में रखे गए विनिर्दिष्ट माल की बाबत यह अभिनिश्चित करने के लिए खोज कराए कि कोई ऐसा भौगोलिक उपदर्शन अभिलेख में दर्ज है जो उसे व्यापार चिह्न के सदृश्य है जिसकी दो समाकृतियां प्ररूप के साथ हैं। रजिस्ट्रार ऐसी खोज कराएगा और ऐसी खोज के परिणाम को आवेदक को सूचित करेगा।

भाग-2

भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

23. आवेदन का प्ररूप और हस्ताक्षरण.—(1) भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन विहित प्ररूप में किया जाएगा और उस पर आवेदक या उसके अभीकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा पक्षकथन की तीन प्रतियों के साथ तीन प्रति में किया जाएगा।

(2) किसी एक वर्ग में सम्मिलित माल के विनिर्देश के लिए भौगोलिक उपदर्शन को रजिस्टर करने के लिए आवेदन प्ररूप भौ. उ.—1 में किया जाएगा।

(3) किसी अभिसमय देश से किसी एक वर्ग में सम्मिलित माल के विनिर्देश के लिए धारा 84 (1) के अधीन भौगोलिक उपदर्शन को रजिस्टर करने के लिए आवेदन प्ररूप भौ. उ.—1 में किया जाएगा।

(4) धारा 84 (1) के अधीन अभिसमय देश से विभिन्न वर्गों के माल के लिए भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन प्ररूप भौ. उ. —1 में किया जाएगा।

(5) माल के विभिन्न वर्गों के लिए भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन प्ररूप भौ.उ.—1 में किया जाएगा।

(6) माल के भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा :—

(क) भौगोलिक उपदर्शन पर्याप्त रूप से स्पष्टत: परिभाषित किया जाएगा जिससे भौगोलिक उपदर्शन के उल्लंघन के संबंध में अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार अवधारित किया जा सके;

(ख) ग्राफीय समाकृति उसके संबंध में नमूने की आवश्यकता के बिना भौगोलिक उपदर्शन का स्थान लेने में समर्थ होनी चाहिए;

(ग) यह युक्तियुक्त रूप से व्यवहारिक होना चाहिए कि रजिस्टर का निरीक्षण करने वाले या भौगोलिक उपदर्शन जर्नल पढ़ने वाले ग्राफीय समाकृति से इस बारे में समझ सकें कि भौगोलिक उपदर्शन क्या है;

(घ) त्रि-विमितीय भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर उस रूप में तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में उस आशय का कथन न हो ;

(ङ) जहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में भौगोलिक उपदर्शन के एक तत्व के रूप में रंग समुच्चय का दावा किया जाता है वहां उस पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक आवेदन में उस आशय का कथन न हो और रंगों को विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

(7) धारा 15 के परंतुक के अधीन आवेदन को विभाजित करने के लिए संशोधन प्ररूप भौ. उ.-5 में किया जाएगा।

(8) प्रत्येक आवेदन यथास्थिति, माल के वर्ग या वर्गों के, केवल एक भौगोलिक उपदर्शन की बाबत होगा भले ही उक्त माल के कई वर्ग किए जा सकते हों।

(9) रजिस्ट्रार भौगोलिक उपदर्शन के अधिक संक्षिप्त विवरण की अपेक्षा कर सकेगा यदि वह रंग समुच्चय, त्रि-विमितीय भौगोलिक उपदर्शन, डिजाइन के संबंध में है जो माल या पैकेज के भौगोलिक उपदर्शन में सारभूत अधिकारों के मानांकन के लिए एक निश्चित संकल्पना या आकृति के प्रतीक हैं।

(10) जहां आवेदक एक या अधिक वर्गों के लिए एकल आवेदन फाइल करता है और रजिस्ट्रार यह अवधारण करता है कि वह माल जिसके लिए आवेदन किया गया है, उन वर्गों के अतिरिक्त जिनके लिए आवेदन किया गया है, किसी वर्ग या वर्गों में आता है वहां आवेदक माल के विनिर्देश को आवेदित वर्ग तक निर्बाधित रख सकेगा या समुचित वर्ग फीस और विभाजन फीस के संदाय पर अतिरिक्त वर्ग या वर्गों को जोड़ने के लिए आवेदन का संशोधन कर सकेगा। विभाजन के माध्यम से सृजित नया वर्ग मूल आवेदन फाइल करने की तारीख के फायदे को कायम रखता है या किसी अभिसमय देश से आवेदन की दशा में, धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन अभिसमय आवेदन की तारीख उसी दावे को उपलब्ध कराती है जो मूल आवदेन में उचित रूप से प्रकथित किया गया था।

24. अभिसमय ठहराव के अधीन आवेदन.—(1) जहां किसी भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन धारा 84 के अधीन किसी अभिसमय देश से आवेदक द्वारा फाइल किया जाता है वहां अभिसमय देश के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण का उस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र, यथास्थिति, नियम 23 के उपनियम (3) या उपनियम (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में सम्मिलित किया जाएगा और इसमें भौगोलिक उपदर्शन, उक्त देश और अभिसमय देश में प्रथम आवेदन फाइल करने की तारीख या तारीखों की विशिष्टियां और रजिस्ट्रार द्वारा यथाअपेक्षित अन्य विशिष्टियां भी होंगी।

(2) जब तक कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने के समय ऐसा प्रमाणपत्र फाइल नहीं किया गया है तब तक, यथास्थिति, नियम 23 के उपनियम (3) या उपनियम (4) के अधीन आवेदन फाइल किए जाने से दो माह के भीतर रजिस्ट्रार के सामाधान के लिए आवेदन

फाइल करने की तारीख, देश भौगोलिक उपदर्शन की समाकृति, आवेदन के अंतर्गत आने वाले वर्ग और माल को प्रमाणित और सत्यापित करते हुए फाइल किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन अवलंबित आवदेन अभिसमय देश में उसी भौगोलिक उपदर्शन के लिए और उस आवेदन के अधीन सभी या किसी माल के लिए आवेदक का प्रथम आवेदन होना चाहिए। आवेदन में विदेशी आवेदन जिसका अवलंब किया गया है, फाइल करने की तारीख, उस अभिसमय देश जहां यह फाइल किया गया था, क्रम संख्या, यदि उपलबध हो, का संकेत और कि अभिसमय आवेदन की तारीख जिसका दावा किया गया है, संकेत देने वाला कथन होगा।

(4) जहां अभिसमय देश से धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन माल के किसी एक या अधिक वर्गों के लिए भौगोलिक उपदर्शन की बाबत एकल आवेदन प्राप्त होता है वहां आवेदक को सभी वर्गों में अभिसमय आवेदन तिथि के लिए नियमित विधिमान्य आधार स्थापित करना होगा।

25. **आवेदनों में उपयोगकर्त्ता का विवरण.**—भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्त्ता के रूप में रजिस्टर करने के लिए आवेदन में उस अवधि का जिसके दौरान और उस व्यक्ति का जिसके द्वारा आवेदन में वर्णित माल की बाबत उसका उपयोग किया गया है, कथन होगा आवेदक ऐसे आयोगकर्त्ता का साक्ष्य देते हुए एक शपथपत्र और उसके साथ उस भौगोलिक उपदर्शन को दर्शित करते हुए प्रदर्श फाइल करेगा कि उनका कितना उपयोग हुआ है या उस भौगोलिक उपदर्शन के अधीन उसके विक्रय में कितनी मात्रा है, देश का निश्चित राज्यक्षेत्र क्या है, उस देश में प्रदेश या क्षेत्र कौन सा है जिससे भौगोलिक उपदर्शन संबंधित है और ऐसी अन्य विशिष्टियां भी होंगी जिनकी रजिस्ट्रार आवेदन का परिशीलन करते समय आवेदकों से मांग कर सकेगा।

26. **भौगोलिक उपदर्शन की समाकृति.**—भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में और जहां आवेदन की अतिरिक्त प्रतियां अपेक्षित हों वहां ऐसी प्रत्येक प्रति में आवेदन प्ररूप में उस प्रयोजन के लिए उपबंधित स्थान पर भौगोलिक उपदर्शन की समाकृति होगी और प्रत्येक ऐसी समाकृति का आकार 33 सें०मी० × 20 सें०मी० से अधिक नहीं होगा और उसके बाएं हाथ की ओर 4 सें०मी० का पार्श्व होगा।

27. **अतिरिक्त समाकृतियां.**—(1) भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के सिवाय, तीन प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ भौगोलिक उपदर्शन की पांच अतिरिक्त समाकृतियां होंगी। आवेदन पर और उसकी प्रतियों में से प्रत्येक प्रति पर की भौगोलिक उपदर्शन की समाकृति या और अतिरिक्त समाकृति या ठीक एक-दूसरे के सदृश्य होंगी। अतिरिक्त समाकृतियां सभी अवस्थाओं में उसी माल के जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, विनिर्देश और वर्ग, आवेदक के नाम और पते तथा उसके अभिकर्त्ता के नाम और पते, यदि कोई हो, उपयोग की कालावधि और ऐसी अन्य विशिष्टयों के जैसी कि समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षा की जाए, साथ टीपी जाएगी और आवेदक या उसके अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

(2) जहां आवेदन में इस आशय का कथन अन्तर्विष्ट हो कि आवेदक, भौगोलिक उपदर्शन के विशिष्ट लक्षण के रूप में, रंगों के समुच्चय का दावा करना चाहता है वहां आवेदन के साथ भौगोलिक उपदर्शन के काले और सफेद रंग में तीन प्रत्युप्पादन होंगे और भौगोलिक उपदर्शन के पाँच रंगीन प्रत्युत्पादन होंगे।

(3) (i) जहां भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में माल की या उसके पैकेजिंग की आकृति अन्तर्विष्ट है वहां तैयार किए गए प्रत्युत्पादन के अन्तर्गत उस भौगोलिक उपदर्शन के कम से कम तीन विभिन्न चित्र होंगे और भौगोलिक उपदर्शन का शब्द में विवरण होगा।

(ii) यदि रजिस्ट्रार उप-पैरा (i) में भौगोलिक उपदर्शन के विभिन्न चित्रों या वर्णों के बारे में यह समझता है कि वे माल या उसकी पैकेजिंग की विशिष्टियों को पर्याप्त रूप से दर्शित नहीं करते हैं तो वह आवेदक से यथास्थिति, उस माल या पेकेजिंग का नमूना देने के लिए कह सकता है जैसा भौगोलिक उपदर्शन की बाबत बेचा जा रहा है।

28. **समाकृति टिकाऊ और संतोषजनक होनी चाहिए.**—(1) भौगोलिक उपदर्शन की सभी समाकृतियां टिकाऊ प्रकृति ही होनी चाहिएं और रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक अतिरिक्त समाकृति लगभग 33 सेंटीमीटर ×20 सेंटीमीटर के आकार के मजबूत कागज पर उभरी हुई होनी चाहिएं और उस कागज के बाएं भाग में कम से कम चार सेंटीमीटर का हाशिया होना चाहिए।

(2) यदि रजिस्ट्रार का भौगोलिक उपदर्शन की किसी समाकृति से समाधान नहीं होता है तो वह आवेदन पर कार्यवाही करने से पूर्व किसी भी समय उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि उसके बदले में उसकी संतुष्टि के लिए अन्य समाकृति लगायी जाए।

29. **लिप्यन्तरण और अनुवाद**—(1) जहां भौगोलिक उपदर्शन में एक या कई शब्द देवनागरी या रोमन लिपि से भिन्न किसी लिपि में हैं वहां रजिस्ट्रार के समाधान के लिए ऐसे प्रत्येक शब्द का पर्याप्त लिप्यन्तरण और अनुवाद आवेदन और अतिरिक्त समाकृति पर पृष्ठांकित किया जाएगा कि और ऐसे प्रत्येक पृष्ठांकन में वह भाषा कथित होगी जिसके वे शब्द हैं और आवेदक या उसके अभिकर्त्ता द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसके असफल रहने पर रजिस्ट्रार आवेदन पर कोई कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(2)जहां भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्त्ता के लिए आवेदन में हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न भाषा का शब्द है या हैं वहां रजिस्ट्रार यह मांग कर सकेगा कि इसका सही अनुवाद और उस भाषा का नाम दिया जाए और ऐसा अनुवाद और नाम उस सूरत में उपर्युक्त रूप में पृष्ठांकित और हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसमें कि वह ऐसी अपेक्षा कर सकता है।

30. भौगोलिक उपदर्शन पर माल का नाम या अभिवर्णन .—जहां माल का नाम या अभिवर्णन भौगोलिक उपदर्शन में दिया हुआ है वहां रजिस्ट्रार ऐसे भौगोलिक उपदर्शन को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा।

31. कमियां :—नियम 10 के उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, जहां भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन धारा 11 या नियम 23 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है वहां रजिस्ट्रार आवेदकों को उन कमियों को दूर करने के लिए उसकी सूचना भेजेगा और यदि ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर आवेदक उसके द्वारा इस प्रकार अधिसूचित किसी कमी को दूर करने में असफल रहता है तो आवेदन परिव्यक्त समझा जाएगा।

किसी भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया

32. आवेदन की अन्तर्वस्तु :—(1) किसी भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन विहित प्ररूप में किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा,—

(i) इस बारे में कथन कि भौगोलिक उपदर्शन माल के बारे में विनिर्दिष्ट क्वालिटी, प्रतिष्ठा या अन्य लक्षणों की बाबत जो अनन्यत: या अनिवार्यत: भौगोलिक पर्यावरण में अपेक्षित हैं तथा उसकी अन्तर्विहित प्राकृतिक और मानवीय पहलुओं की बाबत कैसे अभिहित करेगा कि वह माल उक्त देश से संबंधित राज्य क्षेत्र या उक्त देश के उस प्रदेश या क्षेत्र से ही उद्भूत है और उसका उत्पादन, प्रसंस्करण या तैयारी यथास्थिति उसी राज्य क्षेत्र, क्षेत्र या प्रदेश में ही हुई है ;

(ii) माल का वह वर्ग जिसको भौगोलिक उपदर्शन उपयोजित किया जाएगा;

(iii) उस देश के राज्यक्षेत्र या उस देश में प्रदेश या क्षेत्र का भौगोलिक मानचित्र जिसमें माल उत्पादित या उद्भूत हुआ है या विनिर्मित किया जा रहा है;

(iv) भौगोलिक उपदर्शन के प्रकटीकरण के बारे में विशिष्टियां कि क्या इसमें शब्द या प्रतिकात्मक तत्व हैं या दोनों हैं;

(v) ऐसा कथन जिसमें सम्बद्ध माल के उत्पादकों की ऐसी विशिष्टियां होंगी जो आरम्भ में रजिट्रीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं उक्त कथन में धारा 11 (2) (च) में वर्णित उत्पादकों की ऐसी अन्य विशिष्टियां भी हो सकेंगी जिनके अंतर्गत उस माल के जिसकी बाबत आवेदन किया जाता है, सभी उत्पादकों का सामूहिक उल्लेख होगा।

(vi) आवेदन में अंतर्विष्ट कथन में निम्नलिखित भी सम्मिलित होगा,—

(क) इस बारे में शपथपत्र कि आवेदक व्यक्तियों या उत्पादकों के संगम या किसी संगठन या किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित प्राधिकारी के हित का प्रतिनिधित्व करने का दावा कैसे कर रहा है;

(ख) भौगोलिक उपदर्शन के प्रयोग के लिए मानकों का बैंचमार्क या ऐसे माल के उत्पादन, समुपयोजन, निर्माण या विनिर्माण के संबंध में औद्योगिक मानदंड जिसकी विनिर्दिष्ट गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य लक्षण हैं जो उसमें अन्तर्वलित मानवीय रचना के विस्तृत विवरण के साथ अपने भौगोलिक उद्भव के फलस्वरूप माना जा सकता है यथास्थिति उक्त देश, प्रदेश या क्षेत्र की निश्चित सीमा से अन्य विशिष्टियां;

(ग) ऐसे माल की बाबत जिसके संबंध में भौगोलिक उपदर्शन है, मानक, गुणवत्ता, विश्वसनीयता और संगतता या अन्य विशेष लक्षणों को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की विशिष्टियां जो माल के उत्पादक, निर्माता या विनिर्माता द्वारा रखी जानी हैं;

(घ) आवेदन के साथ उस राज्यक्षेत्र, प्रदेश या क्षेत्र के मानचित्र की तीन प्रमाणित प्रतियां जिनमें प्रकाशक का हक, नाम और उसके जारी किए जाने की तारीख दर्शित की जाएगी;

(ङ) उसमें अन्तर्वलित विशेष मानवीय कौशल या भौगोलिक पर्यावरण की आद्रतीयता या भौगोलिक उपदर्शन से सहबद्ध अन्य अन्तर्निहित लक्षण या लक्षणों की विशिष्टयां जिनके संबंध में आवेदन हैं;

(च) संबंद्धमाल के उत्पादों के हित का प्रतिनिधिव करने वाले व्यक्तियों के संगम या संगठन अथवा प्राधिकारी का पूरा नाम और पता;

(छ) उस माल की बाबत जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, आवेदन में वर्णित निश्चित राज्य क्षेत्र में भौगोलिक उपदर्शन के उपयोग को विनियमित करने के लिए निरीक्षण संरचना, यदि कोई हो, की विशिष्टियां;

(ज) जहां भौगोलिक उपदर्शन किसी पूर्व रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के श्रुतिसम है वहां रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन से और आवेदक द्वारा अपनाए गए संरक्षात्मक उपायों की विशिष्टियों से विभेद करने वाले तात्विक पहलू हैं जो ऐसे माल के उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के परिणामस्वरूप उपभोक्तओं को वे माल भ्रमित या गुमराह नहीं करेंगे।

(2) आवेदनों की प्राप्ति की अभिस्वीकृति—किसी भी माल की बाबत भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, उसकी प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार द्वारा अभिस्वीकृत किया जाएगा। उसकी अभिस्वीकृति आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ फाइल की गई भौगोलिक उपदर्शन की अतिरिक्त समाकृतियों में से एक को आवेदन पर सम्यक्रूप से डाली गई शासकीय संख्या के साथ लौटा कर की जाएगी।

33. **आवेदन की जांच :**—रजिस्ट्रार, किसी आवेदन की प्राप्ति पर, उस आवेदन की और मामले के कथन की नियम 32 (1) के अधीन यथा अपेक्षित इस बारे में जांच करेगा कि क्या वह अधिनियम और नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करता है और इस प्रयोजन के लिए नियम 32 (1) में निर्दिष्ट मामले के कथन में दी गई विशिष्टियों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, यदि अपेक्षित हो विधि की विभिन्न पेचीदगियों से परिमित या उस क्षेत्र में सुविख्यात संगठन या प्राधिकारी या व्यक्तियों में से, सात से अनधिक प्रतिनिधियों के परामर्शी ग्रुप का गठन कर सकेगा जिसका अध्यक्ष वह स्वयं होगा जो सामान्यतः परामर्शी गुण के गठन की तारीख से तीन मास के भीतर अंतिम रूप से तय करेंगे। उस पर रजिस्ट्रार आवेदक को, आवेदन किए जाने पर, जांच रिपोर्ट जारी करेगा।

34. **आवेदन पर आक्षेप :**—(1) यदि आवेदन पर उसके गुणागुण पर और उपयोग के ऐसे माल की दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य लक्षणों के साक्ष्य पर जो उसके भौगोलिक मूल के फलस्वरूप तात्पर्यित हैं या किसी अन्य सुसंगत विषय पर जिसे देने की आवेदक से अपेक्षा की जा सकेगी, विचार करने के पश्चात् रजिस्ट्रार के पास आवेदन को स्वीकार करने के बारे में में कोई आपत्ति है या वह उसे ऐसी शर्तों, संशोधनों, उपांतरणों या परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह अधिरोपित करना ठीक समझे, स्वीकार करने का प्रस्ताव करता है तो रजिस्ट्रार ऐसे आक्षेप या प्रस्ताव को आवेदक को लिखित में संसूचित करेगा।

(2) यदि उपनियम (1) में वर्णित संसूचना की तारीख से दो मास के भीतर आवेदक यथास्थिति, अपने आवेदक का पूर्वोक्त प्रस्ताव के अनुसार संशोधन नहीं करता या रजिस्ट्रार को अपने विचार प्रस्तुत करता है अथवा सुनवाई के लिए आवेदन करता है या सुनवाई में उपस्थिति होने में असफल रहता है तो आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

35. **रजिस्ट्रार का विनिश्चय :**—(1) रजिस्ट्रार ने जो विनिश्चय नियम 34 या नियम 37 के अधीन सुनवाई के पश्चात् या उस सूरत में सुनवाई बिना जिसमें कि आवेदक ने अपनी बात लिखकर सम्यक्त संसूचित कर दी है और यह कथन कर दिया है कि मैं अपनी सुनवाई नहीं चाहता हूं, किया है, उसकी लिखित संसूचना आवेदक को दी जाएगी और यदि आवेदक ऐसे विनिश्चय की अपील करने का अपना आशय रखता है तो वह ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर रजिस्ट्रार से अनुरोध कर सकेगा कि रजिस्ट्रार अपने विनिश्चय के आधारों का और उन सामग्रियों का जिनका उपयोग उसने अपना विनिश्चय करने के लिए किया है, लिखित कथन करे।

(2) उस अवस्था में जिसमें कि रजिस्ट्रार ऐसी कई अपेक्षाएं करता है, आवेदक को जिनकी बाबत कोई आपत्ति नहीं है, आवेदक उन अपेक्षाओं का अनुपालन रजिस्ट्रार द्वारा उपनियम (1) के अधीन लिखित कथन दिए जाने के पूर्व करेगा।

(3) जिस तारीख को लिखित कथन उपधारा (1) के अधीन भेजा जाता है, वह तारीख अपील के प्रयोजन के लिए वह तारीख समझी जाएगी जिसको रजिस्ट्रार ने अपना विनिश्चय किया है।

36. **आवेदन में शुद्धि और संशोधन :**—भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक अपने आवेदन में या तो तत्संबंधी किसी गलती को शुद्ध करने के लिए या आवेदन में कोई संशोधन करने के लिए आवेदन के साथ विहित फीस देकर अपने आवेदन के प्रतिग्रहण के या तो पूर्व या पश्चात् किंतु भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व प्ररूप भौ.उ.-5 में कर सकेगा परन्तु ऐसे प्रस्तावित संशोधन भौगोलिक उपदर्शन के संशोधन या माल के वर्णन में संशोधन या राज्यक्षेत्र, से संबन्धित प्रदेश या परिक्षेत्र न हों जिससे मूल आवेदन सारभूत रूप में परिवर्तित होता हो या पुरः स्थापित होता हो।

37. **रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिग्रहण का प्रत्याहरण :**—(1) यदि रजिस्ट्रार के आवेदन के प्रतिग्रहण के संबंध में कोई आपत्ति आवेदन के प्रतिग्रहण के पश्चात् किंतु भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व इस आधार पर है कि वह गलती से प्रतिगृहीत कर लिया गया है, या वह भौगोलिक उपदर्शन मामले की उन अवस्थाओं में प्रतिगृहीत नहीं किया जाना चाहिए था, या रजिस्ट्रार यह प्रस्थापना करता है कि वह भौगोलिक उपदर्शन केवल उन शर्तों या मर्यादाओं के अधीन ही या उन शर्तों या मर्यादाओं के, जिन पर कि आवेदन प्रतिगृहीत किया गया है, अतिरिक्त या उनसे भिन्न शर्तों पर रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए, तो रजिस्ट्रार ऐसी आपत्ति की लिखित संसूचना आवेदक को देगा।

(2) आवेदक जब तक कि रजिस्ट्रार की अपेक्षाओं का अनुपालन करने की दृष्टि से अपने आवेदन का उपनियम (1) में वर्णित संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर संशोधन या सुनवाई के लिए आवेदन नहीं कर देता है, आवेदन के प्रतिग्रहण की बाबत यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रार ने उसे प्रत्याहृत कर लिया है और आवेदन की बाबत ऐसी कार्यवाही की जाएगी मानों कि उसे प्रतिगृहीत नहीं किया गया हो।

(3) जहां कि रजिस्ट्रार को आवेदक उपनियम (2) में वर्णित कालावधि के भीतर यह बात प्रज्ञापित करता है कि मेरी यह इच्छा है कि मेरी सुनवाई हो तो आवेदक को रजिस्ट्रार उस तारीख की सूचना देगा जिसको रजिस्ट्रार उसकी सुनवाई करेगा। जब तक कि आवेदक इससे अल्पकाल वाली सूचना के लिए सहमत न हो जाए, ऐसी सुनवाई की तारीख सूचना की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन बाद की रखी जाएगी। आवेदक यह कथन कर सकेगा कि वह अपनी वैयक्तिक सुनवाई कराना नहीं चाहता, और वह वे बातें पेश कर सकेगा जिन्हें कि वह वांछनीय समझता है।

(4) रजिस्ट्रार, आवेदक की सुनवाई के पश्चात् या यदि आवेदक ने कोई बातें उसके समक्ष लिखित रूप में पेश की हैं तो उन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आदेश दे सकेगा जैसे कि वह ठीक समझता है।

आवेदन का विज्ञापन

(38) विज्ञापन की रीति.—(1) भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए जिस आवेदन की बाबत यह अपेक्षा या अनुज्ञा धारा 13 की उपधारा (1) में है कि वह विज्ञापित किया जाए या उक्त धारा की उपधारा (2) में यह कि वह पुन: विज्ञापित किया जाए, जर्नल में विज्ञापन के लिए आवेदन की स्वीकृति के तीन मास के भीतर सामान्य रूप से विज्ञापित किया जाए।

(2) रजिस्ट्रार जर्नल में अधिसूचना के पश्चात् भौगोलिक उपदर्शन जर्नल को इंटरनेट, बैब साईट या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यम में रख सकेगा।

(3) रजिस्ट्रार, जर्नल में अधिसूचना के पश्चात्, भौगोलिक उपदर्शन जर्नल को सीडी-रोम में उसके खर्चे के संदाय पर उपगत कराएगा।

39. आवेदन में शुद्धि या संशोधन करने की अधिसूचना.—रजिस्ट्रार, उस आवेदन के मामले में, जिसे धारा 13 की उपधारा (2) का पैरा (ख) लागू होता है, उस सूरत में जिसमें वह ऐसा विनिश्चय करता है कि आवेदन को पुन: विज्ञापित कराने की बजाए आवेदन की संख्या, वह वर्ग जिसमें वह किया गया है, आवेदक का नाम और उसके कारबार के भारत में मुख्य स्थान का पता,यदि कोई है, या जहां आवेदक का कोई कारबार का भारत में मुख्य स्थान नहीं है वहां भारत में तामील के लिए उसका पता, उस जर्नल की संख्या जिसमें वह विज्ञापित किया गया है और आवेदन में की गई शुद्धि या संशोधन उपवर्णित करने वाली अधिसूचना जर्नल में दे सकेगा।

40. भौगोलिक उपदर्शन के विज्ञापन की विशिष्टियां देने के लिए रजिस्ट्रार से अनुरोध.—कोई भी व्यक्ति प्ररूप भौ. उ.-7 में रजिस्ट्रार से अनुरोध कर सकेगा कि वह जर्नल की संख्या तारीख और पृष्ठ की जानकारी दे जिसमें प्ररूप में उल्लिखित भौगोलिक उपदर्शन का विज्ञापन हुआ था और रजिस्ट्रार अनुरोध करने वाले व्यक्ति को ऐसी विशिष्टियां देगा।

रजिस्ट्रीकरण का विरोध

41. विरोध की सूचना.—(1) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन भौगोलिक उपदर्शन या धारा 17 (3) (ङ) के अधीन प्राधिकृत व उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के विरोध की सूचना प्रारूप भौ.उ.-2 में तीन प्रतियों में जर्नल में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन से तीन मास के भीतर या उस तारीख से, जिसको जर्नल जनता को उपलब्ध करा दिया गया था (जो तारीख रजिस्ट्रार द्वारा उस रूप में अधिप्रमाणित की जाएगी), कुल मिलाकर एक मास से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर दी जाएगी। सूचना के अंतर्गत उन आधारों का कथन होगा जिन पर विरोधी, यथास्थिति, भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत व उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण पर आक्षेप करता है।

(2) जहां विरोध की सूचना भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन के संबंध में फाइल की गई है वहां उसके साथ ऐसे प्रत्येक वर्ग की बाबत फीस होगी जिसके संबंध में विरोध फाइल किया जाता है।

(3) जहां विरोध किसी ऐसे विशिष्ट वर्ग या वर्गों के लिए ही फाइल किया जाता है जो धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन किए गए एकल आवेदन के संबंध में है वहां आवेदन पर रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदक द्वारा आवेदन के विभाजन के लिए विभाजन हेतु फीस के साथ प्ररूप भौ.उ.-5 में अनुरोध नहीं किया जाता है।

(4) जहां भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन की बाबत विरोध की कोई सूचना किसी वर्ग या वर्गों में फाइल नहीं की जाती है वहां ऐसे वर्ग या वर्गों की बाबत आवेदन पर रजिस्ट्रीकरण के लिए कार्रवाई वर्ग या वर्गों के संबंध में जिनकी बाबत विरोध लम्बित है, आवेदन के विभाजन के पश्चात् ही की जाएगी।

(5) उस अवधि के विस्तार के लिए आवेदन जिसके भीतर भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के विरोध की सूचना धारा 14 की उपधारा (1) अधीन दी जा सकेगी, प्ररूप भौ. उ.-2 में विहित फीस के साथ धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन तीन मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा।

(6) विरोध की सूचना की एक प्रति रजिस्ट्रार द्वारा आवेदक पर, समुचित कार्यालय द्वारा उसकी प्राप्ति के दो मास के भीतर सामान्यत: तामील की जाएगी।

42. विरोध की सूचना का सत्यापन—

(1) विरोध की सूचना विरोधी द्वारा सत्यापित की जाएगी।

(2) सत्यापन में विरोध की सूचना के पैराओं की संख्याओं के प्रति निर्देश करते हुए विनिर्दिष्टत: यह कथन किया जाएगा कि कौन से पैरा उसकी स्वंय की जानकारी के आधार पर सत्यापित किए जाते हैं और कौन से पैरा उसे प्राप्त उस जानकारी के आधार पर सत्यापित किए जाते हैं जिनके सत्य होने का उसे विश्वास है।

(3) सत्यापन पर सत्यापन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसमें उस तारीख और उस स्थान का कथन होगा जिस पर उस पर हस्ताक्षर किए गए थे।

43. प्रतिकथन—(1) धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित प्रतिकथन, आवेदक को रजिस्ट्रार से विरोध की सूचना की प्रति प्राप्त होने से दो मास के भीतर प्ररूप भौ. उ.-2 में तीन प्रतियों में भेजा जाएगा और उसमें यह भी वर्णन होगा कि विरोध की सूचना में अभिकथित कौन से तथ्य आवेदक द्वारा स्वीकार्य हैं। प्रतिकथन की एक प्रति रजिस्ट्रार द्वारा उस व्यक्ति पर उसकी प्राप्ति की तारीख से सामान्यत: दो मास के भीतर तामील कराई जाएगी जिसने विरोध की सूचना दी है।

(2) प्रतिकथन को उसी रीति में सत्यापित किया जाएगा जिसमें नियम 42 में यथाकथित विरोध की सूचना का सत्यापन किया जाता है।

44. विरोधी द्वारा विरोध के समर्थन में साक्ष्य.—(1) प्रतिकथन को प्रति की उस पर तामील से दो मास के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो उसके तश्चात् कुल मिलाकर एक मास से अधिक की नहीं होगी और जिसे रजिस्ट्रार से अनुरोध पर अनुज्ञात करे, विरोधी या तो शपथपत्र द्वारा ऐसा साक्ष्य रजिस्ट्रार को देगा जिसे वह अपने विरोध के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहता है या रजिस्ट्रार और आवेदक को लिखित में सूचना देगा कि वह अपने विरोध के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता किन्तु विरोध की सूचना में कथित तथ्यों का अवलम्ब लेने का उसका आशय है। वह आवेदक को ऐसे किसी साक्ष्य की प्रतियां देगा जो उसमें रजिस्ट्रार को इस उपनियम के अधीन दिया है और ऐसे परिदान की लिखित में रजिस्ट्रार को तत्काल सूचना देगा।

(2) यदि विरोधी उपनियम (1) में वर्णित समय के भीतर उस नियम के अधीन कोई कार्रवाई नहीं करता तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने विरोध का परित्याग कर दिया है।

(3) उपनियम (1) में वर्णित एक मास की अवधि के विस्तार के लिए कोई आवेदन उसमें वर्णित दो मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व विहित फीस के साथ प्ररूप भौ. उ.-9 में दिया जाएगा।

45. आवेदक द्वारा आवेदन के समर्थन में साक्ष्य.—(1) आवेदक रजिस्ट्रार के पास शपथपत्र के रूप में ऐसा साक्ष्य, विरोध के समर्थन में शपथपत्रों की प्रतियां अपने को मिलने से या अपने को यह प्रशापना मिलने से कि विरोधी अपने विरोध के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं देना चाहता, दो मास के भीतर या कुल मिलाकर उसके पश्चात् एक मास से अनधिक की और अवधि के भीतर देगा जिसे रजिस्ट्रार अनुरोध किए जाने पर अनुज्ञात करे, जैसा कि वह अपने आवेदन के समर्थन में देना चाहता है और उसकी प्रतियां वह विरोधी को देगा या रजिस्ट्रार को और विरोधी को यह प्रशापना देगा कि वह कोई साक्ष्य नहीं देना चाहता किन्तु उसका यह आशय है कि प्रतिकथन में कथित तथ्यों का या प्रश्नगत आवेदन के संबंध में उसके द्वारा पेश किए गए साक्ष्य का सहारा लेगा। उस अवस्था में जिसमें आवेदक आवेदन के संबंध में अपने द्वारा पेश किए जा चुके किसी साक्ष्य का सहारा लेता, है, वह उसकी प्रतियां विरोधी को देगा।

(2) उपनियम (1) में वर्णित एक मास की अवधि के विस्तार के लिए आवेदन विहित फीस के साथ उसमें वर्णित दो मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व प्ररूप भौ. उ.-9 में किया जाएगा।

46. विरोधी द्वारा उत्तर में साक्ष्य.—आवेदक के शपथपत्र की प्रतियों की विरोधी द्वारा प्राप्ति से एक मास के भीतर या उसके पश्चात् कुल मिलाकर एक मास से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर जिसे रजिस्ट्रार विहित फीस के साथ प्ररूप भौ. उ.-9 में अनुरोध किए जाने पर अनुज्ञात करे, रजिस्ट्रार के पास उत्तर में शपथपत्र द्वारा साक्ष्य दे सकेगा और उसकी प्रतियां आवेदक को पारिदत्त करेगा। यह साक्ष्य उत्तर में दिए गए विषयों तक ही सीमित होगा।

47. और साक्ष्य.—किसी भी पक्षकार को कोई और साक्ष्य देने का अधिकार नहीं होगा किन्तु रजिस्ट्रार अपने समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में किसी भी समय, यदि यह ठीक समझे, आवेदक या विरोधी को कोई साक्ष्य देने की इजाजत ऐसे खर्चों आदि के संबंध में ऐसे निबन्धनों पर दे सकेगा जिसे वह ठीक समझे।

48. प्रदर्श.—जहां कि विरोध में फाइल किए गए शपथपत्रों के साथ प्रदर्श हैं, वहां प्रत्येक प्रदर्श की एक प्रति या छाप अन्य पक्षकार को उसके निवेदन पर और उसके व्यय पर भेजी जाएगी, या उस अवस्था में, जिसमें कि ऐसी प्रतियां या छाप सुविधापूर्वक नहीं दी जा सकती, मूल प्रतियां रजिस्ट्रार के पास निरीक्षणार्थ छोड़ी जा सकेंगी। जब तक कि रजिस्ट्रार अन्यथा निदेश न दे, मूल प्रदर्श सुनवाई के अवसर पर पेश किए जाएंगे।

49. दस्तावेजों का अनुवाद.—जहां कि हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न भाषा वाली किसी दस्तावेज के प्रति निर्देश विरोध की सूचना में, या रजिस्ट्रार के समक्ष किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में प्रतिकथन में या विरोध में फाइल किए गए शपथपत्र में किया गया है, वहां हिन्दी या अंग्रेजी में उसके अभिप्रमाणित अनुवाद की दो प्रतियां दी जाएंगी।

50. सुनवाई और विनिश्चय.—(1) रजिस्ट्रार, साक्ष्य के (यदि कोई हो) पूरा हो जाने पर, उस तारीख की पक्षकारों को सूचना देगा कि वह मामले में बहस कब सुनेगा। ऐसी सूचना साक्ष्य पूरा होने के तीन मास के भीतर सामान्यत: दी जाएगी। सुनवाई की तारीख वह तारीख होगी जो पहली सूचना की तारीख के पश्चात् एक मास से कम नहीं होगी जब तक कि पक्षकार उससे कम समय की सूचना के लिए सहमति न दे। कोई भी

पक्षकार जो उपसंजात होना चाहता है, पहली सूचना की प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अधिसूचित करेगा। ऐसे पक्षकार, जो पूर्व में वर्णित समय के भीतर रजिस्ट्रार को इस प्रकार अधिसूचित नहीं करता है, के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अपनी सुनवाई का इच्छुक नहीं है और रजिस्ट्रार मामले में एक पक्षीय रूप से कार्रवाई करेगा।

(2) यदि पर्याप्त कारण दर्शित कर दिया जाता है तो कार्यवाही में या तो आवेदक द्वारा या विरोधी द्वारा एक मास के लिए स्थगन हेतु दो से अनधिक अनुरोधों पर रजिस्ट्रार द्वारा प्ररूप भौ. उ.-9 में अनुरोध पर ऐसे अनुरोध के लिए आधारों के साथ विचार किया जा सकेगा।

(3) यदि आवेदक सुनवाई की स्थगित तारीख को हाजिर नहीं है और उसने सुनवाई के समय हाजिर होने के अपने आशय को अधिसूचित नहीं किया है। तो रजिस्ट्रार आवेदन को खारिज किया समझ सकेगा।

(4) यदि विरोधी सुनवाई की स्थगित तारीख को हाजिर नहीं है और उसने सुनवाई के समय हाजिर होने के अपने आशय को अधिसूचित नहीं है तो रजिस्ट्रार विरोध का अभियोजन की कमी में खारिज किया गया समझ सकेगा और आवेदन पर रजिस्ट्रीकरण के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी।

(5) स्थगन के प्रत्येक मामले में रजिस्ट्रार मामले की अगली सुनवाई के लिए दिन निश्चित करेगा और स्थगन के लिए खर्चे के बारे में या ऐसे अधिक खर्चों के बारे में जिन्हें रजिस्ट्रार ठीक समझे, ऐसा आदेश कर सकेगा।

(6) यह तथ्य कि अभिकर्ता या पक्षकार का एडवोकेट आन रिकार्ड किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त है, स्थगन के लिए कोई आधार नहीं होगा।

(7) जहां पर एडवोकेट आन रिकार्ड या अभिकर्ता की बीमारी या किसी अन्य कारण से मामले का संचालन करने में उसकी असमर्थता स्थगन के लिए आधार के रूप में प्रस्तुत की जाती है वहां अधिकरण तब तक स्थगन नहीं देगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं कर दिया जाता कि यथास्थिति, एडवोकेट आन रिकार्ड या अभिकर्ता समय के भीतर किसी अन्य अभिकर्ता या अधिवक्ता को नियोजित नहीं कर सकता है।

(8) रजिस्ट्रार, यदि कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जाती है तो उसे अभिलेख पर रखेगा।

(9) रजिस्ट्रार को मौखिक बहस के लिए समय-सीमा निश्चित करने की शक्तियां होंगी।

(10) रजिस्ट्रार का विनिश्चय पक्षकारों को लिखित में अधिसूचित किया जाएगा।

51. खर्चों के लिए प्रतिभूति.—खर्चों के लिए वह प्रतिभूति जिसकी रजिस्ट्रार, धारा 14 की उप धारा (6) के अधीन अपेक्षा कर सकेगा, ऐसी किसी रकम की नियत की जा सकेगी जिसे वह उचित समझे और ऐसी रकम उसके द्वारा विरोध या अन्य कार्यवाहियों में किसी प्रक्रम पर बढ़ाई जा सकेगी।

रजिस्ट्रीकरण पूरा न होने की सूचना

52. सूचना देने की प्रक्रिया.—आवेदक को जो सूचना देने की रजिस्ट्रार से धारा 16 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षा की गई है, वह आवेदक को भारत में उसके कारबार के मूल स्थान के पते पर या यदि उसका भारत में कारोबार का कोई मूल स्थान नहीं है तो आवेदन में कथित भारत में तामील के लिए पते पर प्ररूप औ. उ.-1 में भेजी जाएगी और यदि आवेदक ने आवेदन के प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता को प्राधिकृत कर दिया है तो सूचना अभिकर्ता को और उसकी दूसरी प्रति आवेदक को भेजी जाएगी। सूचना में उसकी तारीख से इक्कीस दिन का समय या ऐसा और समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा जो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण के पूरा करने के लिए विहित प्ररूप भौ. उ.-9 में किए गए अनुरोध पर अनुज्ञात करेगा।

रजिस्ट्रीकरण

53. रजिस्ट्रार में प्रविष्टि.—(1) जहां जर्नल में विज्ञापित या पुन: विज्ञापित भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के विरोध की कोई सूचना धारा 14 की उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर फाइल नहीं की है या जहां विरोध फाइल किया जाता है और वह खारिज कर दिया जाता है। तथा अपील की अवधि भी समाप्त हो जाती है वहां रजिस्ट्रार, धारा 16 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भौगोलिक उपदर्शन की रजिस्टर के भाग क में, अनुरोध की प्राप्ति पर प्रविष्टि करेगा।

(2) रजिस्ट्रार में भौगोलिक उपदर्शन की प्रविष्टि में आवेदन फाइल करने की तारीख, रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक तारीख, वह माल आगे वर्ग जिसकी बाबत वह रजिस्ट्रीकृत है और धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सभी प्रविष्टियां कभी विनिर्दिष्ट की जाएंगी जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(क) आवेदक का नाम और विवरण, भौगोलिक उपदर्शन के स्वत्वधारी के भारत में कारबार के मूल स्थान का पता, यदि कोई हो, या व्यक्तियों के संगम की दशा में, व्यक्तियों के ऐसे संगम के भारत में कारबार का पता जिसका भारत में कारबार का मुख्य स्थान है।

(ख) जहां भौगोलिक उपदर्शन के स्वत्वधारी का भारत में कारबार को कोई स्थान नहीं है वहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में यथा प्रविष्ट भारत में तामील के लिए उसका पता और उसके साथ उसके स्वदेश में पता।

(ग) व्यक्तियों या उत्पादकों के किसी संगम की दशा में, जहां व्यक्तियों या उत्पादकों के संगम का भारत में कारबार का कोई मुख्य स्थान नहीं है वहां आवेदन में दिया गया भारत में तामील के लिए पता तथा व्यक्तियों या उत्पादकों के प्रत्येक संगम का उसके स्वदेश में पता।

(घ) भौगोलिक उपदर्शन के स्वत्वधारी या व्यक्तियों या उत्पादकों के संगम के व्यापार, कारबार, वृत्ति, उपजीविका की विशिष्टियां या अन्य विवरण जो रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में प्रविष्ट है।

(ङ) रजिस्ट्रीकरण के विस्तार क्षेत्र को या रजिस्ट्रीकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रभावित करने वाली विशिष्टियां।

(च) पूर्विकता की तारीख, यदि कोई हो, जो धारा 84 के अधीन किए गए अभिसमय आवेदन के अधिकारी का दावा करने के अनुसरण में अभिलिखित की जाएगी।

(छ) नियम 32 के अधीन दी गई विशिष्टियों का सार जो रजिस्ट्रार द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार की गई हो, और

(ज) भौगोलिक उपदर्शन के संबंध में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय।

54. रजिस्ट्रीकण के पूर्व आवेदक की मृत्यु— उसके आवेदन की तारीख के पश्चात् और भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रार में प्रविष्ट कर लिए जाने से पूर्व यदि भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो रजिस्ट्रार, आवेदक की मृत्यु के सबूत पर और मृत व्यक्ति के हित में पारेषण के सबूत पर आवेदन में ऐसे मृत आवेदक के नाम के स्थान पर उसके उत्तराधिकारी को प्रतिस्थापित करेगा और तत्पश्चात् इस प्रकार संशोधित आवेदन पर आगे कार्रवाई कर सकेगा।

55. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र—(1) भौगोलिक उपदर्शन या किसी प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण का वह प्रमाणपत्र जो रजिस्ट्रार द्वारा धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन दिया जाना है, प्ररूप ओ-2 में ऐसे उपान्तरण के साथ होगा जो मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो तथा रजिस्ट्रार के भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगिकता की एक प्रति के प्रमाणपत्र के साथ संलग्न करेगा।

(2) रजिस्ट्रार, प्ररूप भौ.उ. 7 मे विहित फीस के साथ रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा किए गए अनुरोध पर भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति या और प्रतियां दे सकेगा। उस भौगोलिक उपदर्शन का उभरी न हुई समाकृति जो रजिस्ट्रीकरण के लिए समय उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में दर्शित की गयी है, ऐसे अनुरोध के साथ दी जाएगी।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र विधिक कार्यवाहियों में या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

अध्याय 3

प्राधिकृत उपयोगकर्ता

56. प्राधिकृत उपयोगकर्ता—(1) उत्पादक द्वारा रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन या तो रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्तावित प्राधिकृत उपयोकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से या अकेले प्राधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा प्ररूप भां. उ.-11 में किया जाएगा और शपथपत्र के साथ मामले का एक कथन होगा कि वह रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन का उत्पादक होने का दावा कैसे कर रहा है।

भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी से सहमति के पत्र की एक प्रति आवेदन के साथ दी जा सकेगी और जहां ऐसा सहमतिपत्र नहीं दिया जाता है वहां आवेदन की प्रति जानकारी के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को पृष्ठांकित की जाएगी और रजिस्ट्रार, प्रस्तावित प्राधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा सम्यक् तामील की इतिला देगा।

57. किसी रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन की बाबत प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार उसकी जांच कराएगा और रिपोर्ट जारी करेगा।

58. उसके पश्चात् नियम 31 से 52 और 54 और 55 के उपबंध रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की बाबत आगे कार्यावाहियों को यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

59. प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण की रजिस्टर में प्रविष्टि—(1) जहां जर्नल में विज्ञापित या पुनः विज्ञापित आवेदन के विरोध की कोई सूचना धारा 17 की उपधारा (3) के उपखंड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर फाइल नहीं की जाती है या जहां विरोध फाइल किया जाता है और वह खारिज कर दिया जाता है तथा अपील की अवधि समाप्त हो जाती है वहां रजिस्ट्रार प्राधिकृत उपयोगकर्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्ररूप भौ.उ. 3 में विहित फीस के साथ अनुरोध की प्राप्ति पर रजिस्टर के भाग ख में प्रविष्ट करेगा।

(2) रजिस्टर में प्राधिकृत उपयोगकर्ता की प्रविष्टि में प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख, रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक तारीख, माल और वर्ग या वर्गों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिनकी बाबत वह रजिस्ट्रीकृत है और धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सभी विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएंगी जिनके अंतर्गत निम्नलिखित है :—

(क) भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रकृत स्वत्वधारी के भारत में कारबार के मुख्य स्थान का पता, यदि कोई हो ;

(ख) रजिस्ट्रकृत भोगोलिक उपदर्शन की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत उस माल और वर्ग का विनिर्देश भी है जिसमें वह रजिस्ट्रकृत है ;

(ग) प्राधिकृत उपयोगकर्ता के भारत में कारबार के मुख्य स्थान का पता, यदि कोई है ;

(घ) जहां रजिस्ट्रकृत भौगोलिक उपदर्शन के प्राधिकृत उपयोगकर्ता का भारत में कारबार का कोई स्थान नहीं है वहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में यथा प्रविष्ट भारत में तामील के लिए उसका पता साथ में उसके स्वदेश में उसका पता ;

(ङ) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में यथा प्रविष्ट भौगोलिक उपदर्शन के प्राधिकृत उपयोगकर्ता के व्यापार कारबार, वृत्ति, उपजीविका, डीलरशिप या अन्य विवरण की विशिष्टियां;

(च) वह पूर्विकता की तारीख, यदि कोई है, जो धारा 84 के अधीन किए गए अभिसमय आवेदन के अनुसरण में अभिलिखित की जाएगी, और;

(छ) भौगोलिक उपदर्शन के संबंध में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय।

(3) रजिस्ट्रार, प्ररूप भौ.उ. 7 में विहित फीस के साथ अनुरोध पर प्राधिकृत उपयोगिता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति या अन्य प्रतियां दे सकेगा। भौगोलिक उपदर्शन की मढ़ी हुई समाकृति जो उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण के समय दी गई है, ऐसे अनुरोध के साथ दी जाएगी।

अध्याय 4

रजिस्ट्रकरण का नवीकरण और प्रत्यावर्तन

60. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण—(1) भौगोलिक उपदर्शन या रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के नवीनकरण के लिए आवेदन, यथास्थिति, प्ररूप भौ.उ.-4 या भौ.उ.-3 में किया जाएगा और भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता अंतिम रजिस्ट्रीकरण के पर्यावसान से पूर्व छह मास से अनधिक के किसी समय पर किया जा सकेगा।

(2) नवीकरण के लिए ऐसा आवेदन यथास्थिति ऐसे व्यक्ति द्वारा जो रजिस्ट्रकृत भौगोलिक उपदर्शन का स्वत्वधारी है और उसके असफल रहने पर अभिलेख पर प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं में से किसी के द्वारा फाइल किया जाना चाहिए।

(3) यदि वह स्वत्वधारी जो नवीकरण के लिए आवेदन में वर्णित है, वही व्यक्ति या वही विधिक हस्ती नहीं है जो रजिस्ट्रकरण में रजिस्ट्रीकृत के रूप में दर्शित किया गया है, जो वर्तमान स्वामी को रजिस्ट्रीकृत से हक की निरन्तरता प्रथम अवसर पर दर्शित की जानी चाहिए।

(4) रजिस्ट्रार, नवीकरण के लिए आवेदन प्रबंध न्यासी, निष्पादक, प्रशासकों या उसी तरह के व्यक्तियों से प्राप्त कर सकेगा जब वे न्यायालय के आदेश द्वारा या ऐसे व्यक्तियों के अन्य साक्ष्य द्वारा समर्पित हो जिसे वर्तमान स्वत्वधारी की ओर से कार्य करने का प्राधिकार है।

(5) शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां भौगोलिक उपदर्शन का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी अस्तिव में नहीं रहा है वहां रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन का नवीकरण रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं में से किसी के द्वारा सामूहिक रूप से प्रभावी किया जाएगा जिनके नाम नवीकरण की सम्यक् तारीख को रजिस्टर के भाग ख में प्रविष्ट हैं।

(6) रजिस्ट्रार, नवीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी से भारत में रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के उपयोग के संबंध में शपथपत्र फाइल करने की मांग कर सकेगा जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा हो सकता है कि रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन का बाजार में उपयोग नहीं हो।

61. भौगोलिक उपदर्शन या प्रधिकृत उपयोगकर्ता को रजिस्टर से हटाने से पूर्व सूचना —(1) यथास्थिति, भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के अंतिम रजिस्ट्रीकरण के पर्यवसान से कम से कम एक मास पूर्व और अधिक से अधिक तीन मास से पूर्व वाली तारीख तक,यदि भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए विहित फीस के साथ यथास्थिति, प्ररूप भौ.उ.-4 या भौ.उ.-3 में आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो रजिस्ट्रार, यथास्थिति, भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के अथवा भौगोलिक उपदर्शन के व्यक्तियों या उत्पादकों के संगम की दशा में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों या उत्पादकों के संगम में से प्रत्येक को रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उनकी ओर से कार्य करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में, यथास्थिति, प्ररूप ओ 3 या ओ 5 में रजिस्टर में यथाप्रविष्ट भारत में कारबार में मुख्य स्थान के पते या जहां ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या प्राधिकृत उपयोगकर्ता का भारत में कोई कारबार का मुख्य स्थान नहीं है तो रजिस्टर में प्रविष्ट भारत में तामिल के लिए उनके पते पर अधिसूचित करेगा।

(2) जहां भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता की दशा में जिसका नवीकरण कराया जाना शोध्य हो गया है (रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की तारीख के प्रतिनिर्देश से) भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता उस तारीख से पूर्व जिसको नवीकरण शोध्य हो जाता है, छह मास के भीतर किसी भी समय रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, रजिस्ट्रीकरण नवीकरण फीस के संदाय पर रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक तारीख के पश्चात् छह मास के भीतर नवीकृत किया जा सकेगा और जहां नवीकरण फीस उस अवधि के भीतर संदत्त नहीं की जाती है वहां रजिस्ट्रार, नियम 63 के अधीन रहते हुए भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता को रजिस्टर से हटा देगा।

(3) जहां भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता की दशा में, जिसका रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की तारीख के प्रति निर्देश से) नवीकरण के लिए शोध्य हो गया है, भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता नवीकरण की तारीख के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किया जाता है वहां रजिस्ट्रीकरण नवीकरण फीस के संदाय के साथ रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक तारीख से छह मास के भीतर नवीकृत किया जा सकेगा और जहां नवीकृत फीस उस अवधि के भीतर संदत्त नहीं की जाती है वहां रजिस्ट्रार, नियम 63 के अधीन रहते हुए, भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता को रजिस्टर से हटा देगा।

62. भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता को रजिस्टर से हटाए जाने का विज्ञापन—यदि भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के अंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति पर नवीकरण फीस संदत्त नहीं की गई है तो रजिस्ट्रार यथास्थिति, भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता को रजिस्ट्रर से हटा सकेगा और इस तथ्य को जर्नल में तत्काल विज्ञापित करा सकेगा :

परन्तु रजिस्ट्रार, यदि भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के अंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से छह मास के भीतर विहित फीस और समुचित प्रभार के साथ प्ररूप भौ.उ.-4 में आवेदन किया जाता है, तो भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता को रजिस्टर से नहीं हटाएगा।

63. रजिस्ट्रीकरण का प्रत्यावर्तन और नवीकरण—रजिस्टर में भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के प्रत्यावर्तन के लिए और धारा 18 की उपधारा (5) के अधीन उसके रजिस्ट्रकरण के नवीकरण के लिए आवेदन विहित फीस के साथ यथास्थिति भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के अंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के छह मास के पश्चात् और एक वर्ष के भीतर प्ररूप भौ.उ.-4 में किया जाएगा। रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुरोध पर विचार करते समय उन व्यक्तियों के हित का ध्यान रखेगा जिन्होंने मध्यवर्ती अवधि में, ऐसे ही भौगोलिक उपदर्शन के लिए जो इस के बिल्कुल समान है या इतना समरूप है, जिससे धोखा हो जाए, आवेदन किया है या रजिस्टर कराया है, प्रभावित होने की संभावना है।

64. नवीकरण और प्रत्यावर्तन की सूचना और विज्ञापन—रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण या प्रत्यावर्तन पर, उस आशय की एक सूचना रजिस्ट्रीकृत स्वतवधारी या संबद्ध प्राधिकृत उपयोगकर्ता को भेजी जाएगी और उक्त नवीकरण या प्रत्यावर्तन जर्नल में विज्ञापित किया जाएगा।

अध्याय 5

रजिस्टर का परिशोधन या शुद्धि

रजिस्टर का परिवर्तन या परिशोधन

65. भौगोलिक उपदर्शन के परिशोधन या उसे रजिस्टर से हटाने के लिए आवेदन—भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्टर में अभिलिखित भौगोलिक उपदर्शन या नियम 32(1) के अधीन निर्दिष्ट मामले के विवरण से संबंधित प्रविष्टि के रद्द करने, विलुप्त करने या उसमें परिवर्तन करने के लिए धारा 27 के अधीन रजिस्ट्रार को आवेदन, यथास्थिति, प्ररूप भौ.उ.-4 या प्ररूप भौ.उ.-28 में तीन प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ तीन प्रतियों में एक कथन होगा जिसमें आवेदक के हित की प्रकृति, उन तथ्यों का जिन पर वह अपना मामला आधारित कर रहा है और अनुतोष जिसकी वह याचना कर रहा है, पूर्ण विवरण होगा। जहां आवेदन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो प्रश्नगत भौगोलिक उपदर्शन का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी नहीं है वहां पूर्वोक्त आवेदन और कथन भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की तीन प्रतियों में दिया जाएगा। उस दशा में जिसमें प्राधिकृत उपयोगकर्ता हैं, ऐसे आवेदन और कथन के साथ उनकी उतनी प्रतियां होंगी जितने रजिस्टर में प्राधिकृत उपयोगकर्ता हैं या

अनुकल्पतः परिशोधन या हटाने के लिए, उसकी पूरी विशिष्टियों के साथ, प्रस्तावित आवेदन को आम जनता को अधिसूचित करते हुए, निश्चित राज्यक्षेत्र, या प्रदेश परिक्षेत्र में विस्तार रूप में परिचालित प्रख्यात राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशन का सबूत दिया जाएगा। आवेदन और कथन, प्रत्येक की एक प्रति रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रत्येक उपयोगकर्ता को तथा ऐसे अन्य व्यक्ति को दो मास के भीतर भेजी जाएगी जो रजिस्टर से भौगोलिक उपदर्शन में हित रखने वाला प्रतीत होता है या उसके लिए अनुरोधकर्ता है। आवेदन विरोध की सूचना के सत्यापन के लिए नियम 42 के अधीन विहित रीति से सत्यापित किया जाएगा।

66. **आगे की प्रक्रिया**—नियम 65 में वर्णित आवेदन की प्रति रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को प्राप्त होने से दो मास के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो दो मास से अधिक हो, रजिस्ट्रार को और प्ररूप भौ.उ.-2 में आवेदन करने वाले व्यक्ति को उन आधारों का जिन पर आवेदन का विरोध किया जा रहा है, तीन प्रतियों में प्रतिकथन भेजेगा। रजिस्ट्रार, प्रतिकथन की एक प्रति आवेदन करने वाले व्यक्ति पर उसकी प्राप्ति के एक मास के भीतर तामील करेगा। नियम 44 से 51 तक के उपबंध उसके पश्चात् आवेदन पर आगे कार्यवाहियों को यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। तथापि, रजिस्टर को केवल इसलिए परिशोधित नहीं करेगा या भौगोलिक उपदर्शन या किसी प्राधिकृत उपयोगकर्ता को रजिस्टर से नहीं हटाएगा कि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या प्राधिकृत उपयोगकर्ता ने प्रतिकथन फाइल नहीं किया है जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि प्रतिकथन फाइल करने में विलंब जानबूझकर किया गया है और मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित नहीं है। संदेह की किसी स्थिति में कोई भी पक्षकार रजिस्ट्रार को निदेशों के लिए आवेदन कर सकेगा।

67. **अन्य पक्षकारों द्वारा हस्तक्षेप**—ऐसा व्यक्ति जो रजिस्ट्रकृत भौगोलिक उपदर्शन में हित का अभिकथन करता है जिसकी बाबत नियम 65 के अधीन आवेदन किया जाता है, अपने हित की प्रकृति का कथन करते हुए मध्यक्षेप करने हेतु अनुमति के लिए प्ररूप भौ.उ.-6 में आवेदन कर सकेगा और रजिस्ट्रार सुनवाई के पश्चात्, यदि संबद्ध पक्षकार ऐसी अपेक्षा करे, अनुमति देने से इंकार कर सकेगा या ऐसी अनुमति प्रदान कर सकेगा जो ऐसे निबंधनों और शर्तों पर होगी जिसे वह अधिरोपित करना उचित समझे और उनके अंतर्गत खर्चे के लिए प्रतिभूति के बारे में वचनबद्ध या शर्तें हैं।

68. **रजिस्ट्रार द्वारा स्वप्रेरणा से रजिस्टर का परिशोधन**—(1) रजिस्ट्रार जो सूचना देने के लिए धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित है, वह रजिस्ट्रकृत स्वत्वधारी को और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसकी बाबत यह प्रतीत होता है कि भौगोलिक उपदर्शन में उसका कोई हित है, लिखित रूप में भेजी जाएगी और उसमें वे आधार दिए हुए होंगे जिन पर रजिस्टर का परिशोधन करने की प्रस्थापना रजिस्ट्रार करता है, और उसमें ऐसी सूचना की तारीख से कम से कम एक मास का वह समय भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें सुनवाई के लिए आवेदन किया जाएगा।

(2) जिस व्यक्ति को ऐसी सूचना दी गई है जब तक कि वह उन तथ्यों को जिन पर कि वह उन आधारों का खंडन करने का भरोसा करता है, जो सूचना में दिए हुए हैं, पूर्णतः देने वाला लिखित कथन या सुनवाई के लिए आवेदन पूर्वोक्त सूचना में उल्लिखित समय के अन्दर भेज दे या नहीं देता उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह कार्यवाहियों में भाग नहीं लेना चाहता और रजिस्ट्रार तब तदनुसार कार्य कर सकेगा।

(3) यदि रजिस्ट्रार रजिस्ट्र का परिशोधन करने का विनिश्चय करता है, तो वह अपना विनिश्चय रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को लिखित रूप में संसूचित करेगा।

पते में परिवर्तन

69. **रजिस्टर में पते का परिवर्तन**—(1) भौगोलिक उपदर्शन का वह रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रकृत उपयोगकर्ता, जिसके यथास्थिति, कारबार का भारत में के मुख्य स्थान का या स्वदेश का पता, इस भांति परिवर्तित हो गया है, जिससे कि रजिस्टर में की प्रविष्टि अशुद्ध हो गई है, रजिस्ट्रार से यह निवेदन प्ररूप भौ.उ.-5 में तत्क्षण करेगा कि रजिस्ट्रार रजिस्टर में पते को समुचित रूप से बदल दे और यदि रजिस्ट्रार का समाधान इस बाबत हो जाता है तो वह रजिस्टर में तदनुसार तबदीली कर देगा।

(2) भौगोलिक उपदर्शन का वह रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता, जिसका भारत में तामील के लिए वह पता, जो रजिस्टर में प्रविष्ट है, चाहे तो इस कारण कि प्रविष्ट पता अमल में नहीं रहा है या किसी अन्य कारण से इस प्रकार बदल गया है कि रजिस्टर में तद्विषयक प्रविष्टि अशुद्ध हो गई है, रजिस्ट्रार से प्ररूप भौ. उ.-5 में तत्क्षण यह निवेदन करेगा कि रजिस्ट्रार रजिस्टर में के पते को समुचित रूप से बदल दे और यदि रजिस्ट्रार का इस विषय में समाधान हो जाता है तो वह तदनुसार रजिस्टर में तबदीली कर देगा।

(3) भौगोलिक उपदर्शन का वह रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता, जिसके कारबार का भारत में के मुख्य स्थान का पता या जिसके स्वदेश का पता या भारत में जिसकी तामील का पता लोक प्राधिकारी द्वारा ऐसे बदल दिया गया है कि बदले पते से भी वही परिसर अभिहित है जो कि रजिस्टर में प्रविष्ट है, रजिस्ट्रार से, यथास्थिति, प्ररूप भौ.उ.-5 में पूर्वोक्त निवेदन करेगा और यदि वह करता है, तो वह उसके साथ उक्त प्राधिकारी द्वारा दिए गए परिवर्तन का प्रमाणपत्र देगा। यदि रजिस्ट्रार का समाधान मामले के तथ्यों के संबंध में हो जाता है, तो वह रजिस्टर में तद्नुसार परिवर्तन करेगा, किन्तु प्ररूपों पर दी जाने वाली कोई फीस नियम 10 के उपनियम (2) या नियम 11 के उपनियम (2) के उपबंधों के होते हुए भी नहीं मांगेगा।

(4)(i) जहां कि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी उपनियम (1), (2) या (3) के अधीन निवेदन करता है, वह निवेदन की प्रति की तामील प्राधिकारी उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं पर, यदि कोई हों करेगा और तद्नुसार रजिस्ट्रार को इतिला देगा।

(ii) जहां कि पूर्वोक्त निवेदन प्राधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा किया जाता है, वहां वह निवेदन की प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और अन्य प्राधिकृत उपयोगकर्ता पर, यदि कोई हो, करेगा या अनुकल्पतः उस निश्चित राज्य क्षेत्र, प्रदेश या परिक्षेत्र में जिसका संबंध भौगोलिक उपदर्शन से है, विस्तार रूप में परिचालित प्रख्यात कम से कम दो स्थानीय समाचारपत्रों में आम सूचना जारी की जाएगी और रजिस्ट्रार को इतिला देगा कि उसने यह बात कर दी है।

(5) व्यक्ति का जो पता भौगोलिक उपदर्शन के एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के भारत में तामील के लिए पते के रूप में लिखा हुआ है, उसे परिवर्तित कराने के मामले में रजिस्ट्रार प्ररूप भौ.उ.-5 में जिसे मामले के लिए उपयोज्य करने के लिए संशोधित कर लिया गया है, उस व्यक्ति का वह आवेदन जो उस पते की बाबत है, यह सिद्ध किए जाने पर कि उक्त पता आवेदक का पता है और उस सूरत में, जिसमें कि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि वैसा करना ठीक होगा, आवेदक के पते की प्रविष्टियों में समुचित परिवर्तन उन रजिस्ट्रीकरणों में, जिनकी विशिष्टियां प्ररूप में दी जाएंगी, उसे तामील के पतों के रूप में करने के वास्ते ले सकेगा और तदनुसार प्रविष्टियों में परिवर्तन कर सकेगा।

(6) जब तक कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में रजिस्ट्रार अन्यथा करने की समनुज्ञा नहीं देता है, इस नियम के अधीन किए जाने वाले सब आवेदन, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता, अथवा ऐसे आवेदन के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा अभिव्यक्तरूपण प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

रजिस्टर की शुद्धि

70. **धारा 28 के अधीन आवेदन**—जहां धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन, रजिस्टर में ज्ञापन की प्रविष्टि की शुद्धि, परिवर्तन, रद्दकरण या माल को काटने के प्रयोजन के लिए रजिस्टर में परिवर्तन के लिए किया गया है वहां रजिस्ट्रार, आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह शपथपत्र द्वारा या अन्यथा ऐसा साक्ष्य, जैसा कि रजिस्ट्रार ठीक समझे, उन परिस्थितियों के बारे में दे जिनमें आवेदन किया गया है। ऐसा आवेदन प्ररूप भौ. उ.-5 में, जो भी उचित हो, किया जाएगा और उसकी एक प्रति की तामील आवेदक द्वारा प्राधिकृत उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं पर, यदि कोई है, की जाएगी या प्रश्नगत भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के अधीन कम से कम दो सुविख्यात स्थानीय समाचारपत्रों में लोक सूचना जारी की जाएगी और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति पर तामील की जाएगी जिसके बारे में रजिस्टर से यह प्रतीत होता है कि उसका भौगोलिक उपदर्शन में हित है और रजिस्ट्रार को यह सूचना दी जाएगी कि उसने ऐसा कर दिया है।

71. **रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन में परिवर्तन**—जहां भौगोलिक उपदर्शन का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन में कुछ जोड़ने या परिवर्तन करने के लिए अनुमति हेतु धारा 29 के अधीन आवेदन करता है वहां वह प्ररूप भौ. उ.-9 में लिखित में आवेदन करेगा और भौगोलिक उपदर्शन की जब भी उसमें ऐसा जोड़ा गया या परिवर्तित किया गया प्रतीत हो, पांच प्रतियां देगा। आवेदन और इस प्रकार संशोधित या परिवर्तित भौगोलिक उपदर्शन की एक प्रति आवेदक द्वारा अभिलेख पर प्रत्येक प्राधिकृत उपयोगकर्ता पर तामील की जाएगी या कम से कम दो सुविख्यात स्थानीय समाचारपत्रों में लोक सूचना दी जाएगी और रजिस्ट्रार को यह सूचना दी जाएगी कि उसने ऐसा कर दिया है।

72. **विनिश्चय और विरोध आदि से पूर्व विज्ञापन आदि**—(1) रजिस्ट्रार, आवेदन पर विचार करेगा और उस पर विनिश्चय करने से पूर्व जर्नल में आवेदन को विज्ञापित कराएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन विज्ञापन की तारीख से तीन मास के भीतर या कुल मिलाकर एक मास से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर कोई भी व्यक्ति आवेदन के विरोध की सूचना प्ररूप भौ. उ.-2 में दे सकेगा और उसके साथ अपने आक्षेपों का कथन भी दे सकेगा। सूचना और कथन, यदि कोई हो, तीन प्रतियों में भेजे जाएंगे। उस दशा में जिसमें प्रश्नगत भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के अधीन कोई प्राधिकृत उपयोगकर्ता है, ऐसी सूचना और कथन के साथ उनकी उतनी प्रतियां हो सकेंगी जितने प्राधिकृत उपयोगकर्ता हैं। सूचना और कथन की एक-एक प्रति सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्राधिकृत उपयोगकर्ता को यदि कोई हो भेजी जाएगी या अनुकल्पतः उस निश्चित राज्य क्षेत्र, प्रदेश या परिक्षेत्र में जिसका संबंध भौगोलिक उपदर्शन से है, विस्तार रूप में परिचालित कम से कम दो प्रख्यात स्थानीय समाचार-पत्रों में आम सूचना जारी की जाएगी। रजिस्ट्रार, सूचना और कथन की प्रति दो मास के भीतर रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी भेजेगा और रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा रजिट्रार से ऐसी प्रतियों की प्राप्ति से दो मास के भीतर वह रजिस्ट्रार को प्ररूप भौ.उ.-2 में उन आधारों का जिन पर विरोध किया गया है, तीन प्रतियों में प्रतिकथन भेजा जाएगा। यदि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी ऐसा प्रतिकथन भेजता है तो रजिस्ट्रार, उसकी एक प्रति विरोध की सूचना देने वाले व्यक्ति पर एक मास के भीतर तामील कराएगा और उसके पश्चात् विरोध पर आगे होने वाली कार्यवाहियों के संबंध में नियम 44 से 51 तक के उपबंध यथा परिवर्तित रूप में लागू होंगे। रजिस्ट्रार, आवेदन को सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं करेगा कि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी ने प्रतिकथन फाइल नहीं किया है जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि प्रतिकथन फाइल करने में विलम्ब जानबूझकर है और मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित नहीं है। कोई पक्षकार रजिस्ट्रार से निदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन उस सूरत में कर सकेगा जिसमें कि किसी बात के बारे में शंका है।

(3) यदि उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विरोध नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार, आवेदक की सुनवाई के पश्चात् यदि वह ऐसी इच्छा करे, आवेदन को स्वीकार या खारिज करेगा और अपने विनिश्चय की लिखित में आवेदक को संसूचना देगा।

73. **विनिश्चय-विज्ञापन-अधिसूचना**—यदि रजिस्ट्रार, आवेदन को मंजूर करने का विनिश्चय करता है तो वह तद्नुसार, रजिस्टर में भौगोलिक उपदर्शन में परिवर्तन करेगा और जर्नल में एक अधिसूचना अन्तःस्थापित करेगा कि भौगालिक उपदर्शन परिवर्तित कर दिया गया है। यदि आवेदन नियम 71 के अधीन विज्ञापित नहीं किया गया है तो वह भौगोलिक उपदर्शन को परिवर्तित रूप में जर्नल में विज्ञापित कराएगा।

अध्याय 6

व्यापार चिन्हों के संबंध में विशेष उपबंध

74. (1) **व्यापार चिन्हों के रजिस्ट्रीकरण से इंकार या उसका अविधिमान्यकरण.**—जहां व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने का या माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 25 की उपधारा (क) के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह को अविधिमान्य करने का विनिश्चय करता है, वहां व्यापार चिन्ह के, यथास्थिति, आवेदकों या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को लिखित में अधिसूचित करेगा जिसमें ऐसा करने के कारणों का कथन करेगा। उसके पश्चात् रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह के, यथास्थिति, आवेदक या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् मामले का विनिश्चय करेगा।

(2) ऐसे व्यापार चिन्ह को रजिस्टर करने या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह को अविधिमान्य करने के धारा 25 की उपधारा (क) के अधीन अनुरोध, जिसमें ऐसा भौगोलिक उपदर्शन अंतर्विष्ट है जो किसी देश के राज्यक्षेत्र या उस राज्यक्षेत्र में किसी प्रदेश या परिक्षेत्र में उद्भूत नहीं है जिसका ऐसा भौगोलिक उपदर्शन संकेत देता है और जिससे ऐसे माल या माल के वर्ग या वर्गों के उद्भव के सही स्थान के बारे में व्यक्तियों को भ्रम पैदा होने की संभावना है **व्यापार चिन्ह नियम, 2001** के अधीन विहित प्ररूप में किया जाएगा। उसके पश्चात् व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रार इंकार किए जाने के लिए अनुरोध की दशा में उसे आवेदक को भेज देगा और आवेदक को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा। अविधिमान्यकरण के लिए अनुरोध की दशा में, व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार उस अनुरोध को रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को भेजेगा और उस विषय पर आगे कार्रवाइयों को व्यापार चिन्ह नियम 2002 के नियम 93 में वर्णित प्रक्रिया यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगी।

75. **ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह को, जो धारा 22(2) के अधीन अधिसूचित भौगोलिक उपदर्शन के प्रतिकूल है, इंकार या अविधिमान्यकरण.**—जहां व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम 1999 की धारा 25 की उपधारा (ख) के अनुसरण में किसी आवेदन को इन्कार करने या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न को अविधिमान्य करने का विनिश्चय करता है वहां वह यथास्थिति आवेदक या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को लिखित में अधिसूचित करेगा जिसमें उसके लिए आधारों को कथन करेगा। उसके पश्चात् रजिस्ट्रार यथास्थिति आवेदक को या व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् मामले का विनिश्चय करेगा।

(2) **अधिसूचित भौगोलिक उपदर्शनों का धारा 25 (ख) के अधीन इन्कार या अविधिमान्यकरण.**—ऐसे व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने या रजिट्रीकृत व्यापार चिन्ह को अविधिमान्य करने के जो धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित माल या माल के वर्ग या वर्गों की पहचान करने वाले भौगोलिक उपदर्शन के प्रतिकूल है या उसमें वह अन्तर्विष्ट है, धारा 25 की उपधारा (ख) के अधीन अनुरोध व्यापार चिन्ह नियम, 2001 के अधीन विहित प्ररूप में किया जाएगा। उसके पश्चात् व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार इन्कार के लिए अनुरोध की दशा में रजिस्ट्रार उसे आवेदक को भेजेगा और आवेदक को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा। अविधिमान्यकरण के अनुरोध की दशा में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार उस अनुरोध की रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को भेजेगा और उस विषय में आगे कार्रवाइयों को व्यापार चिन्ह नियम, 2002 के नियम 93 में वर्णित प्रक्रिया यथाआवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगी।

76. (1) **भौगोलिक उपदर्शन के इन्कार या अविधिमान्यकरण का प्रकाशन.**—व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 25 के अनुसरण में व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण से इन्कार या उसके अविधिमान्यकरण का हवाला अभिलिखित करेगा और उसे प्रकाशित करेगा और प्रकाशन की एक प्रति भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रार को भेजेगा।

(2) माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 25 के अनुसरण में व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण से इन्कार या उसके अविधिमान्यकरण के हवाला के प्रकाशन में निम्नलिखित होगा :—

(क) चिन्ह की समाकृति;

(ख) व्यापार चिन्ह के यथास्थिति, आवेदन या उसके रजिस्ट्रीकरण की संख्या;

(ग) यथास्थिति, आवेदक या रजिस्ट्रकीकृत स्वत्वधारी का नाम और पता;

(घ) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह की दशा में, यथास्थिति, व्यापार चिन्ह के आवेदन या रजिस्ट्रीकरण की तारीख;

(ङ) उस माल की सूची या माल का वर्ग जिसकी बाबत व्यापार चिन्ह के लिए आवेदन किया गया था या रजिस्ट्रीकृत किया गया था; और

(च) उस आधार का संक्षेप जिस पर व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार किया गया था या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य किया गया था।

अध्याय 7

माल के भौगालिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 22(2) के अधीन कतिपय माल के लिए अतिरिक्त संरक्षण के संबंध में प्रक्रिया

77. **कतिपय माल के लिए अतिरिक्त संरक्षण.**—केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित माल की बावत रजिस्ट्रीकृत भौगालिक उपदर्शनों के अतिरिक्त संरक्षण के लिए आवेदन विहित फीस के साथ प्ररूप भौ.उ. 9 में तीन प्रतियों में रजिस्ट्रार को किया जा सकेगा और उसके साथ एक पक्ष कथन होगा। ऐसा पक्ष कथन तीन प्रतियों में दिया जाएगा। और उसके साथ जारी की गई अधिसूचना की प्रति दी जाएगी।

78. आवेदन भारत में भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और ऐसे भौगोलिक उपदर्शन के सभी उत्पादकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा जिनके नाम भाग ख में प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्टर में प्रविष्ट किए गए हैं।

79. **रजिस्ट्रार द्वारा विचार किया जाना.**—रजिस्ट्रार भारत में रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन की बाबत ऐसे माल के लिए अतिरिक्त संरक्षण आवेदन की प्राप्ति पर इस बारे में जांच करेगा कि क्या एक सारभौम मापमान पर माल या माल के वर्गों की प्रतिष्ठा पर विशेष ध्यान देते हुए प्रश्नगत माल या माल के वर्ग मापनीय है जो धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षा करते है कि ऐसे भौगोलिक उपदर्शन के अनधिकार ग्रहण या नकल के विरूद्ध अतिरिक्त संरक्षण प्रदान किया जाए भले ही माल या माल के वर्गों का सही उद्भव उपदर्शित है या रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन अनुवादित रूप में प्रयुक्त है या "किस्म" "प्रकार" "ढंग" "अनुकृति" या अन्य ऐसे ही उसके साथ है अथवा नहीं।

80. **आवेदन को अस्वीकार करने से पूर्व सुनवाई.**—(1) यदि रजिस्ट्रार को आवेदन या किसी अन्य विषय-वस्तु की सुनवाई पर, जिसको आवेदक दे सकेगा या देने की उससे अपेक्षा की जा सकेगी, आवेदन को स्वीकार करने में कोई आपत्तियां हैं या वह उसे ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिरोपित करना ठीक समझे, स्वीकार करने का प्रस्ताव करता है तो रजिस्ट्रार ऐसी आपत्तियों या प्रस्तावों को लिखित में आवेदक को संसूचित करेगा।

(2) यदि आवेदक ने लिखित में अपने संप्रेक्षण सम्यक् रूप से संसूचित कर दिए हैं और उसने यह कथन किया है कि वह सुने जाने का इच्छुक नहीं है तो सुनवाई करने के पश्चात् या बिना सुनवाई के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रार का विनिश्चय लिखित में आवेदक को संसूचित किया जाएगा और यदि आवेदक ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध अपील करना चाहता है तो वह ऐसी संसूचना की तारीख से दो मास के भीतर रजिस्ट्रार से, उसके द्वारा अपने विनिश्चय पर पहुंचने में प्रयोग किए गए आधारों और सामग्री का लिखित में कथन करने की अपेक्षा करते हुए, अनुरोध कर सकेगा।

81. **रजिस्ट्री में प्रविष्टि**—(1) जहां रजिस्ट्रार ऐसे भौगोलिक उपदर्शन को अनुज्ञात करने का विनिश्चय करता है जिसकी बाबत धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन यथा परिकल्पित अतिरिक्त संरक्षण दिया जाना है वहां वह रजिस्टर में सुसंगत भौगोलिक उपदर्शन के संबंध में आवेदन की बाबत अधिसूचित माल को अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करने के अपने विनिश्चय पर पहुंचने में उसके द्वारा प्रयुक्त आधारों और सामग्री का सार प्रविष्ट करेगा।

(2) रजिस्ट्रर के भाग क में प्रविष्टि में उस तारीख का जिस पर अतिरिक्त संरक्षण के लिए आवेदन किया गया था; रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के नाम, विवरण और भारत में कारबार के मुख्य स्थान का और यदि वे भारत में कोई कारबार नहीं करता है तो भारत में तामील के लिए उनके पते का कथन होगा।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

82.(क) **एकल आवेदन.**—(1) जहां माल के भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्टीकरण के लिए कोई आवेदन धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन किया जाता है वहां उसमें अन्तर्विष्ट माल के विनिर्देश में न्यूनतम संख्या से आरम्भ होने वाली क्रमवर्ती संख्या के क्रम में वर्ग और माल में प्रत्येक वर्ग के अधीन जो उस वर्ग में उपयुक्त हो, सूची भी वर्णित होगी।

(2) यदि भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए मूल आवेदन में अन्तर्विष्ट माल का विनिर्देश चौथी अनुसूची के किसी वर्ग या वर्गों के प्रतिनिर्देश करके सूचीबद्ध करता है जिसमें वे नहीं आते हैं रजिस्ट्रार आवेदक से यह अपेक्षा करेगा कि वह आवेदन को ऐसे वर्ग या वर्गों में जिससे आवेदन संबंधित है, विभाजन फीस के संदाय पर प्ररूप भौ.उ.-5 में विभाजित करे और उसके साथ ऐसे वर्ग की ऐसी फीस होगी जो समुचित हो।

(3) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन फाइल किए गए आवेदन, जब उनके विज्ञापन किए जाने का आदेश दिया गया है भौगोलिक उपदर्शन जर्नल के एक अलग खंड में प्रकाशित किए जाएंगे।

(4) रजिस्ट्रार, धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन किए गए आवेदन की बाबत रजिस्ट्रीकरण का एकल प्रमाणपत्र जारी करेगा जिस पर रजिस्ट्रीकरण के लिए कार्रवाई की गई है।

(ख) विभाजन आवेदन (1) जहां एकल आवेदन के विभाजन के लिए धारा 15 के परंतुक के अधीन प्ररूप भौ.उ.-5 में कोई आवेदन किया जाता है वहां ऐसा आवेदन विभाजन फीस और ऐसी वर्ग फीसों के संदाय पर जो उपयुक्त हो, दो या अधिक पृथक आवेदनों में विभाजित किया जाएगा।

(2) आवेदक, रजिस्ट्रीकरण से पूर्व किसी समय रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने आवेदन के (मूल आवेदन) दो या अधिक पृथक आवेदनों में (विभाजन आवेदन) विभाजन के लिए अनुरोध कर सकेगा जिसमें प्रत्येक भाग के लिए माल के विनिर्देश का संकेत दिया जाएगा। रजिस्ट्रार प्रत्येक विभाजन आवेदन को उसे फाइल करने की तारीख के साथ जब मूल आवेदन फाइल किया गया था, रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक आवेदन के रूप में मानेगा।

(3) किसी वर्ग के कुछ माल को न कि पूरे माल को, विभाजित करने के अनुरोध की दशा में, उस विभाजन द्वारा सृजित पृथक आवेदन के लिए विभाजन फीस प्रस्तुत की जाएगी।

(4) यदि विभाजन करने के अनुरोध में आवश्यक फीस सम्मिलित नहीं है या कोई अन्य कमी है तो रजिस्ट्रार उस कमी को आवेदक को अधिसूचित करेगा आवेदक ऐसी किसी कमी को तीस दिन के भीतर ठीक करेगा। यदि आवेदक उपबंधित समय के भीतर उस कमी को ठीक करने में असफल रहता है तो अनुरोध परिव्यक्त किया गया समझा जाएगा और आवेदन पर उस अनुरोध पर ध्यान दिए बिना आगे कार्यवाही की जाएगी।

(5) जहां किसी आवेदन को विभाजित करने का अनुरोध प्राप्त होता है वहां रजिस्ट्रार यथास्थिति एक अतिरिक्त पृथक नया क्रम संख्या या संख्याएं समनुदेशित करेगा और वह मूल आवेदन के प्रति निर्देशित होगा। ऐसे अतिरिक्त पृथक आवेदन को फाइल करने की वही तारीख समनुदेशित की जाएगी जो मूल आवेदन की थी।

(6) शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जब एकल आवेदन विभाजित किया जाता है तब कोई नया रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत पहले से फाइल किया गया आवेदन को अलग-अलग फाइलों में पृथक या विभाजित किया जाएगा।

83. **समय का विस्तार.**—(1) धारा 64 के अधीन समय के विस्तार के लिए आवेदन (जो अधिनियम में स्पष्टत: उपबंधित समय नहीं है या ऐसा समय नहीं है जिसके विस्तार के लिए नियमों में उपबंध किया गया है) प्ररूप भौ.उ.-9 में किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार, उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन पर यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें आवेदित समय के विस्तार को न्यायोचित ठहराया जा सकता है, नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां अधिकतम समय सीमा विहित की गई है और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वे अधिरोपित करना ठीक समझे, समय को विस्तारित कर सकेगा और तदनुसार पक्षकारों को अधिसूचित करेगा तथा विस्तार ऐसी दशा में भी प्रदान किया जा सकता है जिसमें यद्यपि कोई कार्य करने के लिए या कार्यवाहियां चलाने के लिए समय जिसके लिए आवेदन किया गया है पहले ही समाप्त हो चुका है।

84. **रजिस्ट्रार की वैबेकिक शक्ति का प्रयोग.**—यह समय जिसके भीतर कोई व्यक्ति सुने जाने का अवसर प्रदान किए जाने के लिए धारा 61 के अधीन हकदार है सुने जाने की अपेक्षा के अपने विकल्प का प्रयोग करेगा, अधिनियम या नियमों में जैसा स्पष्टत: उपबंधित है उसके सिवाये, उस सूचना की तारीख से एक मास का होगा जो रजिस्ट्रार उस बात का अवधारण करने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को देगा जिसके संदर्भ में ऐसा व्यक्ति सुने जाने का हकदार है। यदि उस मास के भीतर ऐसे व्यक्ति को सुने जाने की अपेक्षा की जाती है तब रजिस्ट्रार सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा और उसे दस दिन की सूचना देगा।

85. **विनिश्चय की अधिसूचना.**—अधिनियम या नियमों द्वारा उसे दी गई वैबेकिक शक्ति के प्रयोग में रजिस्ट्रार का विनिश्चित प्रभावित व्यक्ति को अधिसूचित किया जाएगा।

86. **संशोधन और प्रक्रिया में अनियमितता की शुद्धि.**—(1) भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता से सबंधित कोई दस्तावेज, ससूचना या अन्य अभ्यावेदन संशोधित किया जा सकेगा और प्रक्रिया में कोई अनियमितता जो रजिस्ट्रार की राय में किसी व्यक्ति के हितों को हानि पहुंचाए बिना दूर की जा सकेगी ठीक की जा सकेगी यदि रजिस्ट्रार ऐसे निबंधनों पर जो वह निर्देश ठीक और उचित समझे।

(2) रजिस्ट्रार यह अपेक्षा कर सकेगा कि भौगोलिक उपदर्शन के किसी आवेदन या समाकृति या किसी अन्य दस्तावेज या उससे संबंधित

किसी अतिरिक्त विषय का, उसे अधिनियम की औपचारिक अपेक्षाओं के अनुसार लाने के लिए संशोधन किया जाएगा।

87. निर्देशों का अन्यथा विहित न किया जाना.—जहां रजिस्ट्रार की राय में, अधिनियम या नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के उचित अभियोजन या उनको पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति के लिये यह आवश्यक है कि वह कोई ऐसा कार्य करे कोई दस्तावेज फाइल करे या साक्ष्य प्रस्तुत करे जिसके लिए अधिनियम या नियमों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है वहां रजिस्ट्रार लिखित सूचना द्वारा उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट कार्य करे दस्तावेज फाइल करे या साक्ष्य प्रस्तुत करे।

88. सुनवाई.—(1) ऐसे भौगोलिक उपदर्शन के संबंध में जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात् किया जाता है नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन रहते हुए आवेदन या अधिनियम और नियमों के अधीन कोई कार्यवाही उस दशा में जिसमें सुनवाई आवश्यक हो जाती है, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के ऐसे समुचित कार्यालय पर की जाएगी जिसम धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन ऐसा आवेदन किया गया था या उस कार्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर ऐसे स्थान पर की जाएगी जिसमें रजिस्ट्रार उचित समझे।

(2) जहां रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी जिसने अधिनियम और नियमों के अधीन किसी मामले की सुनवाई की है, और उस पर आदेश आरक्षित किया है, रजिस्ट्री के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को स्थानान्तरित कर दिया जाता है या कोई आदेश पारित करने से पूर्व या उस पर कोई विनिश्चय देने से पूर्व किसी अन्य नियुक्ति पर पदावनत कर दिया जाता है वहां वह, यदि रजिस्ट्रार ऐसे निदेश दे, आदेश पारित कर सकेगा या विनिश्चय दे सकेगा मानो वह रजिस्ट्री के उस कार्यालय में अधिकारी बना रहा है जहां मामले की सुनवाई की गई थी।

रजिस्ट्रार द्वारा खर्चों का अधिनिर्णय

89. अप्रतिवादित मामलों में खर्चे.—जहां नियमों के अधीन सम्यक रूप से संस्थित किसी विरोध का आवेदक द्वारा प्रतिवाद नहीं किया जाता है वहां रजिस्ट्रार इस बारे में विनिश्चय करते समय कि विरोधी को खर्चे दिलाए जाएं अथवा नहीं, इस बारे में विचार करेगा कि यदि विरोधी द्वारा आवेदक को विरोध की सूचना फाइल किए जाने से पूर्व युक्तियुक्त सूचना दी गई होती तो क्या उन कार्यवाहियों से बचा जा सकता था।

90. नियम 89 का अपवाद.—नियम 89 में किसी बात के होते हुए भी पहली अनुसूची की प्रविष्टि 7, 8 और 9 के अधीन विनिर्दिष्ट फीसों की बाबत खर्चे और कार्यवाहियों में प्रयुक्त शपथपत्रों पर लगाए गये और चिपकाए गए सभी स्टाम्पों के खर्चे स्थिति के अनुसार दिलाए जाएंगे।

91. खर्चों का मापमान.—नियम 89 और 90 के उपबंधों के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रार के समक्ष सभी कार्यवाहियों में रजिस्ट्रार, अधिनियम द्वारा जैसा अन्यथा स्पष्टत: उपबंधित है, उसके सिवाये, ऐसे खर्चे अधिनिर्णित कर सकेगा जो उसके लिए अनुज्ञेय रकम से अधिक नहीं होंगे जिसे मामले की सभी परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए यह युक्तियुक्त समझे।

रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चय का पुनर्विलोकन

92. रजिस्ट्रार के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन.—धारा 60 के खंड (ग) के अधीन रजिस्ट्रार को उसके विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन ऐसे विनिश्चय की तारीख से एक मास के भीतर या उसके पश्चात एक मास के अनधिक ऐसी और अवधि के भीतर जिसे रजिस्ट्रार अनुरोध पर अनुज्ञात करे, प्ररूप भौ.उ. 7 में किया जाएगा तथा उसके साथ एक कथन होगा जिसमें वे आधार वर्णित होंगे जिन पर पुनर्विलोकन की ईप्सा की गई है। जहां प्रश्नगत विनिश्चय आवेदक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है वहां ऐसा आवेदन और कथन तीन प्रतियों में दिए जाएंगे और रजिस्ट्रार तत्काल आवेदन और कथन की एक-एक प्रति संबद्ध अन्य व्यक्ति को भेजेगा। रजिस्ट्रार पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् आवेदन को खारिज कर सकेगा या सशर्त या ऐसी किन्हीं शर्तों या मर्यादाओं के अधीन रहते हुए जिन्हें वे ठीक समझे, आवेदन मंजूर कर सकेगा।

शपथ पत्रों

93. शपथ पत्रों के प्ररूप आदि.—(1) अधिनियम और नियमों के अधीन जिन शपथपत्रों की बाबत यह अपेक्षित है कि वे भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में फाइल किए जाएं या रजिट्रार को दिए जाएं, वे उस सूरत में के सिवाय, जिसमें कि दूसरी अनुसूची में अन्यथा उपबंधित है, उस बात या बातों वाले शीर्षक से होंगे, जिससे या जिनसे कि वे सम्बद्ध है, उत्तम पुरुष ने लिखे होंगे और क्रमवार संख्या वाले पैराओं में विभाजित होंगे; और प्रत्येक पैरा यावत्साध्य एक बात तक परिसीमित होगा और प्रत्येक शपथपत्र में उसे करने वाले व्यक्ति का अभिवर्णन और उसका सही निवास स्थान दिया होगा, उसे फाइल करने वाले व्यक्ति का नाम और पता उसमें दिया होगा और उसमें यह भी कथित होगा कि किस की ओर से वह फाइल किया गया है।

(2) जहां कि दो या दो से अधिक व्यक्ति शपथपत्र में सम्मिलित होते हैं वहां उनमें से प्रत्येक पृथकत: ऐसे तथ्यों का अभिसाक्ष्य देगा जो उसके नीजी ज्ञान में हैं और वे तथ्य पृथक पैराओं में दिए जाएंगे।

(3) शपथपत्र—

(क) भारत में ऐसे किसी न्यायालय के या व्यक्ति के समक्ष, जिसे साक्ष्य लेने का प्राधिकार विधि द्वारा प्राप्त है, या ऐसे किसी अधिकारी के समक्ष जो उपर्युक्त जैसे न्यायालय द्वारा शपथ दिलाने के लिए या शपथ पत्र कराने के लिए सशक्त है, कराए जाएंगे।

(ख) भारत के बाहर किसी देश या स्थान में राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 के अर्थ में ऐसे

देश या स्थान के राजनयिक या कौंसलीय आफिसर के समक्ष या ऐसे देश या स्थान के नोटरी पब्लिक के समक्ष या किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के समक्ष किए जाएंगे।

(4) जिस व्यक्ति के सामने शपथपत्र किया जाएगा, वह उस तारीख को, जिस पर और उस स्थान को, जहां शपथपत्र किया गया है, लिख देगा और यदि उसकी अपनी मुद्रा है, तो उसे उस पर लगाएगा या उस न्यायालय की मुद्रा लगाएगा जिससे वह संलग्न है, और उसके अंत में अपना नाम और अभिवर्णन देकर हस्ताक्षर करेगा।

(5) उस शपथपत्र को, जिसकी बाबत यह प्रकटत: तात्पर्णित है कि उस पर इस बात के परिसाक्ष्य स्वरूप कि वह उस व्यक्ति के समक्ष किया गया है,जो शपथपत्र कराने के लिए उपनियम (3) द्वारा प्राधिकृत है, ऐसे व्यक्ति की मुद्रा लगी हुई या हस्ताक्षर किया हुआ है, रजिस्ट्रार उस मुद्रा या हस्ताक्षर के असल होने की या उस व्यक्ति की पदीय हैसियत के सबूत बिना ग्रहण कर सकेगा।

(6) परिवर्तन और पंक्तियों के बीच लिखी बातों को इससे पूर्व कि शपथपत्र सौगंध लेकर या प्रतिज्ञान करके किया जाए, उस व्यक्ति के आद्याक्षरों द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा जिस के समक्ष शपथपत्र किया गया है।

(7) जहां कि अभिसाक्ष्यकर्ता निरक्षर अंधा या उस भाषा से अपरिचित है जिसमें शपथपत्र लिखा गया है वहां शपथपत्र कराने वाले व्यक्ति द्वारा यह प्रमाण पत्र कि शपथपत्र उसके समक्ष अभिसाक्ष्यकर्ता को पढ़कर सुनाया गया, उसके वास्ते उसका अनुवाद किया गया या उसकी व्याख्या की गई और प्रतीत हुआ कि अभिसाक्ष्यकर्ता उसे पूर्णत: समझता है और यह कि अभिसाक्ष्यकर्ता ने मेरी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए या चिन्ह बनाया, शपथपत्र के निचले भाग में दिया होगा।

(8) अधिनियम या नियमों के अधीन वाली किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में जो शपथपत्र रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल किया जाता है वैसा प्रत्येक शपथपत्र तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार लगने वाले स्टाम्प पर होगा।

जनता द्वारा दस्तावेजों का निरीक्षण

94. दस्तावेजों का निरीक्षण :—धारा 78 की उपधारा (1) में वर्णित दस्तावेजों निरीक्षण के लिए भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के मुख्य कार्यालय में प्राय रहेंगी। रजिस्टर की और धारा 78 में वर्णित ऐसी अन्य दस्तावेजों की प्रति जैसी कि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के प्रत्येक शाखा कार्यालय में जब भी उसकी स्थापना होती है, निरीक्षण के लिए प्राप्त रहेगी। निरीक्षण विहित फीस दिए जाने पर और उन सभी दिनों में, जिन में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय जनता के लिए बंद नहीं रहता, ऐसे समयों पर जैसे कि रजिस्ट्रार नियम करे, किया जाएगा।

95. जर्नल और अन्य दस्तावेजों की प्रतियों का वितरण :—केन्द्रीय सरकार रजिस्ट्रार को निदेश दे सकेगी कि वह जर्नल और किसी अन्य दस्तावेज को, जिसे वह आवश्यक समझती है, ऐसे स्थानों में वितरित करे जैसे कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके नियमित करे और राजपत्र में समय-समय पर अधिसूचित करे।

प्रमाणपत्र

96. दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां :—रजिस्टर में कि किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतियां या धारा 78 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज की या रजिस्ट्रार के किसी विनिश्चय या आदेश की प्रमाणित प्रतियां या [धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन वाले प्रमाणपत्र से भिन्न] प्रमाणपत्र जो कि ऐसी किसी प्रविष्टि, बात या चीज से संबंद्ध है जिसे कि रजिस्ट्रार अधिनियम या नियमों द्वारा करने के लिए प्राधिकृत अपेक्षित है, रजिस्ट्रार विहित फीस सहित उसके लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्ररूप भौ.उ. 7 में किए गए आवेदन की प्राप्ति पर दे सकेगा। किसी प्रमाणपत्र या प्रमाणित प्रति में किसी भौगोलिक उपदर्शन की प्रति सम्मिलित करने के लिए रजिस्ट्रार उस सूरत में के सिवाय बाध्य न होगा जिसमें कि आवेदक ने भौगोलिक उपदर्शन की ऐसी नकल जैसी कि इस प्रयोजन के लिए समुचित है, उसे दे दी है :

97. विदेश में रजिस्ट्रीकरण कराने के वास्ते काम में लाए जाने के लिए प्रमाणपत्र :—(1) जहां कि भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण संबंधी कोई प्रमाणपत्र इस दृष्टि से चाह जाता है कि भारत से बाहर वाले किसी राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए वह काम में लाया जा सके वहां रजिस्टार प्रमाणपत्र में भौगोलिक उपदर्शन की एक नकल सम्मिलित करेगा और प्रमाणपत्र के आवेदक से यह उपेक्षा कर सकेगा कि वह आवेदक इस प्रयोजन के लिए समुचित भौगोलिक उपदर्शन की एक नकल रजिस्ट्रार को दे, और यदि आवेदक वैसा करने में असफल रहता है, तो रजिस्ट्रार प्रमाणपत्र देने से इंकार कर सकेगा।

(2) जहां कि भौगोलिक उपदर्शन का रजिस्ट्रीकरण रंग संबंधी मर्यादा के बिना किया जाता है, वहां प्रमाणपत्र में सम्मिलित किए जाने वाले भौगोलिक उपदर्शन की नकल या तो उस रंग में हो सकेगी जिसमें कि वह रजिस्टर में दिखाया गया है या किसी अन्य रंग या रंगों में हो सकेगी और प्रमाणपत्र में यह कथत किया जाएगा कि भौगोलिक उपदर्शन रंग की मर्यादा के बिना रजिस्ट्रीकृत है।

(3) रजिस्ट्रार प्रमाणपत्र में भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण से सम्पृक्त ऐसी विशिष्टियां देगा, जैसी कि उसे ठीक लगती है और

रजिस्टर में दिए हुए किन्हीं दावात्यागों के प्रति निदेशों को उसमें लुप्त कर सकेगा। जिस प्रयोजन के लिए प्रमाणपत्र दिया गया है, वह प्रयोजन उसमें कथित किया जाएगा।

बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड में अपीलें

98. अपील के लिए समय :—(1) अधिनियम या नियमों के अधीन जो कोई विनिश्चय रजिस्ट्रार ने किया है उसकी अपील ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय में, जैसा कि बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड समनुज्ञात करे, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड में की जाएगी।

(2) अधिनियम अथवा नियमों के अधीन बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड से किए गये प्रत्येक आवेदन की प्रति की तामील रजिस्ट्रार पर की जाएगी।

मान्यता का प्रमाणपत्र

99. मान्यता के प्रमाणपत्र का टीप लिया जाना :—जहां कि बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड ने रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन की मान्यता के संबंध में, प्रमाण धारा 72 में यथा उपबंधित रूप में दिया है,वहां उसका रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी रजिस्ट्रार से प्ररूप भौ. उ. 7 में यह निवेदन कर सकेगा कि रजिस्ट्रर में की प्रविष्टि में यह टिप्पण बढ़ाया जाए कि मान्यता का प्रमाणपत्र, जिसकी विशिष्टियां निवेदन में दी जाएगी, कार्यवाहियों के दौरान अनुदत्त किया गया है। प्रमाणपत्र की जो प्रति राजकीय रूप से प्रमाणित है वह इस निवेदन के साथ भेजी जाएगी और रजिस्टार रजिस्टर में उस आशय का एक टिप्पण अभिलिखित करेगा और उस टिप्पण को जर्नल में प्रकाशित करेगा।

प्रदर्श लौटाना और अभिलेख नष्ट करना

100. प्रदर्श लौटाना :—(1) जहां कि अधिनियम या नियमों के अधीन किसी विषय या कार्यवाही में पेश किए गए प्रदर्श की आवश्यकता भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय में आगे के लिए नहीं रहती, वहां रजिस्ट्रार संपृक्त पक्षकार को समाहूत कर सकेगा कि यथास्थिति प्रदर्श रजिस्ट्रार द्वारा उल्लिखित समय के भीतर वापस ले जाएं और यदि पक्षकार वैसा करने में असफल रहता है, तो यथास्थिति ऐसे प्रदर्श के साथ नीचे उपनियम (2) में वर्णित रीति से व्यवहार किया जाएगा।

(2) जहां कोई प्रदर्श किसी कार्यवाही में पेश किए जा चुके हैं,वहां रजिस्ट्रार उस अवस्था में, जिसमें कि उसका यह समाधान हो जाता है कि उनका रखा जाना अब आवश्यक नहीं है, अधिसूचित तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् उन्हें नष्ट करा देगा।

101. अभिलेख नष्ट किए जाएंगे :—जहां कि भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रत्याहृत, परित्यक्त या खारिज कर दिया जाता है या कोई भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता रजिस्टर से हटा दिया जाता है, वहां रजिस्ट्रार यथास्थिति आवेदन के प्रत्याहृत या परित्यक्त या खारिज कर दिये जाने के पश्चात् या रजिस्टर से भौगोलिक उपदर्शन या है या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के हटाये जाने के पश्चात् तीन वर्ष की समाप्ति पर भौगोलिक उपदर्शन या संबंध उपयोगकर्ता के लिए आवेदन संबंधी सब अभिलेखों को या उनमें से किसी को नष्ट करा देगा।

भाग 2

भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता का रजिस्ट्रीकरण

102. भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता का रजिस्टर :—भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रार भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ताओं का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता का नाम उसके निवास स्थान का पता, कारबार के मुख्य स्थान का पता, राष्ट्रीयता, अर्हताएं और रजिस्ट्रकरण की तारीख प्रविष्ट की जाएगी।

103. विद्यमान रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता का रजिस्ट्रीकरण :—(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम, अधिसूचित तारीख को व्यापार चिह्न नियम 2002 के अधीन रखे गए। व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में है नियम 104 के अधीन रहते हुए अधिनियम और नियमों के अधीन भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझे गए भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ताओं के बने रहने की फीस अधिसूचित तारीख से ही संदेय होगी।

(3) रजिस्ट्रार, भौगोलिक उपदर्शन जर्नल में रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के लिए ड्रेस कोड प्रकाशित कर सकेगा।

(4) रजिस्ट्रार, जर्नल में रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ताओं के लिए आचार संहिता प्रकाशित कर सकेगा।

104. रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताएं :—(1) नियम 105 को उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता

के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्हतित समझा जाएगा यदि वह :—

(i) भारत का नागरिक है ;

(ii) 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है ;

(iii) उसने नियम 108 में विहित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या वह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अर्थ में अधिवक्ता है ;

(iv) भारत में किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है या तत्समान अर्हता रखता है ; और

(v) रजिस्ट्रार द्वारा भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए योग्य और उचित व्यक्ति समझा जाता है।

105. वे व्यक्ति जिनका रजिस्ट्रीकरण विवर्जित है :—ऐसा कोई व्यक्ति भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह :—

(i) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त या न्यायनिर्णीत कर दिया गया है ;

(ii) अननुमोचित दिवालिया है ;

(iii) अननुमोचित दिवालिया होते हुए उसने न्यायालय से इस आशय का प्रमाणपत्र नहीं प्राप्त किया है कि किसकी ओर से कोई अवचार किए बिना वह दुर्भाग्यवश दिवालिया हो गया था ;

(iv) भारत के अंदर या भारत से बाहर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जो निर्वासन या कारावास से दण्डनीय है, जब तक कि वह जिस अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ है उसके लिए उसे क्षमा नहीं मिल गया है या जब तक केन्द्रीय सरकार ने इस निमित किए गए आवेदन पर, उसकी निरयोग्यता को हटा नहीं दिया है ;

(v) विधि व्यवसायी होते हुए वृत्ति संबंधी अवचार का दोषी भारत में के किसी उच्च न्यायालय द्वारा या भारत की सीमाओं से बाहर वाले किसी न्यायालय द्वारा ठहराया गया है ;

(vi) चार्टर्ड एकाउंटेंट या कंपनी सचिव होते हुए किसी उच्च न्यायालय द्वारा उपेक्षा या अवचार का दोषी ठहराया गया है ; या

(vii) रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता होते हुए रजिस्ट्रार द्वारा वृतिक अवचार का दोषी ठहराया गया है।

106. आवेदन करने की रीति :—नियम 4 के उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस भाग के उपबंधों के अधीन सभी आवेदन तीन प्रतियों में किए जाएंगे और उस भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री को भेजे या उसमें उपस्थित किए जाएंगे जिसकी प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आवेदक के कारबार का मुख्य स्थान स्थित है।

107. भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन :—(1) भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्ररूप भौ.उ.-8 में आवेदन करेगा।

(2) आवेदक अपने आवेदन विषयक ऐसी अतिरिक्त जानकारी देगा जैसी देने की अपेक्षा उससे रजिस्ट्रार किसी समय करे।

108. आवेदन पर प्रक्रिया और अर्हक अपेक्षाएं :—(1) रजिस्ट्रार, भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक विहित अर्हताओं को पूरा करता है एक तारीख नियत करेगा जिस पर अभ्यर्थी उसके समक्ष भौगोलिक उपदर्शन विधि, पद्धति और प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होगा और उसके पश्चात् साक्षात्कार होगा। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाएगी कि वह अधिनियम और नियमों के उपबंधों की विस्तृत जानकारी और भौगोलिक उपदर्शन की विधि के तत्वों की जानकारी रखता हो।

(2) लिखित परीक्षा के लिए और साक्षात्कार के लिए अर्हक अंक क्रमश: 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत होंगे तथा अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण तभी घोषित किया जाएगा जब उसने कुल अंकों के कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

109. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र :—अभ्यर्थी का साक्षात्कार हो जाने और उसके आवेदन पर की कोई अन्य जानकारी अभिप्राप्त हो जाने के पश्चात् जिसे रजिस्ट्रार आवश्यक समझे, और यदि रजिस्ट्रार आवेदक को भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र या अर्हित समझता है तो वह आवेदक को इस आशय की एक सूचना भेजेगा और इस प्रकार सूचित कोई व्यक्ति पुरुष भौ.उ.-3 में विहित फीस का संदाय भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए कर सकेगा। ऐसे फीस की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार आवेदक के नाम को भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रविष्ट कराएगा और भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रूप में उसके रजिस्ट्रीकरण का प्ररूप आ.-4 में उसे प्रमाणपत्र जारी करेगा।

110. भौगोलिक उपदर्शन के अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किसी नाम का बना रहना :—भौगोलिक अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के बने रहने की यह शर्त होगी कि इस निमित विहित फीस प्ररूप भौ.-3 में देता रहे।

111. भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ताओं के रजिस्टर से अभिकर्ता का नाम हटाया जांना :—(1) रजिस्ट्रार, ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के नाम को भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ताओं के रजिस्टर से हटा सकेगा—

(क) जिससे इस आशय की प्रार्थना मिली है; या

(ख) जिससे उस तारीख से, जिस पर वार्षिक फीस शोध्य होती है, तीन मास की समाप्ति पर वार्षिक फीस प्राप्त नहीं हुई है।

(2) रजिस्ट्रार, राष्ट्रीयकृत भौगोलिक उपदर्शन के ऐसे किसी अभिकर्ता का नाम भौगोलिक उपदर्शन के अभिकर्ताओं के रजिस्टर से हटा देगा —

(क) जिसकी बाबत यह पाया जाता है कि वह अपने रजिस्ट्रीकरण के समय नियम 105 के खंड (i) से लेकर खंड (vi) तक में कथित निर्याग्यताओं में से किसी के अधीन है या तत्पश्चात् हो गया है; या

(ख) जिसकी बाबत रजिस्ट्रार ने इस कारण कि उसने अपनी वृतिक हैसियत में उपेक्षापूर्ण अवचार या बेईमानी का कोई काम किया है, यह घोषित किया है कि वह व्यक्ति रजिस्टर में बने रहने के लिए अयोग्य और अनुचित व्यक्ति है;

(ग) जिसका नाम रजिस्टर में भूल से या दूर्व्यपदेशन के कारण या किसी तात्विक तत्व को छुपाने के कारण प्रविष्ट किया गया है।

परंतु खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन ऐसी घोषणा करने के पूर्व रजिस्ट्रार संबद्ध व्यक्ति को यह हेतु संदर्शित करने के लिए समाहूत करेगा कि उसके रजिस्ट्रीकरण को अपखंडित क्यों न कर दिया जाए और वह ऐसी अतिरिक्त जांच भी यदि कोई हो, करेगा, जैसी कि वह आवश्यक समझता है।

(3) रजिस्ट्रार भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ताओं के रजिस्टर में से ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता का नाम हटा देगा, जो मर चुका है।

(4) यह बात कि भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ताओं के रजिस्टर में से किसी व्यक्ति का नाम हटा दिया गया है राजपत्र और जर्नल में अधिसूचित की जाएगी और जहां भी संभव हो उसकी ससूचना संबद्ध व्यक्ति को दी जाएगी।

112. कतिपय अभिकर्ताओं के साथ व्यवहार करने से इंकार करने की रजिस्ट्रार की शक्ति :—(1) रजिस्ट्रार निम्नलिखित को मान्यता देने से इंकार कर सकेगा।

(क) ऐसा कोई व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है और प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है;

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जो भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं है और जो रजिस्ट्रार की राय में भारत में या अन्यत्र उस व्यक्ति के नाम में या उसके लाभ के लिए जिसके द्वारा वह नियोजित किया जाता है भौगोलिक उपदर्शन को उपयोजित करने के लिए आवेदन करने में अभिकर्ता के रूप में पूर्णतः या प्रधानतः लगा है;

(ग) कोई कंपनी या फर्म, यदि कोई व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रार इन नियमों के अधीन किसी कारबार की बाबत अभिकर्ता के रूप में मान्यता देने से इंकार कर सकता था, कंपनी के निदेशक या प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है या उस फर्म में भागीदार है।

(2) रजिस्ट्रार इस नियम के अधीन किसी कारबार की बाबत ऐसे किसी व्यक्ति को अभिकर्ता के रूप में मान्यता देने से भी इंकार करेगा जो न तो भारत में निवास करता है और न कारबार का उसका कोई स्थान है।

113. हटाए गए नामों का प्रत्यावर्तन :—जिस व्यक्ति का नाम नियम 111 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन हटाया जा चुका है भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ताओं के रजिस्टर में से उसका नाम हटाए जाने की तारीख से छः मास के भीतर उस व्यक्ति से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस सहित आवेदन प्ररूप भौ. उ.-8 में प्राप्त होने पर भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रत्यावर्तित कर सकेगा और उस तारीख से, जिसको उसकी अंतिम वार्षिक फीस शोध्य हुई थी, एक वर्ष की कालावधि के लिए उसका नाम उस रजिस्टर में रहने दे सकेगा।

114. भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ताओं के रजिस्टर में परिवर्तन :—(1) भौगोलिक उपदर्शन का अभिकर्ता भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्त्ताओं के रजिस्टर में प्रविष्ट अपने नाम, निवास स्थान के पते, कारबार के मुख्य स्थान के पते, या अर्हताओं में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेगा। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ताओं के रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन कराएगा।

(2) भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किया गया प्रत्येक परिवर्तन जर्नल में अधिसूचित किया जाएगा।

115. भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ताओं के रजिस्टर का प्रकाशन :—भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ताओं का रजिस्टर और उसकी परिपूर्ण सूची समय-समय पर, कम से कम दो वर्ष में एक बार और जैसा कि रजिस्ट्रार ठीक समझता है प्रकाशित किया जाएगा, इसमें की प्रविष्टियां रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के अभिकर्ताओं के उपनामों का वर्णानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा, और उसकी प्रतियां विक्रयार्थ रखी जाएंगी।

116. अपील :—इन नियमों के भाग 2 के अधीन भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में रजिस्ट्रार के किसी आदेश या विनिश्चय से कोई अपील बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड को होगी और अपील बोर्ड का विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा।

पहली अनुसूची

[नियम 10 (1) देखें]

प्रविष्टि संख्या	किस पर संदेय है	रकम रुपयों में	तत्स्थानी प्ररूप संख्या
1. क	एक ही वर्ग में सम्मिलित माल के लिए भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर [धारा 11 (1), नियम 23 (2)]	5,000	भौ. उ.—1
1. ख	एक ही वर्ग में सम्मिलित माल के लिए भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए अभिसमय देश से आवेदन पर [धारा 11 (1) 84 (1), नियम 23 (3)]	5,000	भौ. उ.—1
1. ग	विभिन्न वर्गों के माल के भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन पर [धारा 11 (3), नियम 23 (5)]	प्रत्येक वर्ग के लिए 5,000	भौ. उ.—1
1. घ	विभिन्न वर्गों के माल के भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी अभिसमय देश से एकल आवेदन पर [धारा 11 (3), 84 (1), नियम 23 (4)]	प्रत्येक वर्ग के लिए 5,000	भौ. उ.—1
2. क	धारा 14 (1) के अधीन भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के विरोध या धारा 17 (3), (ङ), के अधीन प्राधिकृत उपयोगकर्ता के विरोध की सूचना पर	प्रत्येक वर्ग के लिए 1,000	भौ. उ.—2
2. ख	ऐसे प्रत्येक आवेदन के लिए जिसका विरोध किया गया है, धारा 14 (2) या धारा 17 (3), (ङ), के अधीन विरोध की सूचना के उत्तर में और प्रत्येक भौगोलिक उपदर्शन की बाबत धारा 27 के अधीन आवेदन के उत्तर में या धारा 29 के अधीन विरोध की सूचना के उत्तर में प्रतिकथन पर	1,000	भौ. उ.—2
2. ग	विरोध की सूचना फाइल करने के लिए समय बढाने के लिए आवेदन पर धारा 14, धारा 17 (3) (ङ), धारा 29, (2) नियम 41 (5)	300	भौ. उ.—2
3. क	धारा 17, नियम 56 (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर	500	भौ. उ.—3
3. ख	प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध पर—नियम 59 (1)	100	भौ. उ.—3
3. ग	प्राधिकृत उपयोगकर्ता के नवीकरण के लिए 18 (2) नियम 60 (1)	1000	भौ. उ.—3
4. क	भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के, अंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति पर धारा 18 (1) के अधीन नवीकरण के लिए नियम 60 (1)	3000	भौ. उ.—4
4. ख	रजिस्टर से हटाए गए भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं के प्रत्यावर्तन के लिए धारा 18 (5) के अधीन आवेदन पर, नियम 63	1000+ लागू नवीकरण फीस	भौ. उ.—4
4. ग	भौगोलिक उपदर्शन के अंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से छह मास के भीतर धारा 18 (4) के परंतुक और नियम 62 के परंतुक के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन पर	3,500	भौ. उ.—4
5. क	भौगोलिक उपदर्शनों या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्टर में भारत में कारबार के मुख्य स्थान के या निवास के पते में या विदेश में स्वदेश के पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध पर, धारा 28, नियम 69	300	भौ. उ.—5
5. ख	रजिस्टर में भौगोलिक उपदर्शन के स्वत्वधारी के नाम या विवरण में तबदीली की प्रविष्टि करने के लिए अनुरोध पर	300	भौ. उ.—5

प्रविष्टि संख्या	किस पर संदेय है	रकम रुपयों में	तत्स्थानी प्ररूप संख्या
5. ग	भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के नाम, या पते विवरण में किसी त्रुटि की शुद्धि के लिए अनुरोध पर (धारा 28क)	300	भौ. उ.—5
5. घ	प्राधिकृत उपयोगकर्ता को हटाने के लिए भाग ख में रजिस्टर की परिशुद्धि के लिए आवेदन पर, धारा 27, नियम 65	1000	भौ. उ.—5
5. ङ	धारा 15 के परन्तुक के अधीन माल के किसी वर्ग को विभाजन पर या भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किए गए आवेदन के विभिन्न वर्गों में विभाजन पर नियम 23 (7)	1000	भौ. उ.—5
5. च	एक वर्ग की बाबत नियम 22 के अधीन तलाशी के लिए	500	भौ. उ.—5
6. क	रजिस्टर के परिशोधन के लिए धारा 27 के अधीन या रजिस्टर से भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता को हटाने के लिए या रजिस्टर में अभिलिखित नियम 32 (1) के अधीन मामले के विवरण को निकालने या परिवर्तित करने के लिए आवेदन पर नियम 65	1000	भौ. उ.—6
6. ख	रजिस्टर के परिशोधन से संबंधित कार्यवाहियों में मध्यक्षेप करने की अनुमति के लिए या रजिस्टर से भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता को हटाने के लिए आवेदन पर नियम 67 और नियम 80 (4)	500	भौ. उ.—6
7. क	रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध पर [धारा 69 या धारा 78 (1) के अधीन प्रमाणपत्र से भिन्न] नियम 96	300	भौ. उ.—7
7. ख	पक्षकथन के समर्थन में शपथपत्र या अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षित अन्य दस्तावेजों पर	कोई फीस नहीं	भौ. उ.—7
7. ग	रजिस्टर में प्रविष्टि और अपील बोर्ड के विधिमान्यता प्रमाणपत्र के टिप्पण के विज्ञापन के लिए अनुरोध पर (नियम 99)	200	भौ. उ.—7
7. घ	रजिस्ट्रार के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन पर	500	भौ. उ.—7
7. ङ	भौगोलिक उपदर्शन के विज्ञापन की विशिष्टियों के लिए रजिस्ट्रार को अनुरोध पर	100	भौ. उ.—32
7. च	प्रमाणपत्र की दूसरी या और प्रति के लिए रजिस्ट्रार को अनुरोध पर	200	भौ. उ.—33
8. क	भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर—नियम 107	1000	भौ. उ.—8
8. ख	भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रूप में प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध पर—नियम 109	1000	भौ. उ.—8
8. ग	नियम 110 के अधीन भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम को बनाए रखने के लिए —प्रत्येक वर्ष के लिए (पहले वर्ष को छोड़कर) प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल को संदत्त की जाएगी। —1 अप्रैल और 30 सितम्बर के बीच किसी समय रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की दशा में, पहले वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के साथ संदत्त की जाएगी। **टिप्पण**—इस प्रयोजन के लिए वर्ष अप्रैल के पहले दिन को प्रारंभ होगा और अगली मार्च के 31वें दिन समाप्त होगा।	1000	भौ. उ.—8

प्रविष्टि	किस पर संदेय है संख्या	रकम रुपयों में	तत्स्थानी प्ररूप संख्या
8. घ	नियम 113 के अधीन भौगोलिक उपदर्शनों के लिए रजिस्ट्रर में किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर	1000 + प्रविष्टि सं. 8ग के अधीन जारी रखने की फीस	भौ. उ.—8
9. क	कतिपय माल को अतिरिक्त संरक्षण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन पर। धारा (22)(2), नियम 77(1)	25,000	भौ. उ.—9
9. ख	रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन में जोड़ने या परिवर्तित करने की अनुमति के लिए आवेदन पर (सिवाय वहां के जहां किसी लोक प्राधिकारी के किसी आदेश के परिणामस्वरूप या किसी कानूनी अपेक्षा के फल स्वरूप) आवेदन किया जाता है। धारा 29	300	भौ. उ.—9
9. ग	ऐसे समय के विस्तार के लिए जो अधिनियम में अभिव्यतत: उपबंधित या नियमों में विहित समय नहीं है, आवेदन पर नियम 83	300	भौ. उ.—9
10. क	रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के रद्दकरण के लिए या माल को काट देने के लिए आवेदन पर (धारा 28 (ग) या (घ)	300	भौ. उ.—10
10. ख	अधिनियम के अधीन किसी विषय या कार्यवाही में अभिकर्ता के प्राधिकरण का प्ररूप—धारा 76 नियम 20	कोई नहीं	भौ. उ.—10
11.	किसी प्रतिवादित कार्यवाही में किसी अंतरवर्ती विषय पर रजिस्ट्रार का आदेश अभिप्राप्त करने हेतु याचिका पर (जो अन्यथा प्रभारित नहीं है)	500	
12.	धारा 78(1) में वर्णित दस्तावेज का निरीक्षण करने के लिए—		
	(क) किसी विशिष्ट भौगोलिक उपदर्शन या उसके प्राधिकृत उपयोगकर्ता के संबंध में प्रत्येक घण्टे या उसके भाग के लिए	100	
	(ख) कम्प्यूटर में खोज (जब उपलब्ध कराया जाए) प्रत्येक 15 मिनट के लिए	100	
	(ग) धारा 78 में वर्णित अनुक्रमणिका की खोज, प्रत्येक घण्टे या उसके भाग के लिए	100	
13.	दस्तावेजों की कापी करने के लिए (फोटोकापी या टंकित) प्रत्येक पृष्ठ या एक पृष्ठ से अधिक उसके भाग के लिए	10	

दूसरी अनुसूची

प्ररूप

(प्ररूपों की सूची)

प्ररूप सं	अधिनियम की धारा	नाम	प्रविष्टि सं.
1	2	3	4
भौ.उ.—1	धारा 11(1), नियम 23 (2)	एक की वर्ग में सम्मिलित माल के लिए भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन	1क
भौ.उ.—1	धारा 11(1), धारा 84 (1), नियम 23 (3)	एक ही वर्ग में सम्मिलित माल के लिए भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी अभिसमय देश से आवेदन	1ख

		लिए एकल आवेदन	
भौ.उ.—1	धारा 11(3), धारा 84 (1), नियम 23 (4)	विभिन्न वर्गों के माल के लिए भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी अभिसमय देश से एकल आवेदन	1घ
भौ.उ.—2	धारा 14(1), धारा 17 (3) (ङ), नियम 41	भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के विरोध या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के विरोध की सूचना	2क
भौ.उ.—2	धारा 14(2), या धारा 17 (3), (ङ), धारा 27 और धारा 29, नियम 43(1) नियम 58, नियम 72(2)	प्रतिकथन का प्ररूप	2ख
भौ.उ.—2	धारा 14(1), या धारा 17 (3), (ङ), धारा 29 (2) नियम 41 (5), नियम 58, नियम 66, और नियम 72(2)	विरोध की सूचना फाइल करने के लिए समय को बढ़ाने के लिए आवेदन	2ग
भौ.उ.—3	धारा 17, नियम 56 (1)	रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन	3क
भौ.उ.—3	धारा 18(5), नियम 59	प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध	3ख
भौ.उ.—3	धारा 18(2), नियम 60(1)	प्राधिकृत उपयोगकर्ता के नवीकरण के लिए	3 ग
भौ.उ.—4	धारा 18(4), नियम 60	भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण का, अंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति पर, नवीकरण	4क
भौ.उ.—4	धारा 18(5), नियम 63	रजिस्टर से हटाए गए भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन	4ख
भौ.उ.—4	धारा 18(4), का परन्तुक, नियम 62 का परंतुक	भौगोलिक उपदर्शन के, अंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से छह मास के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन	4ग
भौ.उ.—5	नियम 22	एक वर्ग के लिए खोज के अनुरोध	
भौ.उ.—6	धारा 27	रजिस्टर के परिशोधन या रजिस्टर से भौगोलिक उपदर्शन को हटाने या रजिस्टर में अभिलिखित नियम 31(1) के अधीन मामले के विवरण को निकालने या परिवर्तित करने के लिए आवेदन	6क
भौ.उ.—7	धारा 69 या धारा 78 (1), नियम 96	रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध [धारा 16 (2) के तहत प्रमाण-पत्र से भिन्न]	7क
भौ.उ.—5	धारा 28, नियम 69	भौगोलिक उपदर्शनों या प्राधिकृत उपयोगकर्त्ता के रजिस्टर में भारत में कारबार के मुख्य स्थान या निवास के पते में या भारत से बाहर स्वदेश के पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध	5क
भौ.उ.—5	धारा 28 (ग)	रजिस्टर में भौगोलिक उपदर्शन के स्वत्वधारी के नाम या वर्णन में तब्दीली की प्रविष्टि करने का अनुरोध	5ख
भौ.उ.—5	28(क)	भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या प्राधिकृत उपयोगकर्त्ता के नाम, पते या विवरण में किसी त्रुटि की शुद्धि के लिए अनुरोध।	5ग

1	2	3	4
भौ.उ.—7	नियम 93	पक्षकथन के समर्थन में शपथपत्र या अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षित अन्य दस्तावेजें	7ख
भौ.उ.—10	28 (ग) या (घ)	रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के रद्दकरण या माल के उससे काट देने के लिए आवेदन।	10क
भौ.उ.—6	नियम 67 और 80 (4)	रजिस्टर के परिशोधन से संबंधित कार्यवाहियों में मध्येक्ष करने की अनुमति के लिए या रजिस्टर से भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता को हटाने के लिए आवेदन।	6ख
भौ.उ.—7	72 नियम 99	रजिस्टर में प्रविष्टि और अपील बोर्ड के विधिमान्यता प्रमाणपत्र के टिप्पण के विज्ञापन के लिए अनुरोध।	7ग
भौ.उ.—5	धारा 27, नियम 65	प्राधिकृत उपयोगकर्ता को हटाने के लिए रजिस्टर के भाग ख के परिशोधन के लिए आवेदन।	5घ
भौ.उ.—5	धारा 15 का परन्तुक, नियम 23 (7)	विभिन्न वर्गों में भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किए गए आवेदन का विभाजन।	5च
भौ.उ.—9	64, नियम 83	ऐसे समय के विस्तार के लिए जो अधिनियम में अभिव्यक्त: उपबंधित या नियमों में विहित नहीं है, आवेदन।	9ग
भौ.उ.—7	63, नियम 92	रजिस्ट्रार के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन।	7घ
भौ.उ.—7	नियम 40	भौगोलिक उपदर्शन के विज्ञापन की विशिष्टियों के लिए रजिस्ट्रार से अनुरोध।	7ङ
भौ.उ.—7	नियम 55 (2)	प्रमाणपत्र की दूसरी या और प्रति के लिए रजिस्ट्रार से अनुरोध।	7च
भौ.उ.—9	29	रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन में जोड़ने या परिवर्तन करने हेतु अनुमति के लिए आवेदन (सिवाय वहां के जहां किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी आदेश या किसी कानूनी अपेक्षा के फलस्वरूप आवेदन किया जाता है।)	9ख
भौ.उ.—9	22(2) नियम 77 (1)	कतिपय माल को अतिरिक्त संरक्षण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन।	9क
भौ.उ.—8	नियम 107	भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।	8क
भौ.उ.—8	नियम 109	भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रूप में प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध।	8ख
भौ.उ.—8	नियम 110	नियम 110 के अधीन भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम को बनाए रखने के लिए— —प्रत्येक वर्ष के लिए (पहले वर्ष को छोड़कर) प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल को संदत्त की जाएगी। —1 अप्रैल और 30 सितम्बर के बीच किसी समय रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की दशा में पहले वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के साथ संदत्त की जाएगी।	8ग
भौ.उ.—8	नियम 113	नियम 113 के अधीन भौगोलिक उपदर्शनों के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन।	8घ
भौ.उ.—10	76, नियम 20	अधिनियम के अधीन किसी विषय या कार्यवाही में अभिकर्ता के प्राधिकरण का प्ररूप।	10ख

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

(मामले के कथन के साथ तीन प्रतियों में फाइल किया जाएगा जिसके साथ भौगोलिक उपदर्शन की पांच अतिरिक्त समाकृतियां होंगी)

एक समाकृति दिए गए स्थान पर लगाई जाएगी और पांच अन्य पृथक रूप से भेजी जाएंगी

प्ररुप भौ. उ. 1

क	रजिस्टर के भाग क में भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन धारा 11 (1) नियम 23 (2) फीस: 5,000 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 1 क देंखे)	
ख	रजिस्टर के भाग क में भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी अभिसमय देश से आवेदन धारा 11 (1), 84 (1), नियम 23 (3) फीस: 5,000 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 1 ख देखें)	

1. (क) ..... द्वारा रजिस्टर के भाग क में आवेदन के साथ संलग्न भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित विशिष्टियां देते हुए आवदेन किया जाता है:

- आवेदक का नाम :
- पता :
- व्यक्तियों/उत्पादकों के संगम/संगठन/प्राधिकारी की सूची :
- माल की किस्म :
- विनिर्देश 3
- भौगोलिक उपदर्शन का नाम (और विशिष्टियां):
- माल का विवरण :
- उत्पादन का भौगोलिक क्षेत्र और उसका नक्शा :
- उद्भव का सबूत (ऐतिहासिक अभिलेख) :
- उत्पादन का ढंग :
- अद्वितीयता :
- निरीक्षण निकाय
- अन्य :

तथा उसके साथ (घ) ..... के नाम में जिसका पता (ङ) ..... है और जो उक्त माल के जिसके संबंध में भौगोलिक उपदर्शन है, उत्पादकों के हित का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है और जिसका उक्त माल के संबंध में ..... से सतत उपयोग किया जा रहा है, (ग)..... की बाबत (ख) ..... (ख) ..... वर्ग में के मामले का कथन भी है।

2. आवेदन में ऐसी विशिष्टियां समाविष्ट होंगी जिनकी मामले के कथन में नियम 32 (1) में मांग की गई है।

3. इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी।

4. किसी अभिसमय देश से किसी आवेदन की दशा में निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्टयां भी दी जाएंगी :—

(क) भौगोलिक उपदर्शन के उद्भव के देश का अभिनाम

(ख) भौगोलिक उपदर्शन के, उसके अपने उद्भव के देश में विद्यमान संरक्षण के बारे में साक्ष्य जैसे ऐसे प्रलेख के हक और सुसंगत विधायी या प्रशासनिक उपबंधों की तारीख, न्यायिक विनिश्चयों या रजिस्ट्रीकरण की तारीख और संख्या तथा ऐसे प्रलेख की प्रतियां

(5) हस्ताक्षर

हस्ताक्षर करने वाले का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)

ग	विभिन्न वर्गों के अंतर्गत आने वाले माल के लिए रजिस्टर के भाग क में भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन धारा 11 (3) नियम 23 (5) फीस: 5,000 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 1 ग देखें)
घ	विभिन्न वर्गों के अंतर्गत आने वाले माल के लिए रजिस्टर के भाग क में भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी अभिसमय देश से एकल आवेदन धारा 11 (3), नियम 23 (4) फीस: 5,000 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 1 घ देखें)

1. (क) ..... द्वारा रजिस्टर के भाग क में आवेदन के साथ संलग्न भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित विशिष्टियां देते हुए आवदेन किया जाता है :

- आवेदक का नाम :
- पता :
- व्यक्तियों/उत्पादकों के संगम/संगठन/प्राधिकारी की सूची :
- माल की किस्म :
- विनिर्देश :
- भौगोलिक उपदर्शन का नाम (और विशिष्टियां) :
- माल का विवरण :
- उत्पादन का भौगोलिक क्षेत्र और उसका नक्शा :
- उद्भव का सबूत (ऐतिहासिक अभिलेख) :
- उत्पादन का ढंग :
- अद्वितीयता :
- निरीक्षण निकाय
- अन्य :

तथा उसके साथ (घ) ..... के नाम में जिसका पता (ङ) ..... है और जो उक्त माल के जिसके संबंध में भौगोलिक उपदर्शन है, उत्पादकों के हित का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है और जिसका उक्त माल के संबंध में ..... से सतत उपयोग किया जा रहा है,

(i) ख ..... की बाबत ..... वर्ग क

(ii) ख ..... की बाबत ..... वर्ग क

(iii) ख ..... की बाबत ..... वर्ग क

वर्ग में के मामले का कथन भी है।

2. आवेदन में ऐसी विशिष्टियां समाविष्ट होंगी जिनकी मामले के कथन में नियम 32 (1) में मांग की गई है।

3. इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी।

(5) हस्ताक्षर

हस्ताक्षर करने वाले का नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

अनुदेशों के लिए कृपया पृष्ठ की दूसरी ओर देंखे

भौ. उ.-1 क से 1घ

रजिस्ट्रार, भौगोलिक उपदर्शन,

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का कार्यालय ।

(क) जो लागू न हो उसे काट दें।

(ख) यदि माल का वर्ग ज्ञात नहीं है तो रजिस्ट्रार का निदेश अभिप्राप्त किया जाए।

(ग) यहां माल को विनिर्दिष्ट करें। एक या उसी वर्ग में सम्मिलित माल को भी विनिर्दिष्ट किया जाए

(घ) आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (आवेदक की उपजीविका, आजीविका तथा राष्ट्रिकता) सुपठ्य रूप में लिखें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, याथास्थिति, निगमन का देश या फर्म को गठित करने वाले भागीदारों के नाम, तथा उसके विवरण और रजिस्ट्रीकरण की प्रकृति, यदि कोई हो, बताई जानी चाहिए, नियम 15 देखिए।

(ङ) आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

प्ररुप भौ. उ.-2

क	किसी भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के विरोध की सूचना [धारा 14 (1), 17(3), नियम 41 (1)] फीस: प्रत्येक वर्ग के लिए 1,000 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 2 क देखें)	

..... द्वारा आवेदन सं. ..... के मामले में, मैं (या हम) ..... उस भौगोलिक उपदर्शन/प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण का, जो तारीख ..... मास ..... 20 ..... के भौगोलिक उपदर्शन जर्नल सं ..... पृष्ठ ..... पर ..... वर्ग के लिए उपर्युक्त संख्याओं के अधीन प्रकाशित किया गया है, विरोध करने के अपने आशय की सूचना देता हूं(देते हैं)।

विरोध के आधार निम्नलिखित हैं—

3 .....

इन कार्यवाहियों के संबंध में सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं—

आज तारीख ..... मास ..... 20 .....

4 हस्ताक्षर

ख	प्रतिकथन का प्ररुप धारा 2, 14, 17 (3), 27 नियम 43(1), 66 (तीन प्रतियों में भरा जाए) फीस 1,000 रुपए (प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 2ख देंखे)	

भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए ..... वर्ग में ..... आवेदन सं. ..... के विरोध सं. ..... के मामले में, मैं (या हम) ..... जो उपर्युक्त भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक हैं, इसके द्वारा यह सूचना देता हूँ

(देते हैं) कि निम्नलिखित आधार हुए हैं जिनका मैं (या हम) अपने आवेदन के लिए अवलंब लेता हूं (लेते हैं) :—

मैं (या हम) ..... विरोध की सूचना में निम्नलिखित अभिकथनों को स्वीकार करता हूं (करते हैं)।

2. इन कार्यवाहियों के संबंध में सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं—

....

आज तारीख ..... मास ..... 20 .....

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर करने वाले का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

ग

विरोध की सूचना देने के लिए समय बढ़ाए जाने के लिए आवेदन

धारा 14 (1), 17 (3) (ङ) और 29 (2), नियम 41(5)

फीस: 300 रुपए

(पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 2 ग देंखे)

..... वर्ग में आवेदन सं. के विषय में, मैं (या हम) (1)..... भौगोलिक उपदर्शन जर्नल, तारीख ..... मास ..... 20 ..... में उपर्युक्त संख्यांक के अधीन भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत प्रयोगकर्त्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए विरोध की सूचना देने के लिए ..... (2) के समय को बढ़ाने के लिए आवेदन करता हूं (करते हैं)

इस आवेदन को करने के लिए निम्नलिखित कारण हैं —

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं —

आज तारीख ..... मास ..... 20 .....

हस्ताक्षर (3).....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

अनुदेशों के लिए कृपया पृष्ठ के दूसरी ओर देखें

भौ. उ.-2 क

सेवा में,

रजिस्ट्रार भौगोलिक उपदर्शन,

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का कार्यालय।

1. पूरा नाम और पता लिखें । भारत में तामील के लिए कोई पता दिया जाना चाहिए यदि विरोधी का भारत में कारबार का कोई स्थान या निवास नहीं है।
2. यदि रजिस्ट्रीकरण का इस आधार पर विरोध किया जाता है कि भौगोलिक उपदर्शन रजिस्टर पर पहले के व्यापार चिन्ह या भौगोलिक उपदर्शन के सदृश है तब उस भौगोलिक उपदर्शन और जर्नल के संख्यांक, जिसमें वे विज्ञापित किए गए थे, वर्णित किए जाने चाहिएं।
3. विरोध करने वाले या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

भौ. उ.-2ख

1. पूरा नाम और पता लिखें जो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में दिए गए हैं।

2. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

भौ. उ. - 2ग

1. पूरा नाम और पता लिखें।
2. अपेक्षित निष्पादक की अवधि लिखें जो जर्नल में आवेदन के, विज्ञापन या पुनर्विज्ञापन की तारीख से इन मासों के पश्चात् एक मास से अधिक की नहीं होगी।
3. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

प्ररूप भौ. उ.—3

क प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

धारा 17 (1), नियम 56 (1)

फीस : 500 रुपए

(तीन प्रतियों में भरा जाए जिसके साथ रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित प्राधिकृत उपयोगकर्ता के बीच करार, यदि कोई हो या उसकी अधिप्रमाणित प्रति तथा नियम 56 में वर्णित अन्य दस्तावेज और एक शपथ पत्र होगा जिसमें नियम 56 द्वारा अपेक्षित विशिष्टियों और कथन वर्णित होंगे तथा उनके साथ पूर्वोक्त दस्तावेजों में से प्रत्येक की दो दो प्रतियां होंगी)।

(पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 3 क देखें)

मेरे/हमारे ..... जो ..... माल की बाबत ..... वर्ग में रजिस्ट्रीकृत ..... भौगोलिक उपदर्शन का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी हूं (है) जो ऊपर वर्णित रजिस्ट्रीकृत उपदर्शन के रजिस्टर के भाग ख में प्रस्तावित प्राधिकृत उपयोगकर्ता हैं, द्वारा आवेदन किया जाता है। उस आवेदन का पक्ष कथन जो उत्पादक होने का दावा करता है, इसके साथ संलग्न है रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी से सहमति पत्र की एक प्रति इसके साथ संलग्न है/संलग्न नहीं है।

इस आवेदन से संबधित सभी संसूचाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :—

आज तारीख ..... मास ..... 20 .....

4हस्ताक्षर

ख प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध

धारा 16 (2), 17 (3) (छ), नियम 59 (1)

फीस : 100 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 3 देखें)

रजिस्ट्रार से धारा 17 (3)(छ) सपठित नियम 59(1) के अधीन अनुरोध किया जाता है कि यह रजिस्टर के भाग ख में .....वर्ग में ..... रजिस्ट्रीकृत सं ..... के अधीन ..... रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के लिए आवेदन सं ..... की बाबत प्राधिकृत उपयोगकर्ता प्रमाणपत्र जारी करें।

आज तारीख ..... मास ..... 20 .....

2हस्ताक्षर

अनुदेश के लिए कृपया पृष्ठ के दूसरी ओर देखें

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

प्ररूप भौ. उ.—3

ग प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण

धारा 18(2), नियम 60(1)

फीस : 1000 रुपए

(पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं 3ग देखें)

मैं (या हम) (1) ..... वर्ग में प्राधिकृत उपयोगकर्ता सं. ..... के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए ..... रुपए की विहित फीस जमा करता हूं (करते हैं)। रजिट्रीकरण के नवीकरण की सूचना भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाए।

आज तारीख ..... मास ..... 20 .....

2 हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार भौगोलिक उपदर्शन,

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का कार्यालय।

1. प्राधिकृत उपयोगकर्ता का पूरा नाम और पता लिखें।
2. प्राधिकृत उपयोगकर्ता या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
3. भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय का नाम और स्थान लिखें — नियम 4 देखें।

टिप्पण – यदि यह प्ररूप अंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से छह मास से अधिक पहले भरा जाता है तो यह वापस कर दिया जाएगा।

सेवा में,

रजिस्ट्रार भौगोलिक उपदर्शन,

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का कार्यालय।

भौ. उ. – 3क

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी की विशिष्टियां दें
2. नाम और पता लिखें
3. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/उत्पादक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर

भौ. उ. – 3ख

1. उत्पादक के हस्ताक्षर

भौ. उ. – 3ग

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी की विशिष्टियां दें
2. उत्पादक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर

क भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण

धारा 18 (1), नियम 61

फीस: 3,000 रुपए

(पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 4 क देखें)

मैं (या हम) (1) ..... वर्ग में भौगोलिक उपदर्शन सं. ..... के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए ..... रुपए की विहित फीस जमा करता हूँ (करते हैं)। रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की सूचना भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी।

आज तारीख ..... मास ..... 20 .....

.....

4 हस्ताक्षर

ख नवीकरण फीस के संदाय न किए जाने के कारण रजिस्टर से हटाए गए भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता का प्रत्यावर्तन

धारा 18 (5), नियम 63

फीस: 1,000 रुपए +पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 4 क या 3 ग में विहित लागू नवीकरण फीस

मैं (या हम) ..... आवेदन करता हूं (करते हैं) कि ..... वर्ग में भौगोलिक उपदर्शन सं. ..... रजिस्टर पर प्रत्यावर्तित किया जाए और पूर्वोक्त वर्ग में उक्त भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत किया जाए तथा प्रत्यावर्तन और नवीकरण की सूचना भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाए।

आज तारीख ..... मास ..... 20 .....

2 हस्ताक्षर

ग धारा 18 की उपधारा (4) के परंतुक के अधीन भौगोलिक उपदर्शन के नवीकरण मद्दे अधिभार के संदाय के लिए आवेदन

फीस: 5,300 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 4 ग देखें)

मैं (या हम) ..... जो रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी हूँ/हैं, ... वर्ग में रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन सं. ..... के उस रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूं (करते हैं) जो ..... को समाप्त हो गया है और उसकी बाबत विहित अधिभार निविदत्त करता हूं/करते हैं और नवीकरण प्रमाणपत्र भारत में निम्नलिखित पते पर भेजा जाए।

आज तारीख ..... मास ..... 20 .....

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का स्पष्ट अक्षरों में नाम

अनुदेशों के लिए कृपया पृष्ठ की दूसरी ओर देखें।

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

प्ररुप भौ. उ.-5

क	भौगोलिक उपदर्शन रजिस्टर में प्राधिकृत उपयोगकर्ता के भारत में कारबार के मुख्य स्थान या निवास के पते में या विदेश में उसके गृह देश में पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध धारा 28, नियम 69 फीस: 300 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 5 क देखें)	

.....वर्ग में रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन संख्या.....के मामले में मैं/हम.....निवासी.....जो उपर्युक्त रूप में संख्यांकित भौगोलिक उपदर्शन का/के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/प्राधिकृत उपयोगकर्ता हूँ/हैं, यह अनुरोध करता हूं/करते हैं कि भौगोलिक उपदर्शन रजिस्टर में भारत में मेरे/हमारे कारबार के मुख्य स्थान या निवास के पता अथवा विदेश के गृह देश में मेरा/हमारा पता.....में परिवर्तित किया जाए।

पते में परिवर्तन का आदेश.....तारीख.....मास.....20.....को किया गया था। उक्त आदेश की एक शासकीय प्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न है।

इस अनुरोध से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं—

आज तारीख.....मास.....20.....

2.....

हस्ताक्षर

ख	उन व्यक्तियों या उत्पादकों के संगम या ऐसे किसी संगठन या प्राधिकारी के जिसके नाम में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकृत है नाम या विवरण में परिवर्तन को प्रविष्ट करने का अनुरोध। धारा 28, (ख) फीस: 300 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 5 ख देखें)	

मैं (या हम).....यह अनुरोध करता हूं (करते हैं) कि मेरा (या हमारा) नाम और विवरण भौगोलिक उपदर्शन रजिस्टर में 2.....वर्ग में रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन सं. 3.....के स्वत्वधारी/प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में प्रविष्ट किया जाए।

मैं (हम) उक्त भौगोलिक उपदर्शन.....का प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में उपयोग करने के लिए हकदार हूँ(हैं)। उक्त् भौगोलिक उपदर्शन की वास्तविक स्वत्वधारिता 2/प्राधिकृत उपयोगकर्ता की पहचान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है किंतु 4.....रजिस्टर में वर्तमान में की प्रविष्टि में मेरा (या हमारा) नाम और विवरण (3) इस प्रकार है :—

5 अनुरोध की एक प्रति प्राधिकृत उपयोगकर्ता/स्वत्वधारी पर तामील कर दी गई है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं—

आज तारीख.....मास.....20.....

6.....

हस्ताक्षर

अनुदेश के लिए कृपया पृष्ठ की दूसरी और देखें।

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

प्ररुप भौ. उ.-5

ग	भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के नाम, पते या विवरण में किसी त्रुटि की शुद्धि के लिए अनुरोध। धारा 28, क फीस: 300 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सख्या 5 ग देंखे)	

वर्ग में रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन स.....के मामले में

मैं/हम.....निवासी.....जो उपर्युक्त रूप में संख्यांकित भौगोलिक उपदर्शन का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी 2. या प्राधिकृत उपयोगकर्ता हूँ/हैं, यह अनुरोध करता हूं/करते हैं कि भौगोलिक उपदर्शन रजिस्टर में भारत में मेरे/हमारे कारबार के मुख्य स्थान (या निवास स्थान) के पते को या विदेश के गृह देश में मेरे/हमारे पते को.....में परिवर्तित कर दिया जाए।

3. पते में परिवर्तन का आदेश.....तारीख.....मास.....20.....को किया गया था। उक्त आदेश की एक शासकीय प्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न हैं।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं—

इस अनुरोध से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत नें निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं—

आज तारीख.....मास.....20.....

2.....

हस्ताक्षर

घ	प्राधिकृत उपयोगकर्ता को हटाने के लिए भाग ख में रजिस्टर की परिशुद्धि के लिए आवेदन धारा 27, और नियम 65 फीस: 1000 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 5 घ देंखे)	

.....वर्ग में .....के नाम में रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन सं. .....के मामले में

मैं (या हम).....आवेदन करता हूँ/करते हैं कि रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन सं. .....के ऊपर वर्णित प्राधिकृत उपयोगकर्ता की बाबत रजिस्टर में प्रविष्टि (हटाई जाए) 2 निम्नलिखित रीति में परिशोधित की जाएं :—

मेरे (हमारे) आवेदन के आधार निम्नलिखित है :—

3. भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय.....रजिस्टर में इस भौगोलिक उपदर्शन के संबंध में समुचित कार्यालय के रूप में प्रविष्ट किया गया है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं—

आज तारीख.....मास.....20.....

4.....

हस्ताक्षर

अनुदेश के लिए कृपया पृष्ठ की दूसरी और देखें।

ड़	माल के विभिन्न वर्गों में भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किए गए आवेदन के विभाजन के लिए आवेदन धारा 15 का परंतुक, नियम 23 (7), 82 (ख) फीस: 1000 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 5 ङ देंखे)	

के नाम में .....के वर्ग में .....को फाइल किए गए भौगोलिक उपदर्शन संख्या .....के मामले में

मैं (या हम).....रजिस्ट्रार से आवेदन संख्या.....का विभाजन करने के लिए या.....वर्ग/वर्गों में .....एकल आवेदन को निम्नलिखित वर्ग या वर्गों में विभाजन के लिए अथवा.....वर्ग में माल या सेवाओं के विनिर्देश को नीचे उपदर्शित रूप में विभाजित करने के लिए अनुरोध करता हूँ/करते हैं।

.....

.....

इस अनुरोध पर रजिस्ट्रार के आदेश की एक प्रति भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं—

आज तारीख.....मास.....20.....

2.....

हस्ताक्षर

च	नियम 22 के अधीन तलाश के लिए अनुरोध फीस : 500 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 5 च देंखे)	

रजिस्ट्रार से नियम 22 के अधीन अनुरोध किया जाता है कि वह 2.....की बाबत.....वर्ग में यह अभिनिश्चित करने के लिए तलाश करें कि क्या अभिलेख पर ऐसा कोई भौगोलिक उपदर्शन है जो भेजे गए व्यापार चिन्ह या भौगोलिक उपदर्शन के सदृश है जिसकी तीन प्रतियां दी गई हैं। (प्रत्येक समाकृति लगभग 33 सें. मी. गुणित बीस सें. मी. के आकार वाले मजबूत कागज की शीट पर मढ़ी गई है)

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं—

आज तारीख.....मास.....20.....

4.....

हस्ताक्षर

अनुदेश के लिए कृपया पृष्ठ की दूसरी ओर देखें।

सेवा में

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रार
भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय

भौ. उ — 5 क

1. जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

2. परिवर्तन का आदेश करने वाले लोक प्राधिकारी का नाम और परिवर्तन की तारीख लिखें।

3. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/प्राधिकृत उपयोगकर्ता या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

भौ. उ. - 5 ख

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या प्राधिकृत उपयोगकर्ता का नाम और वर्तमान पता लिखें।
2. जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें।
3. उन परिस्थितियों का कथन करें जिनके अधीन नाम में परिवर्तन किया गया है।
4. यदि लागू न हों तो काट दें।
5. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

पाद टिप्पण :—जहां नाम में किसी परिवर्तन या उसे बदलने के लिए आवेदन किसी लोक प्राधिकारी के किसी आदेश या किसी कानून के परिणामस्वरूप किया जाता है तो वहां कोई भी फीस संदेय नहीं होंगी।

भौ.उ. - 5 ग

1. जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।
2. परिवर्तन का आदेश करने वाले लोक प्राधिकारी का नाम और परिवर्तन की तारीख लिखें।
3. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

पाद टिप्पण :—यदि परिवर्तन भारत में किसी लोक प्राधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप किया जाता है तो कोई फीस संदेय नहीं है।

भौ.उ. - 5 घ

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता का उल्लेख करें। यदि आवेदक का भारत में कारबार का कोई मुख्य स्थान या निवास नहीं है तो भारत में तामील के लिए किसी पते का कथन किया जाए।
2. जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।
3. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

भौ.उ. - 5 ङ

1. आवेदक का पूरे नाम, पते और राष्ट्रिकता का उल्लेख करें।
2. माल या सेवा और वर्गों का आरोही संख्याओं में वर्णन करें जिनमें वह रजिस्टर किया जाना है।
3. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

भौ.उ. - 5 च

1. यदि वर्ग ज्ञात न हो तो रजिस्ट्रार का निदेश अभिप्राप्त किया जाए।
2. यहां पर उस माल को (कथित वर्ग में) विनिर्दिष्ट करें जिसकी बाबत तलाश की जानी है।

पाद टिप्पण : जहां फीस के संदाय से छूट के लिए केन्द्रीय सरकार से निदेश अभिप्राप्त कर लिए गए हैं वहां कोई फीस संदेय है।

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

प्ररूप भौ. उ. 6

क	रजिस्टर की परिशुद्धि या रजिस्टर से भौगोलिक उपदर्शन को हटाने या रजिस्टर में अभिलिखित नियम 32(1) के अधीन मामले के कथन को काट देने अथवा परिवर्तित करने के लिए आवेदन धारा 27 और नियम 65 फीस : 1000 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 क देखें)	

.....वर्ग में.....के नाम में रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन सं. .....के मामले में मैं (या हम).....आवेदन करता हूं /करते हैं कि ऊपर वर्णित भौगोलिक उपदर्शन की बाबत रजिस्टर में प्रविष्टि, निम्नलिखित रीति से (हटा दी जाए)2 (परिशोधित की जाए)—

मेरे/हमारे आवेदन के आधार निम्नलिखित हैं:—

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय 3 .....की रजिस्टर में इस भौगोलिक उपदर्शन के संबंध में समुचित कार्यालय के रूप में प्रविष्टि की गई है।

प्रश्नगत भौगोलिक उपदर्शन से संबंधित कोई भी कार्रवाई किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

इस आवेदन से संबधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं।

आज तारीख.....मास.....20.....

4.....

4.हस्ताक्षर

ख	रजिस्टर की परिशुद्धि या रजिस्टर से भौगोलिक उपदर्शन के हटाने या रजिस्टर से भौगौलिक उपदर्शन के किसी प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रद्दकरण से संबंधित कार्रवाहियों में मध्यक्षेप करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन नियम 67, 80 (4) फीस : 500 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 ख देखें)	

.....वर्ग में.....के नाम में.....रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन सं.....के मामले में मैं/हम रजिस्टर की परिशुद्धि या रजिस्टर से भौगोलिक उपदर्शन के हटाने/नियम 22 (2) के अधीन अतिरिक्त संरक्षण या रजिस्टर से भौगोलिक उपदर्शन के किसी प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रद्दकरण से संबंधित कार्रवाहियों में मध्यक्षेप करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन करता हूं/करते हैं

उक्त भौगोलिक उपदर्शन में मेरा/हमारा हित.....है।

उक्त अनुरोध पर रजिस्ट्रार की आदेश की एक प्रति भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाए

आज तारीख.....मास.....20.....

4.....

हस्ताक्षर

अनुदेश के लिए कृपया पृष्ठ की दूसरी ओर देखें

सेवा में,

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रार,

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का कार्यालय

चेन्नई

भौ. उ. -6 क

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता का उल्लेख करें। यदि आवेदक का भारत में कारबार का कोई मुख्य स्थान या निवास नहीं है तो भारत में तामील के लिए किसी पते का कथन किया जाए।
2. जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें
3. हस्ताक्षर

भौ. उ. -6 ख

1. पूरा नाम, पते और राष्ट्रिकता का उल्लेख करें
2. हस्ताक्षर

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

प्ररूप भौ. उ. 7

क	रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध नियम 78 (2) फीस: 300 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं 7 क देंखे)	

.....वर्ग में रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन सं.....के मामले में

मैं (या हम) 2.....रजिस्ट्रार से यह अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि वह मुझे/हमें.....में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में उपयोग के लिए भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रमाणित प्रति जारी करेगा।

.....प्रमाणपत्र/प्रमाणित प्रति भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाए। अनुरोध पर रजिस्ट्रार के आदेश की एक प्रति भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाए:—

आज तारीख.....मास.....20.....

2.....

हस्ताक्षर

ख	शपथ पत्र (केवल वहां भरा जाएं जहां अधिनियम या नियमों द्वारा अपेक्षित हो) (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं 7 ख देंखे)	

मैं, ...जो.....का हूं सत्यनिष्ठा से और शुद्ध हृदय से घोषणा करता हूं कि मामले के कथन में वर्णित विशिष्टयां, प्रदर्श चिन्ह.....तथा.....वर्ग में भौगोलिक उपदर्शन सं.....की बाबत.....(2) के संबंध में मेरे द्वारा दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोतम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और भौगोलिक उपदर्शन की वर्तमान स्वत्वधारिता को प्रभावित करने वाले प्रत्येक तात्विक तथ्य तथा दस्तावेज को समाविष्ट करती है।

आज तारीख.....मास.....20.....

4.....

हस्ताक्षर

ग	रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए तथा नियम 99 के अधीन अपील बोर्ड द्वारा विधिमान्यता के प्रमाणपत्र की सूचना के विज्ञापन के लिए अनुरोध फीस : 200 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं 7 ग देखें)	

.....के नाम में.....वर्ग में भौगोलिक उपदर्शन सं.....के मामले में मैं/हम.....रजिस्ट्रार से अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि रजिस्टर में उक्त भौगोलिक उपदर्शन संख्यांक से संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित जोड़ें तथा भौगोलिक उपदर्शन जर्नल में एक टिप्पण विज्ञापित करें कि .....अपील बोर्ड ने प्रमाणित किया है कि उक्त रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता प्रश्नगत की गई है और उसका विनिश्चय इसके साथ विधिमान्यता के प्रमाणपत्र के शासकीय रूप से सत्यापित प्रति के अनुसार भौगोलिक उपदर्शन के स्वत्वधारी के पक्ष में [illegible] गया है।

[illegible] संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं

[illegible].....मास.....20.....

4.....

हस्ताक्षर

अनुदेश के लिए कृपया पृष्ठ के दूसरी ओर देखें।

घ	रजिस्ट्रार के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन धारा 60 (ग), नियम 92 फीस : 500 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं 7 घ देखें)	

.....के मामले में/मैं या (हम).....जो उपर्युक्त मामले में.....हूँ (हैं) रजिस्ट्रार के उक्त मामले में तारीख.....हूँ (हैं) रजिस्ट्रार के उक्त मामले में तारीख .....मास.....20.....के इस निर्णय का पुनर्विलोकन करने के लिए आवेदन करता हूँ (करते हैं)

यह आवेदन करने के लिए आधार इसके साथ के विवरण में उपवर्णित है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं—

आज तारीख.....मास.....20.....

4.....

हस्ताक्षर

ङ	भौगोलिक उपदर्शन के विज्ञापन की विशिष्टियों के लिए रजिस्ट्रार को अनुरोध नियम 40 फीस : 100 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं 7 ङ देखें)	

मैं (या हम) अनुरोध करता हूं (करते हैं) कि मुझे (या हमें) उस जर्नल का संख्यांक तारीख और पृष्ठ की जानकारी दी जाए जिसमें उस भौगोलिक उपदर्शन को, जिसे रजिस्ट्रीकृत करवाने की इच्छा आवेदन सं.....के अधीन.....के नाम में की गई है, विज्ञापित किया गया है।

जानकारी भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं—

आज तारीख.....मास.....20.....

3.....

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

च	रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकृत उपयोगकर्ता के प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति या और प्रति के लिए अनुरोध नियम 55 (2) 59 (3) फीस : 200 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं 7 च देखें)	

(यदि आवेदक ने विज्ञापन के लिए एक लेबल प्रस्तुत किया है तो इस प्ररूप के साथ रजिस्ट्रीकरण के समय पर अपवेदन के प्ररुप में) यथावत् दर्शित रूप में भौगोलिक उपदर्शन की एक बिना मढ़ी समाकृति अवश्य होनी चाहिए)

मैं (या हम).....रजिस्ट्रार से अनुरोध करता हूं (करते हैं) कि मुझे (हमें) रजिस्टर में.....वर्ग में रजिस्ट्रीकृत मेरे (हमारे) भौगोलिक उपदर्शन सं.....की बाबत धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन मुझे (हमें) जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की 3 द्वितीय प्रतियां/और प्रति दें।

प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति/और प्रति भारत में मेरे (हमारे) निम्नलिखित पते भेजी जाए

आज तारीख.....मास.....20.....

4.....

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रार,

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का कार्यालय ।

भौ. उ.-7 क

1. अनुरोध करने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रिकर्ता का उल्लेख करें
2. उन विशिष्टियों का उपवर्णन करें जिनकी उस दस्तावेज को प्रमाणित करने या उसकी विशिष्टियों का कथन करने के लिए रजिस्ट्रार को अपेक्षा है
3. देश या राज्य का नाम लिखें
4. हस्ताक्षर

भौ. उ.-7 ख

1. शपथकर्ता का नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखें।
2. संबद्ध कार्रवाहियों की विशिष्टियों का उल्लेख करें।
3. यहां पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं जो घोषणा कर रहा है।
4. उस प्राधिकारी के हस्ताक्षर और उसका पद जिसके समक्ष शपथपत्र लिया गया है।
5. भारत में शपथ पत्र किसी न्यायालय या ऐसे व्यक्ति के समक्ष किया जा सकता है जिसे साक्ष्य लेन का प्राधिकार विधि द्वारा प्राप्त है या शपथ दिलाने के लिए किसी न्यायालय द्वारा सशक्त किसी अधिकारी के समक्ष किया जा सकता है। भारत के बाहर शपथपत्र राजनयिक और कौंसली या आफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 के अर्थांतर्गत राजनयिक या कौंसलीय अधिकारी के समक्ष या ऐसे किसी देश या स्थान के राजनयिक या कौंसलीय अधिकारी के समक्ष अथवा उस स्थान के किसी नोटेरी के समक्ष किया जा सकेगा यदि उस स्थान के नोटेरियों द्वारा किए गए नोटेरी विषयक कार्यों को नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता दी गई है।

तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन स्टांपित किया जाए।

भौ. उ.-7 ग

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के नाम और पते का कथन करें।
2. कार्रवाहियों की प्रकृति का उनमें पक्षकारों के नामों सहित कथन करें जिसमें प्रमाणपत्र दिया गया था।
3. हस्ताक्षर

भौ. उ.-7 घ

1. उस विषय की पहचान करने वाले शब्द और निर्देश संख्या लिखें जिसकी बाबत आवेदन किया जाता है।
2. पूरा नाम और पता लिखें।
3. हस्ताक्षर

भौ. उ.-7 ङ

1. पूरा नाम और पता लिखें।
2. हस्ताक्षर

भौ. उ.-7 च

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम और पता लिखें।
2. जो लागू न हो उसे काट दें।
3. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या प्राधिकृत उपयोगकर्ता या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर

क माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

प्ररुप भौ. उ.-8

क	भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नियम 107 फीस : 1,000 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 8 क देखें)	

मैं माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 के अधीन व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए सविनय आवेदन करता हूं।

1. ..... से चरित्र का प्रमाण पत्र इससे संलग्न हैं।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम; 2001 के नियम 105 के खंड (i) (ii) (iii) (iv) (v) और (vi) में बताई गई किसी निर्योग्यता से ग्रस्त नहीं हूं और यह कि नीचे दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

1. पूरा नाम जिसके प्रारंभ में उपनाम, यदि कोई है (स्पष्ट अक्षरों में) .....
2. निवास स्थान का पता .....
3. कारबार का मुख्य स्थान .....
4. पिता का नाम .....
5. राष्ट्रियता .....
6. जन्म की तारीख और स्थान .....
7. उपजीविका पूर्ण रूप में .....
8. भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हता की विशिष्टियां .....
9. क्या किसी समय भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रजिस्टर से हटाया गया है और यदि हां तो इस प्रकार हटाए जाने का कारण .....

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं—

आज तारीख ..... मास ..... 20 .....

4. .....

हस्ताक्षर

ख	भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रूप में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध नियम 109 फीस : 1,000 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 8 ख देखें)	

रजिस्ट्रार से नियम 109 के अधीन अनुरोध किया जाता है कि भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रूप में प्रमाण पत्र जारी करें, यदि आवेदक भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता होने के लिए पात्र और अर्हित हो गया है।

4. . . . . .

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर करने वाले का नाम स्पष्ट अक्षरों में

ग	भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रजिस्टर में नाम जारी रखने के लिए अनुरोध नियम 110 फीस : 1,000 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 8 ग देखें)	

रजिस्ट्रार के नियम 110 के अधीन अनुरोध किया जाता है कि भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रजिस्टर में . . . . . से . . . . . तक बनाए रखना जारी रखें।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं—

आज तारीख . . . . . मास . . . . . 20 . . . . . .

4. . . . . .

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर करने वाले का नाम स्पष्ट अक्षरों में

घ	भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन नियम 113 फीस : 1,000 रुपए जमा जारी रखने की फीस (तीन प्रतियों में भरा जाए) (पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 8 घ देखें)	

मैं . . . . . जो . . . . . का हूं, उस भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता रजिस्टर में मेरे नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन करता हूं जिसमें मेरा नाम संख्या . . . . . के अधीन प्रविष्ट था मेरा नाम माल के भौगोलिक उपदर्शन नियम, 2002 के नियम 113 के अधीन . . . . . को हटा दिया गया था।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं—

आज तारीख . . . . . मास . . . . . 20 . . . . . .

4. . . . . .

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर करने वाले का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रार,

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, का कार्यालय,

1. अभ्यर्थी के चरित्र को प्रमाणित करने का प्रमाणपत्र ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो अभ्यर्थी का नातेदार न हो तथा जिला मजिस्ट्रेट

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या उस जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हो, जहां अभ्यर्थी प्रायिक रूप से निवास करता है या किसी व्यक्ति से हो सकता है जिसे रजिस्ट्रार उपयुक्त समझता है।

2. दावा की गई अर्हताओं के समर्थन में मूल डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज या मजिस्ट्रेट, नोटेरी पब्लिक या जे पी द्वारा सम्यक् रूप से साक्ष्यित उनकी प्रतियां आवेदन के साथ भेजी जानी चाहिए।

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में अनुभव की मात्रा या किसी प्रतिष्ठित वाणिज्यिक फर्म में अनुभव की मात्रा के बारे में विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएं।

हस्ताक्षर

माल के भौगालिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

प्ररुप भौ. उ. - 9

क	कतिपय माल के लिए अतिरिक्त संरक्षण हेतु आवेदन धारा 22(2), नियम 77 फीस : 2500 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 9 क देखें)	

मैं (या हम) (1) ..... जो ..... वर्ग में भौगोलिक उपदर्शन ..... का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी हूं (है), अधिनियम की धारा 22(2) के अधीन अतिरिक्त संरक्षण के लिए आवेदन करता हूं (करते है)।

नियम 77(1) के अधीन पेश किए जाने के लिए अपेक्षित मामले का कथन इसके साथ संलग्न है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं—

आज तारीख ..... मास ..... 20 .....

4. .....

हस्ताक्षर

ख	रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन में कुछ जोड़ने या उसमें परिवर्तन के लिए धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा आवेदन। फीस : 300 रुपए (पहली अनूसूची की प्रविष्टि संख्या 9ख और नीचे पाद टिप्पण देखें)	

..... वर्ग में रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन सं. ..... के मामले में (1) ..... द्वारा, जो उपर्युक्त रूप में संख्यांकित रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी हैं, उक्त भौगोलिक उपदर्शन में निम्नलिखित विशिष्टियों को जोड़ने या परिवर्तन करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन किया जाता है, अर्थात् :—

(2) .....

परिवर्तन कर दिए जाने पर यथाविद्यामान भौगोलिक उपदर्शन की पांच प्रतियां फाइल की जा रही हैं।

(3) इस आवेदन की एक प्रति और उस भौगोलिक उपदर्शन की एक प्रति जैसा वह परिवर्तित कर दिए जाने पर प्रतीत होगा, उस क्षेत्र में परिचालित दो प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर दी गई हैं (जिनकी प्रतियां संलग्न हैं)

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :—

आज तारीख ..... मास ..... 20 .....

हस्ताक्षर (4) .....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

	धारा 64, नियम 83(1) फीस : 300 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 8ग देखें)	

.....के मामले में

मैं (या हम) (2) ..... जो उपर्युक्त मामले में .....हूं (हैं), (3) .....

(4) .....के लिए समय निम्नलिखित आधारों पर बढ़ाए जाने के लिए आवेदन करता हूं (करते हैं)

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :—

आज तारीख .....मास.....20.....

5.....

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

अनुदेश के लिए कृपया पृष्ठ की दूसरी ओर देखें

भौ.उ. 9ग

1. विषयगत मामले की पहचान बताएं
2. पूरा नाम और पता लिखें
3. अपेक्षित विस्तार की अवधि का उल्लेख करें जो .....नहीं होंगी।

   उस प्रयोजन का कथन करें जिसके लिए समय का विस्तारण अपेक्षित है।

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

प्ररूप भौ. उ.-10

क	किसी भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि के रद्दकरण के लिए अथवा उनमें से किसी माल या माल के वर्ग को निकालने के लिए जिनकी बाबत भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकृत किया गया है, आवेदन धारा 28(ग) या (घ), फीस : 300 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 10क देखें)	

.....वर्ग में भौगोलिक उपदर्शन सं. .....के मामले में

रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम .....

रजिस्टर में यथाप्रविष्ट पता.....

उपर्युक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा आवदेन किया जाता है कि .....वर्ग में भौगोलिक उपदर्शन सं. .....

की रजिस्टर में की गई प्रविष्टि रद्द की जाए।

2. आवेदन की एक प्रति प्राधिकृत उपयोगकर्ता/(ओं) पर तामील कर दी गई है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :—

आज तारीख .....मास.....200.....

.....

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

ख	अधिनियम के अधीन किसी मामले या कार्यवाही में अभिकर्ता के प्राधिकार का प्ररूप धारा 76 और नियम 20	

मैं (या हम) ..... को जो ..... का है ...
..... 3 के लिए मेरे (या हमारे) अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं तथा अनुरोध करता हूं/करते हैं कि उससे संबंधित सभी सूचनाएं, अध्यपेक्षाएं और संसूचनाएं उपर्युक्त पते पर ऐसे अभिकर्ता को भेजी जाएं;

मैं (या हम) उक्त कार्यवाही की बाबत पूर्व के सभी प्राधिकारों को, यदि कोई है, प्रतिसंहृत करता हूं/करते हैं।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :—

आज तारीख ..... मास ..... 200 .....

.....

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

अनुदेश के लिए कृपया पृष्ठ की दूसरी ओर देखें।

सेवा में,

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रार

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय।

भौ.उ.—10क

1. जो आवश्यक न हो उसे काट दें।
2. यदि लागू न हो तो काट दें।
3. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
4. हस्ताक्षर।

तीसरी अनुसूची

रजिस्ट्रार द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले प्ररूप

प्ररूपों की सूची

प्ररूप सं.		शीर्षक
आ-1	धारा 16(3)	रजिस्ट्रीकरण के पूरा न किए जाने की सूचना
आ-2	धारा 55(1)	भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
आ-3	धारा 61	अंतिम रजिस्ट्रीकरण के समाप्त होने की सूचना
आ-4	नियम 102	भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
आ-5	नियम 55(1)	प्राधिकृत उपयोक्ता के पिछले रजिस्ट्रीकरण के पर्यवसान की सूचना।

प्ररूप आ-1

भारत सरकार

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

रजिस्ट्रीकरण के पूरा न किए जाने की सूचना

सं. .....

जैसा धारा 16 द्वारा अपेक्षित है, सूचना दी जाती है कि भौगोलिक उपदर्शन का रजिस्ट्रीकरण जिसकी बाबत उपर्युक्त संख्यांकित आवेदन तारीख .....मास.....200 को दिया गया था आवेदन की ओर से व्यतिक्रम के कारण पूरा नहीं किया गया है। जब तक रजिस्ट्रीकरण इस सूचना की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर पूरा नहीं कर लिया जाता है, आवेदन को परित्यक्त रूप में समझा जाएगा।

इस आवेदन से संबंधित सभी पत्रादि भारत में निम्नलिखत पते पर भेजे जाएं :—

आज तारीख.....मास.....200

रजिस्ट्रार, भौगोलिक उपदर्शन

सेवा में,

.....

.....

प्ररूप आ-2

भारत सरकार

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

धारा 16(1) के अधीन भौगोलिक उपदर्शन या धारा 17 3(5) के अधीन प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

भौगोलिक उपदर्शन सं.....

प्राधिकृत उपयोगकर्ता सं.....

तारीख.....

प्रमाणित किया जाता है कि भौगोलिक उपदर्शन जिसकी समाकृति इससे उपाबद्ध है प्राधिकृत उपयोकर्ता..... की बाबत..... तारीख.....को.....संख्यांक के अधीन.....वर्ग में..... ..... के नाम में रजिस्ट्र में रजिस्टर किया गया है।

आज तारीख.....मास.....200..... को मेरे निदेश पर मुद्रांकित किया गया।

रजिस्ट्रार, भौगोलिक उपदर्शन

रजिस्ट्रीकरण इसमें ऊपर प्रथम उल्लिखित तारीख से 10 वर्ष के लिए है और तब 10 वर्ष की अवधि के लिए तथा तत्पश्चात् प्रत्येक 10 वर्ष की और अवधि के पश्चात् भी नवीकृत किया जा सकता है।

इस प्रमाणप्रत्र का उपयोग विधिक कार्यवाही में या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

प्ररूप आ-3

भारत सरकार

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 की धारा 18(4) के अधीन अन्तिम रजिस्ट्रीकरण के समाप्त होने की सूचना

रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन सं. · · · · · · · · · · · · · · · · ·

वर्ग · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 18(4) में जैसा अपेक्षित है, यह सूचना दी जाती है कि पूर्वोक्त भौगोलिक उपदर्शन का रजिस्ट्रीकरण · · · · · · · · · · · को समाप्त हो जाएगा और कि रजिस्ट्रीकरण उस तारीख को या उससे पूर्व 3,000 रुपये की विहित फीस के साथ संलग्न प्ररूप भौ. उ. 4 में एक आवेदन की भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में प्राप्ति पर दस वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।

आज तारीख · · · · · · · · · · · · · · · · · मास · · · · · · · · · · · · · · · · · · 200 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

रजिस्ट्रार, भौगोलिक उपदर्शन

प्ररूप आ-4

भारत सरकार

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

सं. · · · · · नियम 109 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

यह प्रमाणित किया जाता है कि · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

वर्ग 2

पेंट, वार्निश, लेकर (रलाक्ष), जंग के विरुद्ध और काष्ठ के क्षय के विरुद्ध परिरक्षी, क्रोटोरैंट, रंजक कच्चा प्राकृतिक रैजिन पेंटरों के लिए पर्णिका और चूर्ण रूप में धातुएं, सजावट करने वाले, मुद्रक और कलाकार।

वर्ग 3

लांड्री उपयोग के लिए विरंजन निर्मितियां और अन्य पदार्थ, निर्मलन, पालिशकरण, मंजाई और अपधर्षी निर्मितियां, साबुन, सुगंध सामग्री, आवश्यक तेल, शृंगार सामग्री, केश, लोशन, दंत मंजन।

वर्ग 4

औद्योगिक तेल और चिकनाई (ग्रीज), स्नेहक, धूल अवशोषक, आर्द्र कारक और बंधन घटक, ईंधन (जिसके अन्तर्गत मोटर स्पिरिट है) तथा प्रदीपक, कैंडल, बत्ती।

वर्ग 5

भेषजीय, पशु चिकित्सा और स्वच्छता संबंधी निर्मितियां, चिकित्सा उपयोग के लिए अनुकूलित आहारिक पदार्थ, शिशुओं के लिए खाद्य, प्लास्टर, मरहम पट्टी (ड्रेसिंग) के लिए सामग्री, दंत भराई सामग्री, दंत मोम, विसंक्रामक (रोगाणु नाशी) पीड़क जंतु, कवच नाशी, शाकनाशी नष्ट करने के लिए निर्मितियां।

वर्ग 6

सामान्य धातुएं और उनके मिश्रातु, धातु निर्माण सामग्रियां, सामान्य धातु के परिवहनीय, निर्माण, रेल पटरियों के लिए धातु की सामग्रियां, सामान्य धातु के गैर विद्युत, केबल और तार, लौह व्यापार,धातु हार्ड वेयर की छोटी मदें, धातु के पाइप और ट्यूब, सेफ, अन्य वर्गों में न सम्मिलित की गई सामान्य धातु के माल, अयस्क।

वर्ग 7

मशीन और मशीनों के औजार, मोटर और इंजिन (भूमि यानों के सिवाय) मशीन मुग्मक और पारेषण घटक, (भूमि यानों के सिवाय) हस्तचालित से भिन्न कृषि उपकरण, अंडों के लिए उष्मायित्र।

वर्ग 8

हाथ के औजार और उपकरण (हाथ से चलाए जाने वाले), कटलरी, पार्श्व आयुध, छुरा।

वर्ग 9

वैज्ञानिक, नौ, सर्वेक्षण, विद्युत, फोटो चित्रण, सिनेमा चित्रण (सिनेमैट्रोग्राफिक), प्रकाशिक, तुलन, मापन संकेतक, जांच (पर्यवेक्षण) जीवन रक्षक और शिक्षण साधित्र तथा उपकरण, रिकार्ड करने के लिए साधित्र,ध्वनि या प्रतिबिम्ब पारेषण या पुनरुत्पादक, चुंबकीय डाटा वाहक, रिकार्डिंग डिस्क, सिक्का आयोडेट उपकरण के लिए स्वचालित वैडिंग मशीन और मैकनिज्म, नकद, कैश रजिस्टर, संगणक मशीनें, डाटा प्रसंस्करण उपस्कर और कंप्यूटर, अग्नि शामक उपकरण।

वर्ग 10

शल्य क्रिया संबंधी, आयुर्विज्ञान संबंधी, दंत रोग संबंधी तथा पशु चिकित्सा संबंधी औजार और उपकरण, कृत्रिम अंग, आंख और दांत, विकलांगों के लिए वस्तुएं, सीवन सामग्रियां।

वर्ग 11

प्रकाश करने, ताप करने, भाप पैदा करने, पकाने, प्रशीतन करने, सुखाने, वातायन, जल प्रदाय और स्वच्छता प्रयोजनों के लिए उपकरण।

वर्ग 12

यान, भूमि, वायु या जल द्वारा संचलन के लिए उपकरण।

वर्ग 13

अग्न्यायुध, गोला बारूद और प्रक्षेपक, विस्फोटक सामग्री, आतिशबाजी।

वर्ग 14

बहुमूल्य धातुएं और उनकी मिश्रातु तथा बहुमूल्य धातुओं में या उनके लैपित माल जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है, आभूषण, बहूमूल्य रत्न होरोलाजिकल या अन्य कालमापन यंत्र।

वर्ग 15

खाद्य यंत्र।

वर्ग 16

कार्ड, कागज बोर्ड तथा इन सामग्रियों से बनाए गए माल जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है, मुद्रित सामग्री, जिल्द साजी सामग्री, फोटोग्राफ, लेखन सामग्री, या गृहस्थी के प्रयोग के लिए आसंजक, कलाकार सामग्रियां, पेंट ब्रुश, टाइप राइटर और कार्यालय के लिए अपेक्षित वस्तुएं (फर्नीचर को छोड़कर), अनुदेशात्मक तथा शैक्षणिक सामग्रियां (साधित्र को छोड़कर), पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक सामग्रियां (जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है), ताश, मुद्रण टाइप, मुद्रण ब्लॉक।

वर्ग 17

रबर, गट्टा, परचा, गोंद, ऐस्बेस्टास, अभ्रक और वे सामान जो इन सामग्रियों से बनाए गए हैं तथा अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, विनिर्माण में प्रयोग के लिए उत्सारित रूप में प्लास्टिक, पैकिंग, भराई और विद्युत् रोधन सामग्रियां, नमनीय पाइप जो धातु के न हों।

वर्ग 18

चमड़ा और चमड़े की अनुकृति और इन सामग्रियों से बने सामान जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं हैं, पशुओं की चमड़ी, खाल, ट्रंक और यात्रा बैग, छाता, आतपत्र (पैरासोल) और टहलने की छड़ी, चाबुक, साज सज्जा और जीन साजी।

वर्ग 19

भवन निर्माण सामग्री (गैर धात्विक), भवन, निर्माण के लिए गैर धातु का कठोर पाइप एसफाल्ट, अलकतरा और बिटुमेन, गैर धात्विक परवहनीय भवन, संस्मारक जो धातु के न हों।

वर्ग 20

फर्नीचर, दर्पण, चित्र चौखटा (पिक्चर फ्रेम) काष्ट के माल (जो अन्य वर्गों में सम्मिलित न हों), कार्क रीड, बैंत (गन्ना), बत्ती, सींग, अस्थि, हाथी दांत, व्हेल अस्थि, खोल, अम्बर, मुक्ता सीप, समुद्र फेन और इन सभी सामग्रियों के लिए या प्लास्टिक के अनुकल्प।

वर्ग 21

गृहस्थी के या रसोई के बर्तन और आधान (जो बहुमूल्य धातु के या उससे लेपित न हों) कंघियों और स्पंज, ब्रुश (पेंट के ब्रुशों को छोड़कर) ब्रुश बनाने की सामग्रियां, निर्मलन प्रयोजनों के लिए वस्तुएं, इस्पात, ऊन, अकर्मित या अर्द्ध कर्मित कांच (भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वालों को छोड़कर) कांच के बर्तन पोर्सलीन या मिट्टी के बर्तन जो अन्य वर्गों में सम्मिलित न हों।

वर्ग 22

रज्जु, डोरी, जाल, तंबू, सामियान, तिरपाल, पाल, बोरी और बैग (जो अन्य वर्ग में सम्मिलित न हों) पैड लगाने और भराव सामग्रियां (रबर और प्लास्टिक को छोड़कर) कच्ची रेशेदार टैक्सटाइल सामग्रियां।

वर्ग 23

टैक्सटाइल में उपयोग के लिए यार्न और धागे।

वर्ग 24

टैक्सटाइल और टैक्सटाइल माल जो अन्य वर्गों में सम्मिलित न हो, बिस्तर और मेज आच्छादन (टेबल कवर)।

वर्ग 25

कपड़े, जूतादि, सिर का पहनावा।

वर्ग 26

फीता, कसीदाकारी, रिबन और ब्रेड, बटन, हुक और नाके पिन और सूइयां, कृत्रिम फूल।

वर्ग 27

कालीन, रंग, पायदान और चटाई, विद्यमान फर्श को ढकने के लिए लिनोलियम और अन्य सामग्रियां, भित्ती परदा, (वाल हैंगिंग) (गैर वस्त्रीय)।

वर्ग 28

खेल और खेल के सामान (खिलौना), व्यायाम और क्रीड़ा वस्तुएं जो अन्य वर्ग में सम्मिलित नहीं हैं, क्रिसमस वृक्ष का अलंकरण।

मास, मत्स्य, कुक्कुट और खल, मास निष्कप, पारराक्षत, सुखाए गए तथा पकाए गए फल और वनस्पतियां, जेली, जैम, फ्रूट सास, अंडे, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल और वसा।

वर्ग 30

काफी, चाय, कोका कोला, चीनी, चावल, टेपियोका, साबूदाना, कृत्रिम काफी, आटा और अनाज से बनी निर्मितियां, ब्रेड पैस्ट्री, मिष्ठान, बर्फ, शहद, राब, यीस्ट, पाक चूर्ण, नमक, राई (सरसों), सिरका, चटनी, (स्वादक), मसाला, बर्फ।

वर्ग 31

कृपिक, उद्यान कृपि, बनिकी उत्पाद और अन्न जो अन्य वर्गों में सम्मिलित न हो, जीवित पशु, ताजे फल और वनस्पतियां, प्राकृतिक पौध और फूल, पशुओं के लिए खाद्य पदार्थ, माल्ट।

वर्ग 32

बीयर, खनिज और वातित जल और अन्य गैर एल्कोहालिक पेय, फल पेय और फल जूस, सीरप तथा सुपये बनाने के लिए अन्य निर्मिति।

वर्ग 33

मद्यसारिक सुपये (बीयर को छोड़कर)

वर्ग 34

तंबाकू, धूम्रपान वस्तुएं, दिया सलाई।

पांचवीं अनुसूची

रजिस्ट्रार के समक्ष नियम 91 की कार्यवाही में अनुज्ञेय खर्च का मापमान

प्रविष्टि सं.	वह विषय जिसकी बाबत खर्च अधिनिर्णित किया जाता है	रकम
1.	एक दिन की सुनवाई के लिए जिसके अंतर्गत साक्षियों की परीक्षा भी है।	1000 रुपए
2.	एक दिन की सुनवाई के लिए जब साक्षियों की कोई परीक्षा नहीं है।	500 रुपए
3.	सुनवाई के स्थगन के लिए जो किसी पक्षकार की याचिका पर मंजूर किया जाए।	500 रुपए जमा अन्य पक्षकार के साक्षी को पुन: समन करने का खर्च जिसकी उस दिन परीक्षा की जानी थी।
4.	किसी शपथ-पत्र से कलंकात्मक विषय को काट देने के लिए।	200 रुपए।
5.	साक्षियों की उपस्थिति के लिए निर्वाह भत्ता या यात्रा भत्ता।	500 रुपए प्रत्येक ओर से द्वितीय श्रेणी का रेल या स्टीमर का भाड़ा तथा यदि रेलया स्टीमर संपर्क नहीं है तब साक्षी के रैंक और प्रास्थिति पर निर्भर करते हुए 5 रुपए या 2.50 रुपए प्रति किलो मी.

टिप्पण : साक्षी के लिए निर्वाह भत्ता और यात्रा भत्ता की दरों में साक्षी की प्रास्थिति के अनुसार ऊपर विहित अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए भिन्नता होगी।

[फा. सं. 14/1/2000-पी.पी.एंड सी]

ए. ई. अहमद, संयुक्त सचिव